



मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

छठवां वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21




मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

छठवां वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21


सेकंड फ्लोर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफिस बिल्डिंग,
काली बाड़ी रोड, बी.एच.ई.एल., सेक्टर-ए, बरखेड़ा, भोपाल - 462022





क्र.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1	कॉरपोरेट जानकारी	1-2
2	वार्षिक आमसभा की सूचना	5
3	संचालकों का प्रतिवेदन एवं वार्षिक रिटर्न के लिए एक्स्ट्रेक्ट (MGT-9)	6-22
4	लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	25-33
5	स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	35-42
6	31 मार्च 2021 का तुलन पत्र	43-44
7	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण	45-46
8	31 मार्च 2021 को सम्पन्न हुए वर्ष के लिए नकद संचलन का विवरण	47-48
9	31 मार्च 2021 पर समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां	49-83





मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट जानकारी

संचालक मंडल:

स. क्र.	नाम	पदनाम
1	श्री कामरान रिजवी अतिरिक्त सचिव (डी एंड यूटी), आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष एवं संचालक
2	सुश्री डी. थारा संयुक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	संचालक
3	श्री बी.के. गुप्ता कार्यकारी संचालक/परियोजना निगरानी (एसएजी/आईआरएसई), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	संचालक
4	श्री संजय मिश्रा संचालक (परियोजना), उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPMRCL)	संचालक
5	श्री ओ.एच. पांडे संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC)	संचालक
6	श्री मनोज गोविल प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	संचालक
7	श्री नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग	संचालक
8	श्री मनीष रस्तोगी प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग	संचालक

स. क्र.	नाम	पदनाम
9	श्री नीतेश व्यास प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग	संचालक
10	श्री मनीष सिंह प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग	प्रबंध संचालक

सांविधिक लेखा परीक्षक :

मेसर्स प्रमोद के शर्मा एंड कं.,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, (CR-1655)
भोपाल - 462011

सचिवीय लेखा परीक्षक

नीलेश गुप्ता एंड कॉ.,
व्यावसायिक कंपनी सचिव,
इंदौर - 452001

कंपनी सचिव : श्री संदीप जैन

- बैंक : 1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
3. एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया
4. बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजीकृत कार्यालय :

सेकंड फ्लोर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफिस बिल्डिंग,
काली बाड़ी रोड, बी.एच.ई.एल., सेक्टर-ए, बरखेड़ा, भोपाल 462022
सीआईएन संख्या : U75100MP2015SGC034434

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि, वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक रिपोर्ट मूल अंग्रेजी भाषा की हिन्दी में अनुवादित प्रति है। उक्त अनुवादित रिपोर्ट के अर्थ घटना या संदर्भ समझने के हेतु या किसी भी प्रकार की त्रुटि होने या स्पष्टीकरण/सुनिश्चिती की आवश्यकता होने पर, अंग्रेजी वार्षिक रिपोर्ट के अर्थ घटन/संदर्भ को आखिरी तथा निर्णायक समझें।



Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited

CIN: U75100MP2015SGC034434

2nd Floor, Smart City Development Corporation Office Building,
Kalbadi Road, BHEL, Sector-A, Berkheda, Bhopal- 462022

Tel: 0755-2475605
Email: metrorail@mpurhan.gov.in
Website: www.mpmetroraill.com

No. 569/MPMRCL/2022/AGM

Bhopal, dated 13.04.2022

वार्षिक आम बैठक की सूचना

संदर्भ:- MPMRCL Office letter no 487/MPMRCL/2021/AGM dated 01.04.2022.

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के आस्थागित छठवीं वार्षिक आम सभा बैठक (एजीएम) निम्नलिखित मामले पर विचार करने के लिए 22 अप्रैल 2022 को दोपहर 03:30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

- 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुई वित्तीय अवधि के लिए कंपनी के अकेक्षित वित्तीय विवरणों, उन पर संचालक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए।

आपसे अनुरोध है कि सुविधाजनक रूप से उक्त बैठक में भाग लेने का कह करों विस्तृत एजेंडा इसके साथ संलग्न है।

स्थान- भोपाल

हस्ताक्षर कृत/-

(छवि भारद्वाज)

प्रबंध संचालक

डीआईएन: 06499360

नोट-1 कंपनी की छठवीं वार्षिक आम बैठक 29 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी, हालांकि इसे वर्ष 2020-21 के सी.ए.जी. ऑडिट के पूर्ण होने तक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। वर्ष 2020-21 के सी.ए.जी. रिमार्क दिनांक 12 अप्रैल 2022 को प्राप्त हुए। इसलिए यह बैठक 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय अवधि के लिए कंपनी के अकेक्षित वित्तीय विवरणों, उन पर संचालक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए आमंत्रित की गई है।

नोट-2 बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के पात्र सदस्य को स्वयं के बजाय उसकी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की पात्रता है। प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी फार्म, प्रभावी होने के लिए बैठक आरंभ होने से अड़तालीस घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए।

प्रति,

1. सभी सदस्य गण
2. संचालकगण
3. सांविधिक लेखा परीक्षक

संचालकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकगण,

आपके संचालकगणों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के कामकाज पर छठवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी को 09 जुलाई, 2015 को कंपनी के रजिस्ट्रार, ग्वालियर के पास निगमित किया गया था। कंपनी को मध्य प्रदेश राज्य में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1. वित्तीय विवरण सारांश:

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन संक्षेप में प्रस्तुत है:-

(राशि रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21
कुल राजस्व	9,64,85,941.00
कुल व्यय	10,01,69,669.00
अपवाद और असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ	(36,83,728.00)
अपवाद मदें	1,98,20,837.00
कर से पहले लाभ	(2,35,04,565.00)
कर व्यय (स्थगित कर)	(9,18,220.00)
कर के बाद वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(2,25,86,345.00)

2. कंपनी के कामकाज की स्थिति:

कंपनी को मध्य प्रदेश राज्य में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास के मुख्य उद्देश्य से निगमित किया गया है। वर्तमान में कंपनी भोपाल और इंदौर शहर में मेट्रो रेल परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य भोपाल और इंदौर के शहरी समूह में नियोजित शहरीकरण और सतत क्षेत्रीय विकास की सुविधा के लिए सस्ती, विश्वसनीय, संरक्षित, सुरक्षित और निर्बाध परिवहन प्रणाली की निरंतर उपलब्धता प्रदान करना है ताकि दुर्घटनाओं, प्रदूषण, यात्रा का समय, ऊर्जा की खपत और असामाजिक घटनाओं को भी कम किया जा सके। पहले चरण में 27.87 किमी की कुल लंबाई के भोपाल कॉरिडोर नं. 2 और 5 की और 31.55 किमी की कुल लंबाई के इंदौर कॉरिडोर नं. 3 को क्रियान्वित किया जाना है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने 30.11.2018 को भोपाल मेट्रो रेल परियोजना और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति दी है।

भोपाल मेट्रो रेल परियोजना- 2 कॉरिडोर (जैसा कि स्वीकृत है)

- करौद से एम्स - 14.99 किमी
- भदभदा से रत्नागिरी तिराहा - 12.88 किमी
- स्वीकृत पूर्णता लागत - ₹ 6941.40 करोड़

इंदौर मेट्रो रेल परियोजना -1 रिंग कॉरिडोर (जैसा कि स्वीकृत है)

- बंगाली चौराहा - विजयनगर - भंवरशाला - एयरपोर्ट - पलासिया - बंगाली चौराहा - 31.55 किमी
- स्वीकृत पूर्णता लागत - ₹ 7500.80 करोड़



समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रमुख घटनाएं:

ए. निम्नलिखित पैकेजों के लिए निविदा आमंत्रण सूचनाएं (एनआईटी) जारी की गईं -

- इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के ₹ 369 करोड़ की अनुमानित लागत पर "सात (7) एलिवेटेड मेट्रो रेल स्टेशनों के डिजाइन और स्टेशनों के भीतर पुल भाग और स्टेशनों के दोनों ओर ट्रांजिशन स्पैन सहित, प्रवेश-प्रस्थान संरचना, आर्किटेक्चरल फिनिश, विद्युत एवं यांत्रिक कार्य आदि (10 फ्लाइओवर-आईएसबीटी/एमआर, चंद्रगुप्त चौराहा, हीरा नगर, बापट चौराहा, मेघदूत गार्डन, विजय नगर स्क्वायर और रेडिसन स्क्वायर)" के निर्माण कार्य के लिए, 27.02.2021 को आई एन-2 प्रकाशित की गई है। तकनीकी बोली 02.07.2021 को खोली जाएगी।
- इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए ₹ 1000 की अनुमानित लागत पर चैनज 14+488 और चैनज 25+415 के बीच एलिवेटेड वायाडक्ट का डिजाइन और निर्माण, इंटरफेस लोकेशन तक जाने वाले डिपो को जोड़ने वाले वायाडक्ट, सभी सिविल, स्ट्रक्चरल सहित नौ (9) एलिवेटेड मेट्रो रेल स्टेशन के रूफ स्ट्रक्चर, यांत्रिकीय, विद्युत और प्लंबिंग कार्य, आर्किटेक्चरल फिनिश, अग्रभाग, प्रवेश/निकास, फ्लाइओवर ब्रिज, ट्रांजिशन स्पैन सहित स्टेशनों के भीतर वायाडक्ट" कार्य के लिए 10.03.2021 को आई एन-03 प्रकाशित की गई है। तकनीकी बोलियां 02.07.2021 को खोली जाएगी।
- भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिए ₹ 421 करोड़ की अनुमानित लागत पर "आठ (8) एलिवेटेड मेट्रो रेल स्टेशनों के डिजाइन और निर्माण के काम के लिए स्टेशनों के भीतर वायाडक्ट भाग और स्टेशनों के दोनों ओर ट्रांजिशन स्पैन (एम्स, अलकापुरी, हबीबगंज नाका, हबीबगंज, एमपी नगर जोन-1, डीबी सिटी मॉल, केंद्रीय विद्यालय और सुधाष नगर)" 31.03.2021 को बीएच-02 प्रकाशित की गई है जिसे ईआईबी द्वारा निविदा दस्तावेज के अनुमोदन के बाद पैकेज बीएच-02 के रूप में ईआईबी द्वारा वित्त घोषित किया जाएगा।

बी. निम्नलिखित पैकेजों के लिए स्वीकृति पत्र जारी किया गया -

- भूमिगत खंड (भाग) और डिपो के लिए भू-तकनीकी साइट जांच के कार्य हेतु दिनांक 09.11.2020 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है।
- डिपो सिविल और विद्युत एवं यांत्रिकीय कार्यों के लिए विस्तृत डिजाइन सलाहकार के कार्य हेतु स्वीकृति पत्र दिनांक 26.09.2020 को जारी किया गया है।
- विद्युत आपूर्ति एवं कर्षण के लिए विस्तृत डिजाइन सलाहकार के कार्य हेतु स्वीकृति पत्र दिनांक 09.11.2020 को जारी किया गया है।

3. सामान्य जानकारी

संगठनात्मक स्वरूप

आपकी कंपनी भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त स्वामित्व वाली 50:50 विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) है। कंपनी के बोर्ड में भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन प्रत्येक द्वारा नियुक्त पांच (5) संचालक शामिल हैं, जिसमें भारत सरकार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, के अतिरिक्त सचिव कंपनी के अध्यक्ष हैं। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश शासन द्वारा नामित है। प्रबंधन की सामान्य शक्तियाँ प्रबंध संचालक में निहित हैं।

4. समीक्षा अवधि के दौरान प्रमुख परिवर्तन

कंपनी का नाम विधिवत रूप से मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉ. लिमिटेड से बदलकर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया गया है।

समीक्षा अवधि के दौरान, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नए सेट को विधिवत अपनाया गया है।

भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के नामित व्यक्तियों को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। इविटी शेयर भारत के राष्ट्रपति और मध्य प्रदेश के राज्यपाल को भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के नामित व्यक्तियों के साथ 50:50 के अनुपात में जारी किए गए थे।

5. कोविड- 19 महामारी का उभरना:

वर्ष 2020-21 एक मुश्किल वर्ष था क्योंकि कोविड-19 प्रतिबंधों ने मेट्रो परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों को प्रभावित किया। आने वाले समय में महामारी की घटती लहरों के साथ स्थिति सामान्य होने की आशा है। कोविड-19 महामारी बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हुए, एमपीएमआरसीएल अपने लोगों और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रगतिरत परियोजनाओं का समय पर प्रतिपादन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। संगठन के सभी विभागों में सभी आवश्यक कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। ठेकेदारों द्वारा साइट पर काम करने वाले मजदूरों के लिए नियमित टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था। एमपीएमआरसीएल के कर्मचारियों की सुरक्षा संगठन के लिए सर्वोपरि है और एमपीएमआरसीएल द्वारा कार्यालयों की नियमित सफाई, मास्क, हाथ के दस्ताने, सैनिटाइजर आदि के वितरण के रूप में आवश्यक एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

6. उद्यम संसाधन योजना

एमपीएमआरएल ने कोविड-19 महामारी की लॉकडाउन स्थिति के दौरान कार्यस्थल पर डिजिटल परिवर्तन को सफलतापूर्वक लागू किया है। सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल के चलते वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया गया।

आपकी कंपनी को पूरे संगठन में उपयोग की जाने वाली नवीन तकनीकों के संदर्भ में पर्याप्त रूप से पुनर्जीवित किया गया था और संगठन के कामकाज को वर्चुअल (आभासी) मोड पर सुचारु रूप से चलाया गया।

संगठन के सुचारु संचालन के लिए कर्मचारियों/विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/सलाहकारों/लेखा परीक्षकों आदि के साथ ऑनलाइन बैठकों के लिए दूर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किए गए।

7. लाभांश:

कंपनी ने अभी तक अपना वार्षिक परिचालन आरंभ नहीं किया है और इसलिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की जा रही है।

8. रिजर्व:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है।

9. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो:

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

10. नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण जो भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हैं:

इस अवधि के दौरान, नियामकों या अदालतों या अधिकरणों द्वारा कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।

11. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की दिनांक के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं यदि कोई हों:

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष और इस रिपोर्ट की दिनांक के बीच कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है।

12. उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां बन गई हैं या समाप्त हो गई हैं:

कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां नहीं हैं।



13. जमा:

कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा आमंत्रित/स्वीकार नहीं किया है। 31 मार्च, 2021 को कोई दावा न की गई या अदस्त जमा राशियां नहीं थीं।

14. सांविधिक लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ने अपने पत्र सं./सीए द्वारा वी/सीओवाई/मध्य प्रदेश, एमपीएमआरसी(1)/969 दिनांक 26/08/2020 द्वारा मेसर्स प्रमोद के, शर्मा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, (सीआर-1655), भोपाल-462011 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

मेसर्स प्रमोद के शर्मा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, ने अपने पत्र दिनांक 07/10/2020 के माध्यम से अपनी नियुक्ति के तथ्यों से अवगत कराया और प्रमाणित किया कि उक्त नियुक्ति नियम 4(1) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के तहत निर्धारित शर्तों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 में प्रावधान के अनुसार है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट स्व-व्याख्यात्मक है और इसमें कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है। वर्ष के दौरान, कंपनी के लेखा परीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत किसी तरह की धोखाधड़ी प्रतिवेदित नहीं की है।

15. पूंजी संरचना:

भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के इक्विटी योगदान के बदले इक्विटी शेयर जारी करने के लिए संचालक मंडल और शेयरधारकों द्वारा कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को विधिवत रूप से ₹ 30.00 करोड़ से ₹ 5,000.00 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है।

कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 30,00,00,000/- (केवल तीस करोड़ रुपये, ₹10/- प्रत्येक के 3,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित) से राइट्स इश्यू के आधार पर कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सममूल्य रैंकिंग वाले ₹ 10/-प्रत्येक के 35,21,80,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित ₹ 3,52,18,00,000 (रुपये तीन सौ बावन करोड़ और अठारह लाख केवल) तक बढ़ गई है। कंपनी के पास प्रदत्त पूंजी का हिस्सा बनने वाले इक्विटी शेयरों को छोड़कर कोई अन्य प्रकार की प्रतिभूतियां नहीं हैं।

16. धारा 92(3) के तहत वार्षिक रिटर्न:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) में संदर्भित वार्षिक रिटर्न फॉर्म संख्या एमजीटी-9 में परिशिष्ट-"ए" में संलग्न है।

17. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय:

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के तहत आवश्यक ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के बारे में जानकारी।

(ए) ऊर्जा का संरक्षण	:	शून्य
(बी) प्रौद्योगिकी अवशोषण	:	शून्य
(सी) विदेशी मुद्रा आय और व्यय	:	शून्य

18. संचालक मंडल:

(i) वर्ष के दौरान संचालकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन का विवरण

क्रमांक	नाम	डीआईएन	नियुक्ति / समाप्तिकी तिथि	परिवर्तन की प्रकृति
1	श्री कामरान रिजवी अतिरिक्त सचिव (डी एंड यूटी), आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	01653503	18/11/2020	नियुक्ति
2	सुश्री डी. थारा संयुक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	01911714	18/11/2020	नियुक्ति
3	श्री बी.के. गुप्ता कार्यपालक संचालक/परियोजना निगरानी (एसएजी/आईआरएसई), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	08121844	18/11/2020	नियुक्ति
4	श्री संजय मिश्रा संचालक (परियोजना), उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPMRCL)	08102041	18/11/2020	नियुक्ति
5	श्री ओ.एच. पांडे संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी)	08397090	18/11/2020	नियुक्ति
6	श्री मनोज गोविल प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	07651991	18/11/2020	नामित संचालक के रूप में पुनः नामित
7	श्री नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग	02037213	18/11/2020	नामित संचालक के रूप में पुनः नामित
8	श्री मनीष रस्तोगी प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग	02579544	18/11/2020	नामित संचालक के रूप में पुनः नामित
9	श्री नीतेश व्यास प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग	02320055	18/11/2020	प्रबंध संचालक और नामित संचालक के रूप में पुनः नामित

क्रमांक	नाम	डीआईएन	नियुक्ति / समाप्तिकी तिथि	परिवर्तन की प्रकृति
10	श्री निकुंज श्रीवास्तव आयुक्त, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग	02008508	18/11/2020	नियुक्ति
11	श्री मनीष सिंह प्रमुख सचिव, म.प्र शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग	02947579	25/01/2021	प्रबंध संचालक के रूप में नियुक्ति
12	श्री नीलेश व्यास, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन शहरी विकास एवं आवास विभाग	02320055	25/01/2021	प्रबंध संचालक और नामित संचालक के रूप में पुनः नामित
13	श्री निकुंज श्रीवास्तव आयुक्त, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग	02008508	25/01/2021	समाप्ति

(ii) वित्तीय वर्ष के समापन पर संचालकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण:

स. क्र.	नाम	डीआईएन	पदनाम
1	श्री कामरान रिजवी अतिरिक्त सचिव (डी एंड यूटी), आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	01653503	अध्यक्ष एवं संचालक
2	सुश्री डी. थारा संयुक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	01911714	संचालक
3	श्री बी.के. गुप्ता कार्यकारी संचालक/परियोजना निगरानी (एसएजी/आईआरएसई), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	08121844	संचालक
4	श्री संजय मिश्रा संचालक (परियोजना), उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPMRCL)	08102041	संचालक
5	श्री ओ.एच. पांडे संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC)	08397090	संचालक
6	श्री मनोज गोविल प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	07651991	संचालक
7	श्री नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग	02037213	संचालक

स. क्र.	नाम	डीआईएन	पदनाम
8	श्री मनीष रस्तोगी प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग	02579544	संचालक
9	श्री नीतेश व्यास प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग	02320055	संचालक
10	श्री मनीष सिंह प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग	02947579	प्रबंध संचालक
11	श्रीमती सुषमा दुबे	ईआरपीडी 8773जे	संचालक (वित्त) और सीएफओ
12	श्री संदीप जैन	एम.न.एफ 7847	कंपनी सचिव

(iii) स्वतंत्र संचालक द्वारा घोषणा और पुनः नियुक्ति, यदि कोई हो:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 839(ई) दिनांक 5 जुलाई, 2017 द्वारा कंपनी (संचालकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2017 को अधिसूचित किया है। जिसमें "संयुक्त उद्यम" की प्रकृति की गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) में प्रावधान किए गए अनुपालन की आवश्यकताओं से छूट दी गई है। उपरोक्त अधिसूचना के मद्देनजर, आपकी कंपनी को संचालक मंडल में स्वतंत्र संचालकों की नियुक्ति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

(iv) बोर्ड की बैठकों की संख्या:

1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक वित्तीय वर्ष के दौरान संचालक मंडल की दो (2) बैठकें हुईं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिन तारीखों पर बैठकें हुईं, वे हैं: -26 अगस्त, 2020 और 29 दिसंबर, 2020। संचालक मंडल द्वारा 29 नवंबर 2021 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया गया।

(v) बोर्ड की समितियाँ:

संचालक मंडल द्वारा निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया था:

समिति	31/03/2021 को समिति सदस्य	प्रतिवेदन की तिथि के अनुसार सदस्य	पदनाम
लेखा परीक्षा समिति	श्री मनोज गोविल श्री ओ.एच. पांडे श्री नीतेश व्यास	श्री मनोज गोविल प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन वित्त विभाग	अध्यक्ष
		श्री ओ.एच. पांडे संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार के नामित	सदस्य
		सुश्री छवि भारद्वाज, प्रबंध संचालक एमपीएमआरसीएल	सदस्य सचिव

समिति	31/03/2021 को समिति सदस्य	प्रतिवेदन की तिथि के अनुसार सदस्य	पदनाम
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	श्री नीरज मंडलोई श्री ओ.एच. पांडे श्री नीतेश व्यास श्री जयदीप, ओएसडी (यूटी), एमओएचयूए	श्री नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग	अध्यक्ष
		श्री ओ.एच. पांडे संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी), भारत सरकार के नामित	सदस्य
		सुश्री छवि भारद्वाज प्रबंध संचालक एमपीएमआरसीएल	सदस्य सचिव
		श्री जयदीप ओएसडी (यूटी), एमओएचयूए	स्थायी आमंत्रित

(vi) लेखा परीक्षा समिति की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की शर्तों का पालन करते हुए, आपके संचालक मंडल ने एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। लेखा परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के तीन नामित संचालक शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

(vii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार, आपके संचालक मंडल ने एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति में सदस्य के रूप में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के तीन नामित संचालक शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की विधिवत एक (1) बैठक 05 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई थी।

19. प्रबंधकीय और कर्मचारी पारिश्रमिक:

वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 में निर्धारित सीमा के भीतर प्रबंधकीय और कर्मचारी पारिश्रमिक का भुगतान किया है।

20. धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा धारा 186 के तहत कोई ऋण या गारंटी नहीं दी गई है और कोई निवेश नहीं किया गया है।

21. धारा 188(1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण:

कंपनी अधिनियम की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई थी।

22. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, सहपठित उस के अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी पर लागू नहीं थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की नई सम्मिलित उप-धारा (9) के अनुसार कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 जो 22 जनवरी 2021 से प्रभावी है, जहां उप-धारा (5) के तहत एक कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली राशि ₹ पचास लाख से अधिक नहीं है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन के लिए उप-धारा (1) के तहत आवश्यकता लागू नहीं होगी और ऐसे मामलों में इस धारा के तहत व्यवस्थित, समिति के कार्यों का कंपनी के संचालक मंडल द्वारा निर्वहन किया जाएगा।

23. जोखिम प्रबंधन और आंतरिक पर्याप्तता:

कंपनी के पास वे जोखिम जो कंपनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं या अवसर जिनका उपयोग अधिकतम लाभ प्राप्त करने में किया जा सकता है, उनको पहचानने और संचालक मंडल को सूचित करने के लिए पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया है।

24. संचालकों के उत्तरदायित्व का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (सी) में संदर्भित संचालकों के उत्तरदायित्व विवरण के अनुसार, यह कथन है कि:-

- ए) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था और साथ ही महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;
- बी) संचालकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें निरंतर लागू किया, निर्णय लिए और अनुमान बनाए जो कि उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि को दर्शाते हुए कंपनी के काम-काज की सही और निष्पक्ष छवि प्रस्तुत की जा सके;
- सी) संचालकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को पहचानने और रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी थी।
- डी) संचालकों ने एक निरंतर संस्था के आधार पर वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे तैयार किए थे; तथा
- ई) संचालकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से परिचालित हो रही थीं।

25. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ और प्रबंधन के उत्तर परिशिष्ट-"बी" में संलग्न हैं।

26. लागत लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को न तो लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की और न ही लागत लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है।

27. सचिवीय लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 सहपठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने मैरसे निलेश गुप्ता एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, (सीपी नं.6846) को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा जारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-सी में रखी गई है।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं: -

1. संचालक मंडल की वर्ष के दौरान दो (2) बार बैठक हुई। जिन तारीखों को बैठकें आयोजित की गईं, वे हैं:- 26 अगस्त, 2020 और 29 दिसंबर, 2020। तथापि, कंपनी को कैलेंडर वर्ष के दौरान कम से कम चार बोर्ड बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता थी और दो बोर्ड बैठकों के बीच का अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. समीक्षा अवधि के दौरान 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण को सीएजी की टिप्पणियों, यदि कोई हों, की अनुपलब्धता के कारण 05 अक्टूबर, 2020 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में अपनाया नहीं गया था।

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के लिए प्रबंधन का स्पष्टीकरण निम्नानुसार है: -

- क. भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करेंगे
- ख. सचिवीय लेखापरीक्षक का अवलोकन स्व-व्याख्यात्मक है और इसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

28. मानव संसाधन:

एमपीएमआरसीएल में मानव संसाधन विभाग का उद्देश्य एक स्थिर कार्य वातावरण बनाना है। 31 मार्च, 2021 को एमपीएमआरसीएल में कर्मचारियों की संख्या 33 थी। आपकी कंपनी विभिन्न मानव संसाधन कंपनी में नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

29. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर कामगार/कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

30. अभिस्वीकृति:

कंपनी का संचालक मंडल कंपनी के संचालन में सभी श्रमिकों, कर्मचारी सदस्यों और अधिकारियों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद और सराहना को रिकॉर्ड पर रखना चाहता है। संचालकों ने कंपनी के प्रबंधन में शोयरधारकों के निरंतर समर्थन, सहयोग और विश्वास के लिए वास्तविक धन्यवाद को भी रिकॉर्ड पर रखा है।

बोर्ड के आदेश से

मेसर्स मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, लिमिटेड के लिए

स्थान: भोपाल
दिनांक: 22.04.2022

हस्ताक्षर कृत/-
(मनीष सिंह)
संचालक

हस्ताक्षर कृत/-
(छवि भारद्वाज)
प्रबंध संचालक

फॉर्म नं. एमजीटी 9

31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति में वार्षिक विवरणी का सारांश

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार)

I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

1.	सी आई एन	U75100MP2015SGC034434
2.	रजिस्ट्रेशन दिनांक	09 जुलाई 2015
3.	कंपनी का नाम	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	मेट्रो रेल परिवहन सेवा
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	द्वितीय तल, स्मार्ट सिटी डवलपमेंट कार्पोरेशन कार्यालय भवन, कालीबाड़ी रोड, बीएचईएल, सेक्टर ए, बरखेड़ा भोपाल -462016
6.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
7.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो,	लागू नहीं

II. कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधियाँ

(कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदान करने वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियाँ बताई जाएगी)

स.क्र.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा के एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	शहरी और उप-शहरी मेट्रो रेलवे परिवहन सेवाएं	99641112	100

III. होल्डिंग, सहयोगी और सहायक कंपनियों का विवरण -

स.क्र.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन	"होल्डिंग/सहायक/सहयोगी"	शेयर रखने का प्रतिशत	लागू योग्य धारा
1	निरक	निरक	निरक	निरक	निरक

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल का विश्लेषण)

1) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में रखे गए शेयर्स की संख्या (01 अप्रैल 2020 तक)			वर्ष के अंत में रखे गए शेयर्स की संख्या (31 मार्च 2021 तक)				वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का प्रतिशत	
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर्स का %	डीमैट	भौतिक	कुल		कुल शेयर्स का %
ए. संस्थापक									
(I) भारतीय									
ए) व्यक्तिगत / एडव्यूएफ									
बी) केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-	17,60,90,000	17,60,90,000	50%	100%
सी) राज्य सरकार	-	30,00,00,000	3,00,00,000	100%	-	17,60,90,000	17,60,90,000	50%	487%

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में रखे गए शेयर्स की संख्या (01 अप्रैल 2020 तक)			वर्ष के अंत में रखे गए शेयर्स की संख्या (31 मार्च 2021 तक)				वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का प्रतिशत	
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर्स का %	डीमैट	भौतिक	कुल		कुल शेयर्स का %
डी) निगमित निकाय ई) बैंक/वित्तीय संस्थान एफ) कोई अन्य									
उप-जोड़	-	30,000,000	3,00,00,000	100%	-	35,21,80,000	35,21,80,000	100%	1074%
(ए) (1) (1) विदेशी ए) अनिवासी- व्यक्ति बी) अन्य- व्यक्ति सी) निगमित निकाय डी) बैंक/वित्तीय संस्थान ई) कोई अन्य उप-जोड़ (ए) (1)(2)	/								
योग संस्थापक की शेयरधारिता (ए) = (ए) (1)+ए (2)	-	300,00,000	300,00,000	100%	-	35,21,80,000	35,21,80,000	100%	1074%
बी) सार्वजनिक शेयरधारिता संस्थान ए) म्यूचुअल फण्ड बी) बैंक/वित्तीय संस्थान सी) केन्द्रीय सरकार डी) राज्य सरकार ई) उद्यम कैपिटल फण्ड एफ) बीमा कंपनियाँ जी) एफ आई आई एस एच) विदेशी उद्यम पूंजी निधि आई) अन्य (उल्लेख करें) उप-जोड़ (बी) (1):	/								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में रखे गए शेयर्स की संख्या (01 अप्रैल 2020 तक)			वर्ष के अंत में रखे गए शेयर्स की संख्या (31 मार्च 2021 तक)				वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का प्रतिशत	
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर्स का %	डीमैट	भौतिक	कुल		कुल शेयर्स का %
<p>मैर- संस्थान</p> <p>ए) निगमित निकाय</p> <p>भारतीय</p> <p>विदेशी</p> <p>बी) व्यक्तिगत</p> <p>व्यक्तिगत</p> <p>शेयरधारक</p> <p>सांकेतिक शेयर पूंजी रु. 1 लाख तक</p> <p>1 लाख से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयरधारक</p> <p>सी) अन्य (निर्दिष्ट करें)</p> <p>उप-जोड़ (बी) (2):</p> <p>कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (बी) = (बी) (1) + (बी) (2)</p>									
सी. संरक्षक द्वारा जीडीआर और एडीआर के लिए धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महायोग (ए+ बी+सी)	-	300,00,000	300,00,000	100	0	35,21,80,000	35,21,80,000	100	1074

ii) संस्थापकों (प्रमोटर्स) की शेयर होल्डिंग –

स. क्र.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में परिवर्तन का प्रतिशत
		शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत	कुल शेयर्स के लिए गिरवी / भारग्रस्त शेयर्स का प्रतिशत	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत	कुल शेयर्स के लिए गिरवी / भारग्रस्त शेयर्स का प्रतिशत	
	भारत के राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के 10 नामित व्यक्तियों के शेयर।	30000000	100	—	35,21,80,000	100	—	—
	योग	30000000	100%	—	35,21,80,000	100%	—	निरंक

(iii) प्रमोटर्स की शेयरधारिता में परिवर्तन (निर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है)

स. क्र.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान शेयरधारिता	
		शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का %	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का %
1	मध्य प्रदेश शासन। वर्ष के आरंभ में (29/12/2020 को पुनः शेयर्स जारी किये जाने से पूर्व) 29/12/2020 को पुनः शेयर्स जारी किये जाने के बाद) वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयर धारिता में वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए तिथि-वार वृद्धि / कमी, (उदाहरण के लिए आवंटन / स्वीट इक्विटी आदि):	3,00,00,000	100%	30000000	100%
ए	वर्ष के अंत में	17,60,90,000	50%	17,60,90,000	50%
ii	भारत के राष्ट्रपति				
	वर्ष के आरंभ में	—	—	—	—
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयरधारिता में वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए तिथि-वार वृद्धि / कमी, (उदाहरण के लिए आवंटन / स्वीट इक्विटी आदि):			17,60,90,000	50%
बी	वर्ष के अंत में	17,60,90,000	50%	17,60,90,000	50%
महायोग (ए+बी)		35,21,80,000	100%	35,21,80,000	100%

*वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा चुकता अंशपूजी को रुपये 30 करोड़ (3,00,00,000 करोड़ समता अंश प्रत्येक अंश रुपये 10/-) से राशि रुपये 352.18 करोड़ (35,21,80,000 समता अंश प्रत्येक अंश रुपये 10/-) बढ़ाया गया तथा कुल 32,21,80,000 समता अंश का आवंटन किया गया जिसमें से 1. 176090000 भारत के महामहिम राष्ट्रपति 2. 146090000 मध्यप्रदेश के राज्यपाल।

(iv) शीर्ष दस शेयरहोल्डर्स की शेयरधारिता का पैटर्न

(संचालकों, प्रमोटर्स और जीडीआर और एडीआर के धारकों के अलावा): निरंक

स. क्र.	शीर्ष दस शेयरहोल्डर्स के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में				
2	शेयरधारिता में वर्ष के दौरान तिथि वार वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए कमी (जैसे आउटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)	लागू नहीं			
3	वर्ष के अंत में (या अलग होने की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलग किया गया हो)				

(v) संचालकों एवं प्रधान प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता

स. क्र.	संचालकों एवं प्रधान प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में संवयी शेयरधारिता	
		शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में				
2	शेयरधारिता में वर्ष के दौरान तिथि वार वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए कमी (जैसे आउटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)	भारत के राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के 10 नामित व्यक्तियों के शेयर।			
3	वर्ष के अंत में				

V) ऋणग्रस्तता

बकाया /अर्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, लेकिन भुगतान देय नहीं।

(राशि रुपये में)

	जमा राशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(i) मूल राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ii) ब्याज देय किन्तु भुगतान नहीं	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(iii) ब्याज उपाजित किन्तु देय नहीं	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग (i+ ii+iii)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
परिवर्धन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
कमी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
शुद्ध परिवर्तन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
(i) मूल राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ii) ब्याज देय किन्तु भुगतान नहीं	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(iii) ब्याज उपार्जित किन्तु देय नहीं	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग (i+ ii+iii)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

VI संचालकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक—

ए. प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालकों और/या प्रबंधकों को पारिश्रमिक: निरंक

स. क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक/ प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1	सकल वेतन a) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) के अधीन लाभों का मूल्य b) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले जान	निरंक	निरंक
2	स्टाफ विकल्प		
3	स्वीट इक्विटी		
4	कमीशन —लाभ के प्रतिशत के रूप में —अन्य, निर्दिष्ट करें		
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		
	योग (ए)		
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा		

बी. अन्य संचालकों को पारिश्रमिक

स. क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	संचालकों का नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र संचालक बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस कमीशन अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		निरंक
	योग (1)		

2	अन्य गैर-कार्यकारी संचालक बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस कमीशन अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		निरंक
	योग (2)		निरंक
	योग बी= (1+2)		निरंक
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		निरंक

सी. प्रबंध संचालक / प्रबंधक पूर्णकालिक संचालक के अलावा प्रधान प्रबंधकीय कर्मचारियों को पारिश्रमिक (राशि रुपये में)

स.क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रधान प्रबंधकीय कर्मचारी			
		(CEO)	कंपनी सचिव	(CFO)	योग
1	सकल वेतन (ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	00	10,56,000 /-	00	00
	(बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अधीन लाभों का मूल्य	00	00	00	00
	(सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बढ़ते लाभ	00	00	00	00
2	स्टाक विकल्प	00	00	00	00
3	स्वीट इविडटी	00	00	00	00
4	कमीशन -लाभ के प्रतिशत के रूप में -अन्य, निर्दिष्ट करें	00	00	00	00
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	00	00	00	00
	योग	00	10,56,000 /-	00	00

VII जुर्माना/दंड/अपराधों की समाप्ति (कंपाउंडिंग) :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिसूचित जुर्माना /दंड/कंपाउंडिंग का विवरण	प्राधिकारी (आर डी/एन सीएलटी/ न्यायालय)	अपील यदि की गई (विवरण दें)
ए. कंपनी					
जुर्माना			कोई नहीं		
दण्ड					
कंपाउंडिंग					
बी. संचालक					
जुर्माना			कोई नहीं		
दण्ड					
कंपाउंडिंग					
सी. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
जुर्माना			कोई नहीं		
दण्ड					
कंपाउंडिंग					

परिशिष्ट-"बी"

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ब) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत वित्तीय प्रतिवेदन हेतु निर्धारित रूपरेखा अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखापरीक्षक, इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के अनुसार लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किए गए स्वतंत्र लेखा परीक्षण के आधार पर अधिनियम, की धारा 143 के अंतर्गत अभिमत देने के लिए उत्तरदायी है। उनके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 09 दिसंबर 2021 द्वारा यह किया जाना बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ए) के अंतर्गत मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संपादित की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के संपादित परिकलन से गुजरे बिना स्वतंत्र रूप से संपादित की है और प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी के कर्मियों से पूछ-ताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों के चयनित परीक्षण तक सीमित है।

मेशी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आये हैं और जो मेरे दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों और संबंधित आडिट रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है।

ए. लाभप्रदता पर टिप्पणी

लाभ और हानि का विवरण

व्यय

अन्य व्यय (नोट-29) ₹. 733.29 लाख

1. कंपनी ने अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 की अवधि के लिए भोपाल स्मार्ट सिटी विकास निगम लिमिटेड को प्रतिमाह देय ₹.8.65 लाख की दर के बजाय ₹. 6.64 लाख प्रति माह से किराए का प्रावधान किया। कम प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप ₹.12.06 लाख तक अन्य व्यय, प्रावधानों एवं हानि का न्यूनकथन तथा अन्य इक्विटी (नोट-14) का अधिकथन हुआ।

प्रबंधन का उत्तर।

उल्लेखनीय है कि भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बार-बार स्मरणपत्र देने पर भी अवकाश एवं अनुज्ञप्ति (लायसेंस) अनुबन्ध का निष्पादन प्रक्रियाधीन था। किराये की राशि के विवरण वाले औपचारिक अनुबंध के अभाव में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार प्रावधान की राशि (6.63,868 x 6=39,83,208) संगणित की गई है।

इसके अलावा, प्रावधान के संबंध में दिशा-निर्देशों को भविष्य की अवधियों के वित्तीय विवरणों में सुनिश्चित किया जाएगा।

व्यय

अन्य व्यय (नोट- 29) ₹.733.29 लाख

2. कंपनी ने नवंबर 2018 से सितंबर 2020 तक की अवधि के लिए ₹.198.21 लाख के किराये का भुगतान किया था और इसे लाभ और हानि के विवरण में असाधारण मदों के रूप में दिखाया गया था। तथापि, अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक की अवधि के लिए भुगतान किए गए ₹.5189340.00 के किराये को व्यय के रूप में माना जाना चाहिए और अन्य व्ययों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप ₹.51.89 लाख तक अन्य व्ययों का न्यूनकथन, असाधारण मदों का अधिकथन तथा उसी सीमा तक हानि का न्यूनकथन हुआ।

प्रबंधन का उत्तर।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपरोक्त टिप्पणी प्रस्तुतिकरण से संबंधित है जिसे भविष्य की अवधियों के वित्तीय विवरणों में सुनिश्चित किया जाएगा।

बी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2020-21 के लेखों के प्रमाणीकरण के समय वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरण को नहीं अपनाया गया था। इस तथ्य का प्रकटीकरण स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।

प्रबंधन का उत्तर।

उपरोक्त टिप्पणी के उत्तर में सांविधिक लेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में पिछले वर्ष के लेखों को न अपनाने के तथ्य पर टिप्पणी की है कि इसे अनजाने में नहीं लिया गया है जिसे भविष्य की अवधि में सुनिश्चित किया जाएगा।

सी सामान्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के गैर-अनुपालन में कंपनी ने चार बैठकों के बदले वर्ष 202-21 के दौरान संचालक मंडल की केवल दो बैठकें आयोजित की थीं।

प्रबंधन का उत्तर।

भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।



पत्र क्र. र.स्य.जे.ए.मि.डी.रेल/उत्तराधिकार/आ-14

दिनांक: 12.04.2022

प्रति

प्रबंध निदेशक,
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड,
पालिका भवन शिवाजी नगर
भोपाल,
मध्य प्रदेश, 452 003

विषय:- मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों।

महोदया,

विषयान्तर्गत मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है। जिसे आप संवाहकों के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप में वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशित करें। वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने के बाद उसकी 05 प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें एवं इस पत्र की फावती भिजवाएं।

संलग्नक: सशोधरि

भवदीय,


वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ए.एम.जी. II

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE
FINANCIAL STATEMENTS OF MADHYA PRADESH METRO RAIL
CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021**

The preparation of financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited, Bhopal for the year ended 31 March 2021 in accordance with financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 09 December, 2021.

I, on behalf of Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2021 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditor and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditor and Company personnel and selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which, in my view, are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report:

A. Comment on Profitability

Statement of Profit and Loss

Expenses

Other expenses (Note-29) Rs 733.29 lakh.

I. Company made provision for rent for the period from October 2020 to March 2021 at the rate of Rs 6.64 lakh per month instead of Rs. 8.65 lakh per month payable to Bhopal Smart City Development Corporation Limited. Short provisioning resulted in

understatement of Other Expenses, understatement of Provisions, understatement of loss and overstatement of Other Equity (Note-14) by Rs. 12.06 lakh.

Expenses

Other expenses (Note-29) Rs 733.29 lakh

2. Company paid rent of Rs 198.21 lakh for the period from November 2018 to September 2020 and the same was shown as Exceptional Items in Statement of profit and loss. However, the rent of Rs 5189340 paid for the period from April 2020 to September 2020 should have been treated as expenditure and included in Other expenses. This has resulted in understatement of Other expenses, overstatement of Exceptional Items by Rs 51.89 lakh and understatement of loss to the same extent.

B. Comments on Auditor's Report

The financial statements for the year 2019-20 were not adopted at the time of certification of accounts by the Auditor for the year 2020-21. This fact should have been disclosed in the Independent Auditor's Report. Thus, the Independent Auditor's Report is deficient to that extent.

C. General

The Company held only two meeting of the Board of Directors during the year 2020-21 instead of the four meetings in non-compliance of Section 173 of the Companies Act, 2013.

For and on the behalf of the
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA



(Bijit Kumar Mukherjee)
Accountant General,
Audit-II
Madhya Pradesh, Bhopal

Place: Bhopal

Date: 12.04.2022

सेवा में,

सदस्यगण,

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पूर्व में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

द्वितीय तल, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लिमिटेड कार्यालय भवन,

कालीबाड़ी रोड, बीएचईल, सेक्टर ए, बरखेडा,

भोपाल म.प्र. 462022 आईएन

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. यह कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेख संधारित करे, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से संचालित हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी सचिवीय अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा संधारित इन सचिवीय अभिलेखों, पालन किए गए मानकों और प्रक्रियाओं पर राय व्यक्त करना है।
3. हमें विश्वास है कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारी, हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।
4. जहां कभी भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

अस्वीकरण (डिस्क्लेमर)

1. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।
2. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

नीलेश गुप्ता एंड कॉ. के लिए
कंपनी सचिव

दिनांक/24/12/2021

स्थान: इंदौर

हस्ताक्षर कृत/-
सी.एस. नीलेश गुप्ता
प्रोप्राइटर
सी.पी. संख्या 6846

प्रपत्र संख्या. एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसार और

कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 का नियम 9,

सेवा में,

सदरस्यगण,

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पूर्व में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉ. लिमिटेड)

द्वितीय तल, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कार्यालय भवन,

कालीबाड़ी रोड, वीएचईल, सेक्टर ए, बरखेडा

भोपाल म.प्र. 462022 आईएन

हमने मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉ. लिमिटेड) (इसके बाद कंपनी कहा गया है) द्वारा प्रवर्तित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से संचालित की गयी थी जो हमें कॉर्पोरेट व्यवहारों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान कर सके।

कंपनी का संचालक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी जिम्मेदारी वर्ष के दौरान किए गए अनुपालनों की नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा करने की है। हमने मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, भरे गए रिटर्न एवं फार्म और कंपनी द्वारा संधारित अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंट और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से हमारे सत्यापन के आधार पर ऐसी विधियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है।

हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि रिपोर्टिंग के अध्यक्षीन कंपनी के पास उस सीमा तक उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-प्रणाली है।

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा संधारित की गई पुस्तकों, दस्तावेजों कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और भरे गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 और उसके नियम;
- (iii) मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 और उसके नियम, और
- (iv) कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख।
- (v) सिन्धोरिटीज कान्ट्रेक्ट्स (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (vi) डिपॉजिटरी एक्ट (निक्षेपागार अधिनियम) 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम,
- (vii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम।

हमने निम्नलिखित के लागू कलाजेज के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और अभ्यावेदनों के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अधीन, कंपनी ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी द्वारा संधारित पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और भरे गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- (i) विभिन्न वैधानिक रजिस्ट्रारों और दस्तावेजों का संधारणकर उनमें आवश्यक प्रविष्टियां करना;
- (ii) कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करने के लिए आवश्यक फॉर्म, रिटर्न, दस्तावेज और संकल्प;
- (iii) कंपनी द्वारा अपने सदस्यों, लेखा परीक्षकों और कंपनी रजिस्ट्रार पर दस्तावेजों की सेवा;
- (iv) संचालकों की बोर्ड और विभिन्न समिति की बैठकों की सूचना ;
- (v) संचालकों और संचालकों की सभी समितियों की बैठकें;
- (vi) 05 अक्टूबर, 2020 को आयोजित 5वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और आयोजन;
- (vii) बोर्ड की बैठकों, समिति और सदस्यों की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त;
- (viii) जहां कहीं आवश्यक हो, संचालक मंडल, संचालकों की समिति, सदस्यों और शासकीय प्राधिकारियों का अनुमोदन;
- (ix) संचालक मंडल का गठन, संचालकों की समितियां और संचालकों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति;
- (x) संचालकों और प्रबंध संचालक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान;
- (xi) सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक;
- (xii) कंपनी के शेयर्स का हस्तांतरण, निर्गम एवं आवंटन;
- (xiii) पंजीकृत कार्यालय और कंपनी के नाम का प्रकाशन एवं संपर्क;
- (xiv) संचालक मंडल की रिपोर्ट;
- (xv) कंपनी की निधियों का निवेश;
- (xvi) सामान्य रूप से, अधिनियम के अन्य सभी लागू प्रावधान और उसके तहत नियम;
- (xvii) हमारी राय में, कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र हैं और उसके पास है

लागू वैधानिक प्रावधानों, अधिनियम (अधिनियमों), नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, लागू सचिवीय मानकों, आदि के साथ अनुपालन किया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है और कंपनी के मेमोरैंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत निर्धारित है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के संचालक मंडल का कार्यकारी संचालकों, गैर-कार्यकारी संचालकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित किया गया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 839(ई) दिनांक 5 जुलाई, 2017 द्वारा कंपनी (संचालकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2017 अधिसूचित किया है, जिसमें "संयुक्त उद्यम" प्रकृति की गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) में प्रावधान किए गए अनुपालन की आवश्यकताओं से छूट दी गई है। उपरोक्त अधिसूचना के मद्देनजर, आपकी कंपनी को संचालक मंडल में स्वतंत्र संचालकों की नियुक्ति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित संचालकों को कंपनी के नामित संचालक के रूप में नियुक्त किया गया है:

डीआईएन	पूरा नाम	पद	नियुक्ति की तिथि
01653503	श्री कामरान रिजवी	अध्यक्ष एवं संचालक (भारत सरकार के नामिती)	18/11/2020
01911714	सुश्री डी. थारा	नामित संचालक (भारत सरकार के नामिती)	18/11/2020
08102041	श्री संजय मिश्रा	नामित संचालक (भारत सरकार के नामिती)	18/11/2020
08121844	श्री बी.के. गुप्ता	नामित संचालक (भारत सरकार के नामिती)	18/11/2020
08397090	श्री ओ.एच. पांडे	नामित संचालक (भारत सरकार के नामिती)	18/11/2020
07651991	श्री मनोज गोविल	नामित संचालक (म.प्र. शासन के नामिती)	18/11/2020 (पदनाम में परिवर्तन)
02320055	श्री नीतेश व्यास	प्रबंध संचालक (म.प्र. शासन के नामिती)	18/11/2020 (पदनाम में परिवर्तन)
02579544	श्री मनीष रस्तोगी	नामित संचालक (म.प्र. शासन के नामिती)	18/11/2020 (पदनाम में परिवर्तन)
02037213	श्री नीरज मंडलोई	नामित संचालक (म.प्र. शासन के नामिती)	18/11/2020 (पदनाम में परिवर्तन)
02008508	श्री निकुंज श्रीवास्तव	नामित संचालक (म.प्र. शासन के नामिती)	18/11/2020 (नियुक्ति) 25/01/2021(समाप्ति)
02947579	श्री मनीष सिंह	प्रबंध संचालक (म.प्र.शासन के नामिती)	25/01/2021

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए संचालक मंडल की संरचना में परिवर्तन, भारत सरकार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन शहरी विकास और आवास विभाग, के आदेशों तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनी अधिनियम के अनुपालन के अनुरूप किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों को आयोजित करने के लिए सभी संचालकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया था, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले कार्यसूची पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से किए गए थे जैसा कि संचालक मंडल या बोर्ड की समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया था, जैसा भी मामला हो।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान:

मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के 50:50 संयुक्त उद्यम के साथ कंपनी की स्थिति एक सरकारी कंपनी के रूप में बनी हुई है। इसके अलावा, हमारा विचार है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 (कंपनी को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट कार्य) के लागू प्रावधानों का अनुपालन करने में नियमित है।

- कंपनी द्वारा संधारित विभिन्न अभिलेखों के अवलोकन से इस तथ्य की जांच की गई है कि इस आशय का अनुपालन किया गया है।
- समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के संचालक मंडल का विधिवत गठन किया गया था और संचालकों की नियुक्ति और समाप्ति, कंपनी अधिनियम, 2013 और संबंधित सरकारी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार की गई है। कंपनी ने सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमने निम्नलिखित के लागू क्लॉज के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;
- (ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों विनियम, दिशानिर्देश, मानक इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

लागू कानूनों के संबंध में विशिष्ट टिप्पणियों/लेखा परीक्षा अहंता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियों पर पैरा-वार रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न "परिशिष्ट ए" (रिपोर्ट का अभिन्न भाग) में दी गई है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों, मानकों आदि की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

कंपनी की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निम्न दृष्टांत नहीं थे:

- (i) शेयर्स/डिबेंचर्स/स्वीट ड्रिक्टी का सार्वजनिक निर्गम।
- (ii) प्रतिभूतियों का मोचन/वापसी-क्रय।
- (iii) विलय/समामेलन/पुनर्निर्माण आदि।
- (iv) विदेशी तकनीकी सहयोग।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित दृष्टांत थे:

1. कंपनी के नाम में बदलाव एवं मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) और एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल (एओए) में बदलाव। वर्ष के दौरान कंपनी ने 05 अक्टूबर, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में अपना नाम मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड से मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में विधिवत रूप से बदल दिया है और परिणामतः वर्ष के दौरान एमओए और एओए को भी बदल दिया है।
2. कंपनी की अधिकृत पूंजी में वृद्धि और मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) और एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल (एओए) में बदलाव। वर्ष के दौरान कंपनी ने संचालक मंडल से अनुमोदन के बाद 05 अक्टूबर, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 30 करोड़ रुपये (तीस करोड़ रुपये से रु.5000 करोड़ (पांच हजार करोड़) तक बढ़ा दिया है।
3. एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल और मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के नए सेट को अपनाना। वर्ष के दौरान कंपनी ने 05 अक्टूबर, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल और मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के नए सेट को अपनाया है।
4. कंपनी के संचालक मंडल के गठन में बदलाव। चूंकि कंपनी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) में 50:50 में परिवर्तित हो गई है, इसलिए कंपनी ने 50:50 संयुक्त स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड का पुनर्गठन किया है जो इस प्रकार है:

संचालक मंडल का 50% प्रतिनिधित्व भारत सरकार के नामितियों द्वारा किया जा रहा है और 50% संचालक मंडल का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश शासन के नामितियों द्वारा किया जा रहा है।

5. शेयर्स का आवंटन

वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रदत्त शेयर पूंजी को रु. 30 करोड़ (3,00,00,000 रुपये 10/प्रत्येक का इक्विटी शेयर) से कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सममूल्य के साथ राइट इश्यू के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करके रु.352.18 करोड़ (रुपये 10/प्रत्येक के 35,21,80,000 इक्विटी शेयर) तक बढ़ा दिया है।

कंपनी ने आवंटियों को 32,21,80,000 इक्विटी शेयर्स का आवंटन किया है, जिसकी सूची यहां दी गई है:

क्र.सं.	आवंटी का नाम	रुपये 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर्स की संख्या
1	भारत के राष्ट्रपति	17,60,90,000
2	मध्य प्रदेश के राज्यपाल	14,60,90,000

और वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न नामितों के पास मौजूदा रु.3 करोड़ शेयर मध्य प्रदेश के राज्यपाल को हस्तांतरित कर दिए गए थे।

परिशिष्ट ए

- वर्ष के दौरान संचालक मंडल की दो (2) बार बैठक हुईं जिन तारीखों को बैठकें आयोजित की गईं, वे हैं:- 26 अगस्त, 2020- और 29 दिसंबर, 2020। हालांकि कंपनी को कैलेंडर वर्ष के दौरान कम से कम चार बोर्ड बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता थी और दो बोर्ड बैठकों के बीच का अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए था।
- समीक्षा अवधि के दौरान 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण को सीएजी की टिप्पणियों, यदि कोई हो, की अनुपलब्धता के कारण 05 अक्टूबर, 2020 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में अपनाया नहीं गया था।



स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरण अभिमत का अंकेक्षण प्रतिवेदन

1. हमने मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकद प्रवाह विवरण और उस समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश आदि विवरण सम्मिलित हैं।

अभिमत

2. हमारे अभिमत, सर्वोत्तम जानकारी और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण, 31 मार्च 2021 को कंपनी के मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), और इसकी हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इसका नकद प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन, और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों ('Ind AS') में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा वांछित आवश्यक जानकारी और एक सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।
3. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों के अनुसार अपना अंकेक्षण किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक के उत्तरदायित्व में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ('ICAI') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएँ जो अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक हैं, हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख अंकेक्षण मामले

4. प्रमुख अंकेक्षण मामले वे हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण और उन पर अपना अभिमत देने के संदर्भ में संबोधित किया गया है, और हम इन मामलों पर अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर अंकेक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

5. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। इसमें वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी का समावेश है, लेकिन वित्तीय विवरण और हमारे अंकेक्षक का प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी का समावेश नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को समझना है और इस बात पर विचार करना कि कहीं अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत तो नहीं है या कहीं अंकेक्षण में प्राप्त जानकारी भौतिक रूप से गलत तो नहीं है। यदि, हमारे कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का विवरण भौतिक रूप से गलत है; हमें उस तथ्य को संज्ञान में लाना होगा। हमारे पास इस संबंध में संज्ञान में लाने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों में प्रबंधन और अंकेक्षण समिति का उत्तरदायित्व

6. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के इक्विटी और नकद प्रवाह में परिवर्तन, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट Ind As सहित, जो मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन) का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव और धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन करना, उचित निर्णय और अनुमान लगाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का विवेकपूर्ण डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव का समावेश है, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत और वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है और संभावित धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक रूप से गलत विवरण से मुक्त है।
7. वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है, जिसमें कंपनी के एक लाभदायी संस्था के रूप में संचालन की योग्यता, प्रकटीकरण, औचित्य, इससे संबंधित मामलों और लेखांकन के आधार पर संस्था का संचालन करने, जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो, आदि आकलन का समावेश है।
8. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व

9. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटियों से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटिवश हो, और अंकेक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत सम्मिलित है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा भौतिक गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की संभावना हो।
10. अंकेक्षण मानकों के अनुसार अंकेक्षण की प्रक्रिया में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे अंकेक्षण में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम :
 - ए. वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले भौतिक गलत विवरण का पता न लग पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले गलत विवरण से कहीं अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकता है।
 - बी. परिस्थितियों में उपयुक्त डिजाइन और प्रक्रियाओं के लिए और इसके लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस पर अपना अभिमत समझाने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
 - सी. उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- डी. लेखांकन और प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर लाभदायी प्रतिष्ठान के प्रबंधन की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालते हैं, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी को एक लाभदायी प्रतिष्ठान के रूप में संचालन की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भौतिक अनिश्चितता का अस्तित्व है, तो हमें अपने अंकेक्षक की रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासे की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपना अभिमत संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे अंकेक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या शर्तें कंपनी को लाभदायी प्रतिष्ठान के रूप में चलने से बाधित कर सकती हैं।
- ई. प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना, विषयवस्तु और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है, आदि का मूल्यांकन करते हैं।
11. हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षों, जिन्हें हम अपने अंकेक्षण के दौरान पहचानते हैं, उनके बारे में शासन के प्रभारी लोगों से संवाद करते हैं।
 12. हम अंकेक्षण समिति के साथ ही विवरण भी प्रदान करते हैं जिन पर हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करते हैं जिसके लिए हम स्वतंत्र हैं, और जहाँ आवश्यक हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी प्रदान करते हैं।
 13. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में अक्सर वर्तमान अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख अंकेक्षण मामले हैं। हम अपने अंकेक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले पर सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जनहित के स्थान पर ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।
 14. हम मानते हैं कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे अंकेक्षण अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

15. जैसा कि अधिनियम की धारा 197(16) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के तहत निर्धारित प्रावधानों और सीमाओं के अनुसार वर्ष के दौरान अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।
16. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') की आवश्यकता के अनुसार, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर संलग्नक ए में विवरण देते हैं।
17. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार संलग्नक ए में हमारी टिप्पणियों के अलावा, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - ए. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारे अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;
 - बी. हमारे अभिमत में, कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
 - सी. इस रिपोर्ट में उल्लेखित वित्तीय विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं;

- डी. हमारे अभिमत में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट Ind As का अनुपालन करते हैं;
- ई. निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए, 31 मार्च 2021 को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप कोई भी अयोग्य व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है;
- एफ. कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 (जैसा संशोधित) के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमें:
1. कंपनी ने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है;
 2. कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर, लागू कानून या Ind AS के तहत, भौतिक नुकसान, यदि कोई हो, के लिए आवश्यक प्रावधान किया है;
 3. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा नियेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कोई राशि नहीं थी।

दिनांक: 09.12.21

स्थान: भोपाल

UDIN: 21076883AAABLA1098

प्रमोद के शर्मा एंड कॉ. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(हस्ताक्षर कृत/-)

(सीए प्रमोद शर्मा)

पार्टनर

M. नं. 076883

FRN नं.007857C

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र अंकेक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट का संलग्न

संलग्नक A

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई अंकेक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और लेखा पुस्तकों और अन्य अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए अंकेक्षण की सामान्य प्रक्रिया में हमारे द्वारा जांच की गई, और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1.
 - a. कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
 - b. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जिसके तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सालाना सत्यापन किया जाता है, जो हमारे अभिमत में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति के अनुसार उचित है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का सत्यापन किया गया और इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।
 - c. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है।
2. कंपनी मेट्रो रेल परियोजनाओं को विकसित करने के व्यवसाय में है और उसके पास कोई भौतिक स्कंध नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पार्टी को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।
4. हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने नियेश करने के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कंपनी ने ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की हैं, तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
5. हमारे अभिमत में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित) के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार आदेश के खंड 3(vi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
7. सांविधिक देय राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - a. कंपनी आम तौर पर उपयुक्त अधिकारियों के साथ लागू निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है।
 - b. 31 मार्च, 2021 को आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर, और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।
8. कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों और सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है या कोई ऋण पत्र (डिबेंचर) जारी नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (viii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

9. कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगामी सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
10. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान न तो कंपनी द्वारा या कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी का कोई भी मामला संज्ञान में आया है या रिपोर्ट किया गया है और न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसा मामला सूचित किया गया है।
11. कंपनी द्वारा कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान और प्रदाय नहीं किया गया है, इसलिए अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं हैं।
12. हमारे अभिमत में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
13. हमारे अभिमत में संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो, और वित्तीय विवरणों आदि में अपेक्षित विवरण का खुलासा किया गया है, जैसा कि लागू Ind AS द्वारा आवश्यक है।
14. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी नियोजन या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्र नहीं बनाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
15. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र अंकेक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट का संलग्नक बी

संलग्नक बी

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र अंकेक्षक की रिपोर्ट

1. मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की हमारे अंकेक्षण के संयोजन के रूप में और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, हमने कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का उस तारीख तक का लेखा-जोखा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. कंपनी का निदेशक मंडल आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहा था, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक और आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में निर्धारित मानकों, जिन्हें आईसीएआई द्वारा जारी किया गया है और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, के अनुसार अपना अंकेक्षण किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएँ और अंकेक्षण करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और बनाए रखा गया और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।
4. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ अंकेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।
5. हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे अंकेक्षण अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

6. वित्तीय रिपोर्टिंग में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण की तैयारी में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और प्रबंधन को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति प्रदान की गई है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

7. वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण की अवहेलना की संभावना है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत विवरण होने की संभावना है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की कमियां इसका कारण हो सकता है।

अभिमत

8. हमारे अभिमत में, कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किए गए थे। कंपनी आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार कर रही है।

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉ लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

सीआईएन नंबर U75100MP2015SGC034434

31 मार्च, 2021 को बैलेंस शीट

(रुपये INR में, जब तक उल्लेख न किया गया हो)

	विवरण	नोट सं.	मार्च-21	मार्च-20	अप्रैल-19
	संपत्तियां:				
(1)	गैर-चालू संपत्तियां				
(a)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	2,985,369,146	1,171,859,346	363,252,936
(b)	वित्तीय संपत्तियां				
	(i) निवेश	4	-	-	-
	(ii) जमा	5	5,456,208	5,456,208	5,456,208
(c)	अन्य गैर-चालू संपत्तियां	6	354,987,869	443,736,004	335,989,681
	कुल गैर-चालू संपत्तियां		3,345,813,223	1,621,051,558	704,698,825
(2)	चालू संपत्तियां				
(a)	वस्तु सूची (इनवेंटरी)	7	-	-	-
(b)	वित्तीय संपत्ति				
	(i) व्यापार प्राप्तियां	8	-	-	-
	(ii) नकद और नकद समकक्ष	9	4,503,298,854	3,707,863,307	850,953,945
	(iii) ऋण	10	-	-	-
	(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियां	11	-	-	-
(c)	अन्य चालू संपत्तियां	12	218,458	50,000	723
	कुल चालू संपत्तियां		4,503,517,312	3,707,913,307	850,954,668
	कुल संपत्तियां		7,849,330,536	5,328,964,865	1,555,653,493
	इक्विटी और देनदारियां:				
(1)	इक्विटी				
(a)	इक्विटी शेयर पूंजी	13	3,521,800,000	300,000,000	300,000,000
(b)	अन्य इक्विटी	14	3,596,674,423	4,601,060,768	1,127,804,148
	कुल इक्विटी		7,118,474,423	4,901,060,768	1,427,804,148

	विवरण	नोट सं.	मार्च-21	मार्च-20	अप्रैल-19
	देनदारियाँ				
(2)	गैर-चालू देनदारियाँ:				
(a)	वित्तीय देनदारियाँ				
	(i) ऋण	15	-	-	-
(b)	प्रावधान	16	-	-	-
(c)	अस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	17	(1,326,300)	(408,080)	(377,896)
	कुल गैर-चालू देनदारियाँ		(1,326,300)	(408,080)	(377,896)
(3)	चालू देनदारियाँ				
(a)	वित्तीय देनदारियाँ				
	(i) ऋण	18	-	-	-
	(ii) व्यापार देनदारी	19	42,780,662	56,208,556	40,946,261
	(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	20	42,122,409	11,740,988	528,265
(b)	वर्तमान कर देनदारियाँ (शुद्ध)	21	-	-	-
(c)	अन्य चालू देनदारियाँ	22	17,727,249	8,848,500	7,938,216
(d)	प्रावधान	23	629,552,093	351,514,133	78,814,499
	कुल वर्तमान दायित्व		732,182,413	428,312,177	128,227,241
	कुल शेयर और देनदारियाँ		7,849,330,536	5,328,964,865	1,555,653,493

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ 1 से 43
संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

आज की तिथि में हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न
निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

प्रमोद के शर्मा एंड कॉ. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(हस्ताक्षर कृत/-)
(सीए प्रमोद शर्मा)
साझेदार
M. नं. 076883
FRN नं.007857C

दिनांक: 09.12.21
स्थान: भोपाल

(हस्ताक्षर कृत/-)
(संदीप जैन)
कंपनी सचिव

(हस्ताक्षर कृत/-)
(मनीष सिंह)
निदेशक
DIN: 02947579

(हस्ताक्षर कृत/-)
(सुषमा दुबे)
निदेशक (वित्त)

(हस्ताक्षर कृत/-)
(छवि भारद्वाज)
प्रबंध संचालक
DIN: 06499360

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉ लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

सीआईएन नंबर U75100MP2015SGC034434

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(रुपये INR में, जब तक उल्लेख न किया गया हो)

क्र.	विवरण	नोट सं.	2020-21	2019-20
I	संचालन से प्राप्त राजस्व	24	-	-
II	अन्य आय	25	96,485,941	90,026,539
III	कुल आय (I+II)		96,485,941	90,026,539
IV	व्यय			
	प्रयुक्त सामग्री की लागत	26	-	-
	व्यापार में स्टॉक की खरीद		-	-
	वित्तीय वस्तुओं की सूची में परिवर्तन, प्रगति पर काम और व्यापार में स्टॉक	27	-	-
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	20,112,406	16,825,291
	अन्य व्यय	29	73,328,929	105,603,866
	वित्त लागत	30	-	-
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	3	6,728,334	2,660,946
	कुल व्यय (IV)		100,169,669	125,090,103
V	लाभ/(हानि) विशेष वस्तुओं और कर से पूर्व		(3,683,728)	(35,063,564)
VI	विशेष वस्तुएं		19,820,837	-
VII	लाभ/(हानि) कर से पूर्व		(23,504,565)	(35,063,564)
VIII	कर व्यय			
	(1) चालू कर		-	-
	(2) आस्थगित कर		(918,220)	(30,184)
IX	समयावधि के लिए लाभ/(हानि)		(22,586,345)	(35,033,380)
X	अन्य व्यापक आय			
A(i)	आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	25.1	-	-
A(ii)	उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
B(i)	आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
B(ii)	उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			

क्र.	विवरण	नोट सं.	2020-21	2019-20
XI	अवधि (IX+X) के लिए कुल व्यापक आय जिसमें अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल हैं		(22,586,345)	(35,033,380)
XII	प्रति इक्विटी शेयर आय	32		
	(1) मूलभूत		(0.06)	(1.17)
	(2) डायल्यूटेड		(0.06)	(1.17)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरण की टिप्पणियां 1 से 43 संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

आज की तिथि में हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

प्रमोद के शर्मा एंड कॉ. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(हस्ताक्षर कृत/-)
(सीए प्रमोद शर्मा)
साझेदार
M. नं. 076883
FRN नं.007857C

दिनांक: 09.12.21
स्थान: भोपाल

(हस्ताक्षर कृत/-)
(संदीप जैन)
कंपनी सचिव

(हस्ताक्षर कृत/-)
(मनीष सिंह)
निदेशक
DIN: 02947579

(हस्ताक्षर कृत/-)
(सुषमा दुबे)
निदेशक (वित्त)

(हस्ताक्षर कृत/-)
(छवि भारद्वाज)
प्रबंध संचालक
DIN: 06499360

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

सीआईएन नंबर U75100MP2015SGC034434

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण
(रूपये INR में, जब तक उल्लेख न किया गया हो)

विवरण	31-मार्च-21		31-मार्च-20	
	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)
A. परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकद प्रवाह:				
कर पूर्व शुद्ध लाभ और असाधारण वस्तुएँ	(23,504,565)		(35,063,564)	
समायोजन : मूल्यहास के लिए	6,728,334		2,660,946	
अन्य व्यापक आय के लिए	-		-	
FDR पर ब्याज के लिए	(96,457,374)		(90,014,344)	
अन्य शेष W/o के लिए	-		-	
वित्त लागत के लिए	-		-	
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		(113,233,605)		(122,416,962)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन				
अन्य गैर-चालू पूंजी में (वृद्धि) / कमी	88,748,135		(107,746,323)	
माल सूची में (वृद्धि) / कमी	-		-	
वित्तीय पूंजी में (वृद्धि) / कमी	-		-	
अन्य वर्तमान पूंजी में (वृद्धि) / कमी	(168,458)		(49,277)	
वित्तीय देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	16,953,527		26,475,018	
अन्य मौजूदा देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	286,916,709		273,609,918	
ऋण और अग्रिम में (वृद्धि) / कमी		392,449,913		192,289,336
संचालन से प्राप्त नकद		279,216,308		69,872,374
वर्ष के दौरान प्राप्त आयकर रिफंड/(भुगतान)				
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकद प्रवाह		279,216,308		69,872,374
B. निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकद प्रवाह:	(1,820,238,135)		(811,267,356)	
अचल संपत्तियों/पूंजी डब्ल्यूआईपी की खरीद	-		-	
(अतिरिक्त)/सावधि जमा जारी करना	96,457,374		90,014,344	
एफडीआर पर प्राप्त ब्याज				

विवरण	31-मार्च-21		31-मार्च-20	
	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)
निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकद प्रवाह		(1,723,780,761)		(721,253,012)
C. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह:		-		-
अंश (शेयर) आवेदन राशि	3,221,800,000			
अंश (शेयर) पूंजी में वृद्धि	(981,800,000)		3,508,290,000	
नप्र सरकार से प्राप्त अनुदान				
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान		-		-
लंबी अवधि के ऋण से प्राप्त आय		-		-
लंबी अवधि के ऋण का पुनर्भुगतान		-		-
लघु अवधि के ऋण (शुद्ध) से प्राप्त आय/पुनर्भुगतान		-		-
लाभांश का भुगतान		-		-
ब्याज का भुगतान		-		-
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह		2,240,000,000		3,508,290,000
		795,435,547		2,856,909,362
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		-		-
अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष		-		-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरण की टिप्पणियां 1 से 43 संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

आज की तिथि में हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

प्रमोद के शर्मा एंड कॉ. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(हस्ताक्षर कृत/-)
(सीए प्रमोद शर्मा)
साझेदार
M. नं. 076883
FRN नं.007857C

दिनांक: 09.12.21
स्थान: भोपाल

(हस्ताक्षर कृत/-)
(संदीप जैन)
कंपनी सचिव

(हस्ताक्षर कृत/-)
(मनीष सिंह)
निदेशक

DIN: 02947579

(हस्ताक्षर कृत/-)
(सुषमा दुबे)
निदेशक (वित्त)

(हस्ताक्षर कृत/-)
(छवि भारद्वाज)
प्रबंध संचालक

DIN: 06499360

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था)

31 मार्च, 2021 को इक्विटी परिवर्तन

a. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	1 अप्रैल 2019 तक	वर्ष 2019-20 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2020 तक	वर्ष 2020-21 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2021 तक
इक्विटी शेयर	30,00,00,000	-	30,00,00,000	3,22,18,00,000	3,52,18,00,000
	30,00,00,000	-	30,00,00,000	3,22,18,00,000	3,52,18,00,000

b. अन्य इक्विटी

संचय एवं अधिशेष

विवरण	वितरण के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	पूंजी संचय	सामान्य संचय	पुनर्न्यायिक संचय	मप्र शासन से प्राप्त अनुदान	भारत शासन से प्राप्त अनुदान	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय (OCI)	कुल योग
1 अप्रैल, 2019 को रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	-	-	-	1,13,38,50,300	1,36,48,500	1,12,78,04,148	(19,694,652)	-	1,12,78,04,148
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि/ आवंटित अंश	-	-	-	1,05,59,90,000	2,45,23,00,000	3,50,82,90,000	(3,50,33,380)	-	3,50,82,90,000
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	(3,50,33,380)	-	-	(3,50,33,380)
Ind As एडजस्टमेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लेखा नीति में परिवर्तन/ पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2020 को रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	-	-	2,18,98,40,300	2,46,59,48,500	4,60,10,60,768	(5,47,28,032)	-	4,60,10,60,768
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि/ आवंटित अंश	-	-	-	77,91,00,000	-	77,91,00,000	(2,25,86,345)	-	77,91,00,000
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	(2,25,86,345)	-	-	(2,25,86,345)
Ind As एडजस्टमेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थानांतरण	-	-	-	-	(1,76,09,00,000)	(1,76,09,00,000)	-	-	(1,76,09,00,000)
1:1 में जारी बोनस शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	-	-	-	2,96,89,40,300	70,50,48,500	3,59,66,74,423	(7,73,14,377)	-	3,59,66,74,423

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉ लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण

नोट 3. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(रुपये INR में, जब तक उल्लेख न किया गया हो)

विवरण	कुल		मूल्यहास				नेट	
	1 अप्रैल 2020	अवधि के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2021	1 अप्रैल 2020	अवधि के लिए	निपटान पर मूल्यहास	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
ए. लैंड	-	-	-	-	-	-	-	-
बी. बिल्डिंग	-	-	-	-	-	-	-	-
i. साइट डेवलपमेंट	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. फैक्ट्री बिल्डिंग	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. एडमिनिस्ट्रेशन एवं गोडाउन बिल्डिंग	-	-	-	-	-	-	-	-
C. संयंत्र एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-
D. फर्नीचर व फिक्स्चर	222,342	20,139,775	20,362,117	100,522	5,102,193	-	15,159,401	121,820
E. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-
F. ऑफिस उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-
i. कम्प्यूटर	3,188,125	286,043	3,474,168	1,933,253	857,594	-	683,321	1,254,872
ii. अन्य ऑफिस उपकरण	3,716,094	6,349	3,722,443	2,014,123	768,547	-	939,773	1,701,971
कुल	7,126,561	20,432,167	27,558,728	4,047,898	6,728,334	-	16,782,495	3,078,663
पूजीगत कार्य - प्रगति पर	1,168,780,683	1,799,805,968	2,968,586,651	-	-	-	2,968,586,651	1,168,780,683
कुल	1,175,907,244	1,820,238,135	2,996,145,379	4,047,898	6,728,334	-	2,985,369,146	1,171,859,346

विवरण	कुल				मूल्यहास				नेट	
	1 अप्रैल 2019		31 मार्च 2020		1 अप्रैल 2019		अवधि के लिए		31 मार्च 2020	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
ए. लैन्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी. बिल्डिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. साइट डेवलपमेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. फ़ैक्ट्री बिल्डिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. एडमिनिस्ट्रेशन एवं गोडाउन बिल्डिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. सयंत्र एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. फर्नीचर व फिक्सचर	207,887	14,455	222,342	59,874	40,648	100,522	121,820	148,013		
E. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. ऑफिस उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. कम्प्यूटर	2,325,765	862,360	3,188,125	708,307	1,224,945	1,933,253	1,254,872	1,617,458		
ii. अन्य ऑफिस उपकरण	3,662,626	53,468	3,716,094	616,771	1,395,353	2,014,123	1,701,971	3,043,855		
कुल	6,196,278	930,283	7,126,561	1,386,952	2,660,946	4,047,898	3,078,663	4,809,326		
पूँजीगत कार्य - प्रगति पर	358,443,610	810,337,073	1,168,780,683				1,168,780,683	358,443,610		
कुल	364,639,888	811,267,356	1,175,907,244	1,386,952	2,660,946	4,047,898	1,171,859,346	363,252,936		

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स
31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए

(रुपये INR में, जब तक उल्लेख न किया गया हो)

नोट	विवरण	31-मार्च-21	31-मार्च-20	01-अप्रैल-19
4	गैर-चालू निवेश			
	(a)			
	लागत पर मापा गया निवेश			
	सहायक कंपनियों के इक्विटी शेयर			
	गैर-उद्धृत पूरी तरह से चुकता	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	सहयोगी कंपनियों के इक्विटी शेयर			
	गैर-उद्धृत पूरी तरह से चुकता	-	-	-
	कुल गैर-उद्धृत गैर-वर्तमान निवेश	-	-	-
(b)	सहयोगी कंपनियों के वरीयता शेयर			
	गैर-उद्धृत पूरी तरह से चुकता	-	-	-
	कुल गैर-उद्धृत गैर-वर्तमान निवेश	-	-	-
	लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया निवेश			
	पूरी तरह से चुकता उद्धृत			
	कुल उद्धृत गैर-वर्तमान निवेश	-	-	-
	कुल गैर-वर्तमान निवेश	-	-	-
	श्रेणी-वार गैर-वर्तमान निवेश	31-मार्च-21	31-मार्च-20	01-अप्रैल-19
	लागत पर बहन की गई वित्तीय आस्तियां	-	-	-
	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियां	-	-	-
	कुल गैर-वर्तमान निवेश	-	-	-

नोट	विवरण	31-मार्च-21	31-मार्च-20	01-अप्रैल-19
5	गैर-चालू वित्तीय निवेश :			
	(a)			
	जमा			
	जमा	5,456,208	5,456,208	5,456,208
	कुल ऋण	5,456,208	5,456,208	5,456,208

जमा बेमियादी प्रकृति के हैं

नोट	विवरण	31-मार्च-21	31-मार्च-20	01-अप्रैल-19
6	अन्य गैर-चालू संपत्ति (प्रतिभूति रहित और अच्छी मानी जाती है)			
(a)	सरकारी प्राधिकरण के साथ शेष	9,551,415	8,571,871	2,315,289
(b)	पूजी अग्रिम	345,438,454	435,164,133	
(c)	अन्य	-	-	-
	कुल अन्य गैर-चालू संपत्ति	354,987,869	443,736,004	2,315,289
7	माल			
	कच्चा माल	-	-	-
	कार्य प्रगति पर है	-	-	-
	तैयार माल	-	-	-
	कुल माल			
	वर्तमान वित्तीय संपत्ति			
	व्यापार प्राप्तियां			
	(प्रतिभूति रहित को अच्छा माना जाता है)			
	व्यापार प्राप्तियां	-	-	-
8	कुल व्यापार प्राप्तियां	-	-	-
9	नकद और नकदी के समतुल्य			
a.	हस्तस्थ रोकड़	-	-	4,944
b.	चालू खातों में बैंकों की शेष राशि	5,139,722	302,881,995	2,600,133
c.	तीन महीने से कम की परिपक्वता वाली जमा राशियां, उस पर अर्जित ब्याज सहित	4,498,159,132	3,404,981,312	848,348,868
	अन्य बैंक बैलेंस			
a.	मार्जिन मनी जमा के रूप में धारित बैंकों के पास शेष राशि			
	कुल नकद और बैंक बैलेंस	4,503,298,854	3,707,863,307	850,953,945
10	ऋण - (प्रतिभूति रहित और अच्छा माना जाता है)			
	ऋण और अग्रिम - संबंधित पक्ष	-	-	-
	ऋण और अग्रिम - अन्य	-	-	-
	कुल ऋण	-	-	-
11	अन्य वित्तीय पूंजी			
	अन्य	-	-	-
	कुल ऋण	-	-	-
12	अन्य चालू संपत्तियां			
a.	सरकारी प्राधिकरण के साथ शेष	-	-	-
b.	अन्य #	218,458	50,000	723
	कुल अन्य चालू ऋण	218,458	50,000	723
	# पूर्वदत्त व्यय, व्यय के लिए अग्रिम और किराया जमा शामिल हैं			

C						
इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार						
i)	कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जिसका मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।					
ii)	कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।					
iii)	प्रत्येक शेयरधारक को निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।					
D						
कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण						
शेयरधारक का नाम		31-मार्च-21		31-मार्च-20		01-अप्रैल-19
		शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या %
मध्य प्रदेश शासन के राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति		176,089,995	49.9999999%	29,999,880	99.9996000%	29,999,880 99.9996000%
		176,089,995	49.9999999%			

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉ लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स
31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए

(रुपये INR में, जब तक उल्लेख न किया गया हो)

14	अन्य इक्विटी	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	1 अप्रैल 2019
(a)	प्रतिधारित आय			
	वर्ष की शुरुआत में अधिशेष	(54,728,032)	(19,694,652)	(5,761,007)
	जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ/हानि	(22,586,345)	(35,033,380)	(13,933,645)
	जोड़ें: परिवर्तन तिथि समायोजन	-	-	-
	जोड़ें / घटायें : पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-
	जोड़ें / घटायें : सामान्य पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-
	घटायें : इक्विटी शेयरों पर लाभांश	-	-	-
	घटायें : लाभांश पर कर	-	-	-
	कुल	(77,314,377)	(54,728,032)	(19,694,652)
(b)	पूँजी संचय	-	-	-
	जोड़ें / घटायें : वर्ष के दौरान प्रतिधारित कमाई / विनियोग से स्थानांतरित	-	-	-
	पूँजी संचय - समापन शेष	-	-	-
(c)	सामान्य संचय	-	-	-
	जोड़ें / घटायें : वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय / विनियोग से स्थानांतरित	-	-	-
	सामान्य संचय - समापन शेष	-	-	-
(d)	मद्र सरकार से अनुदान	2,189,840,300	1,133,850,300	43,850,300
	जोड़ें / घटायें : वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय / विनियोग से स्थानांतरित	779,100,000	1,055,990,000	1,090,000,000
	मद्र सरकार से अनुदान - समापन शेष	2,968,940,300	2,189,840,300	1,133,850,300
	भारत सरकार से अनुदान	2,465,948,500	13,648,500	-
	जोड़ें / घटायें : वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय / विनियोग से स्थानांतरित	(1,760,900,000)	2,452,300,000	13,648,500
	भारत सरकार से अनुदान - समापन शेष	705,048,500	2,465,948,500	13,648,500
(e)	प्रतिभूति प्रीमियम	-	-	-
	जोड़ें : प्रीमियम पर शेयर का बीमा	-	-	-
	घटायें : वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयर	-	-	-
	प्रतिभूति प्रीमियम - समापन शेष	-	-	-
(f)	अन्य व्यापक आय (ओसीआई) - प्रारंभिक शेष	-	-	-
	जोड़ें / घटायें : वर्ष के दौरान ओसीआई में संघलन	-	-	-
	अन्य व्यापक आय - समापन शेष	-	-	-
(g)	शेयर आवेदन राशि	-	-	-
	जोड़ें / घटायें : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-	-	-
	शेयर आवेदन राशि - जमा शेष राशि	-	-	-
	कुल अन्य इक्विटी	3,596,674,423	4,601,060,768	1,127,804,148

नोट	विवरण	31-मार्च-21	31-मार्च-20	01-अप्रैल-19
15	गैर-चालू वित्तीय देनदारियां: ऋण (असुरक्षित) - ऋण - निदेशक और शेयरधारक - अंतर कॉर्पोरेट जमा - संबंधित पक्ष	- -	- -	- -
16	गैर चालू प्रावधान: कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (ग्रेज्युटी) कुल प्रावधान	- -	- -	- -
17	आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध) वर्ष की शुरुआत में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित / (क्रेडिट) कुल आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	(408,080) (918,220) (1,326,300)	(377,896) (30,184) (408,080)	(304,621) (73,275) (377,896)
	निम्नलिखित के संबंध में आस्थगित कर देनदारी / (संपत्ति) के घटक:	As at 31-Mar-2020	Charge/ (Credit) to Profit and Loss Account	As at 31-Mar-2021
	निम्नलिखित के संबंध में आस्थगित कर देनदारियां / (संपत्ति) :- - संपत्ति संग्रह और उपकरण - प्रावधान - अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति कुल	(408,080) (408,080)	(918,220) (918,220)	(1,326,300) (1,326,300)
18	ऋण (a) बैंक से सुरक्षित ऋण - मांग पर चुकाने योग्य ऋण - कार्यशील पूंजी ऋण - अल्पकालिक ऋण दूसरों से सुरक्षित ऋण (b) कुल ऋण	- - -	- - -	- - -
19	व्यापार देय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अन्य कुल व्यापार देय	23,952,709 18,827,953 42,780,662	23,952,709 32,255,847 56,208,556	23,952,709 16,993,552 40,946,261
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बकाया रोहित एसोसिएशन सिटीज एंड रेल प्राइवेट लिमिटेड (एमएसएमई) को देय राशि पर 31.03.2021 तक मुकदमा चल रहा है और मामला अदालत में लंबित है। चूंकि देय राशि की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए कंपनी द्वारा ऐसे विक्रेता को देय ब्याज निश्चित नहीं है और इसे शून्य (पिछले वर्ष: शून्य) माना गया है।			

नोट	विवरण	31-मार्च-21	31-मार्च-20	01-अप्रैल-19
20	अन्य वित्तीय देनदारियां अग्रिम और विविध जमा अन्य देय	42,122,409 -	11,740,988 -	528,265 -
	कुल अन्य वित्तीय देनदारियां	42,122,409	11,740,988	528,265
21	वर्तमान कर देयता (शुद्ध) आय कर का प्रावधान घटाएं : अग्रिम कर/टीडीएस	-	-	-
	आयकर व्यय का समाधान			31-मार्च-21
	कर पूर्व लाभ लागू टैक्स स्लैब परिकल्पित कर व्यय निम्नलिखित का कर प्रभाव : मूल्यह्रास प्रावधान अन्य			(23,504,565) 26.00% (6,111,187) - - 6,111,187
	वर्तमान कर प्रावधान – A			-
	संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के लिए आस्थगित कर देयता में कमी प्रावधान के लिए आस्थगित कर संपत्तियों में वृद्धि अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए आस्थगित कर देयता में वृद्धि			(918,220) - -
	आस्थगित कर प्रावधान – बी			(918,220)
	लाभ और हानि खाते के विवरण में प्राप्त कर व्यय			(918,220)
	प्रभावी कर की दर	-	-	0.00%
22	अन्य चालू देनदारियां दावा न किया गया लाभांश अन्य वैधानिक बकाया	- 17,727,249	- 8,848,500	- 7,938,216
	कुल अन्य चालू देनदारियां	17,727,249	8,848,500	7,938,216
23	प्रावधान (a) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (b) अन्य प्रावधान	- 629,552,093	- 351,514,133	- 78,814,499
	कुल प्रावधान	629,552,093	351,514,133	78,814,499
24	संचालन से आय कुल	- -	- -	- -
25	अन्य आय ब्याज अन्य कुल	96,457,374 28,567 96,485,941	90,014,344 12,195 90,026,539	-

नोट	विवरण	2020-21	2019-20
26	उपभोग की गई सामग्री और अन्य व्यापारिक स्टॉक खरीद की लागत कच्चे माल की खपत खपत की गई वस्तुओं का स्टोर और स्पेयर	- - -	- - -
27	(वृद्धि)/तैयार माल की मालसूची में कमी, अर्धनिर्मित माल और व्यापार का कुल माल वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक माल - तैयार माल - अर्धनिर्मित माल - व्यापार का कुल माल	- - -	- - -
	वर्ष के अंत में शेष माल - तैयार माल - अर्धनिर्मित माल - व्यापार का कुल माल - अन्य खर्चों में स्थानांतरित	- - - -	- - - -
		-	-
		-	-
28	कर्मचारी कल्याण व्यय वेतन और मजदूरी निदेशकों का पारिश्रमिक ग्रेच्युटी और बोनस भविष्य निधि और अन्य में योगदान कर्मचारी कल्याण व्यय	19,058,750 - - 1,053,656 -	16,437,175 - - 388,116 -
	कुल	20,112,406	16,825,291
29	अन्य व्यय विज्ञापन व्यय बैंक शुल्क कंप्यूटर उपभोग्य व्यय सलाहकार व्यय होटल और गेस्ट हाउस का व्यय ब्याज पर व्यय मैनपावर हाइरिंग एजेंसी सदस्यता शुल्क मेट्रो कॉन्क्लेव व्यय विविध व्यय कानूनी शुल्क प्रिंटिंग व्यय पूर्व व्यवहार्यता	 19,160,647 486 12,760 - 2,200 194,445 4,773,804 2,360,000 - 683,275 295,000 161,074 13,128,509	 3,839,016 831 99,532 66,635,181 717,782 - 6,312,752 - 98,900 1,111,495 - 267,988 -

नोट	विवरण	2020-21	2019-20	
	प्रोफेशनल शुल्क	69,371	-	
	प्रोफेशनल कर	2,500	2,500	
	प्रतिपूर्ति व्यय और यूएडी	773,247	-	
	किराए का व्यय	22,912,750	17,004,109	
	सॉफ्टवेयर नवीनीकरण शुल्क	4,248	-	
	स्टाम्प शुल्क व्यय	32,21,800	-	
	स्टेशनरी व्यय	25,960	43,216	
	तकनीकी शुल्क	192,000	-	
	दूरभाष व्यय	129,153	136,312	
	यात्रा और यातायात व्यय	175,364	4,310,802	
	प्रशिक्षण और संगोष्ठी व्यय	53,615	-	
	वाहन किराए पर लेने का व्यय	3,461,359	4,885,234	
	वेब होस्टिंग और नवीनीकरण व्यय	1,446,862	95,816	
	अंकेषक का पारिश्रमिक	-	-	
	- वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	88,500	42,400	
	- टैक्स अंकेक्षण शुल्क	-	-	
	-	-	-	
	कुल	7,33,28,929	105,603,866	
30	वित्त लागत			
	ब्याज व्यय	-	-	
	विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन हानि	-	-	
	अन्य ऋण लागत	-	-	
	कुल	-	-	
नोट	विवरण	राशि	वर्ष	31 मार्च 2021
31	आकस्मिक देयताएं:			
	a. बैंक गारंटी	रु. लाख में		
	b. लंबित मुकदमा	रु. लाख में	2019-20	2,288.36
32	प्रति शेयर आय (ईपीएस)		2020-21	2019-20
	इक्विटी शेयरधारकों हेतु कर पश्चात लाभ		(22,586,345)	(35,033,380)
	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या में) - मूल		352,180,000	30,000,000
	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या में) - आंशिक		352,180,000	30,000,000
	प्रति शेयर इक्विटी का प्रारंभिक मूल्य (रुपये में)			
	प्रति शेयर मूल आय (रुपये में)		(0.06)	(1.17)
	प्रति शेयर आंशिक आय (रुपये में)		(0.06)	(1.17)
33	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):			
	A. कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएसआर राशि को कंपनी द्वारा उसकी अनुसूची VII के साथ पठित के अनुसार व्यय किया जाना आवश्यक है			
	B. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित व्यय शून्य रुपये में है (पिछले वर्ष रुपये शून्य)			

नोट	विवरण
34	संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण
A	संबंधित पक्षों के नाम सहयोगी और समूह कंपनियाँ: सहायक कंपनी शून्य शून्य
B	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों: श्री मनीष सिंह (प्रबंध निदेशक) कंपनी सचिव: श्रीमती सुषमा दुबे (निदेशक वित्त) श्री संदीप जैन
C	रिश्तेदार: शून्य

(राशि रु. लाख में)				
क्र.	संबंधित पक्ष के लेनदेन और वर्ष के अंत में बकाया का विवरण	सहयोगी और सहायक 2020-21 / 2019-20	प्रमुख प्रबंधन कर्मी 2020-21 / 2019-20	रिश्तेदार 2020-21 / 2019-20
1	वेतन		10.56	
			10.56	
2	अयिन		0.30	
			-	

नोट	विवरण
35	खंड की जानकारी 'प्रबंध निदेशक' मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता होता है जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति का आकलन करता है और रणनीतिक निर्णय लेता है। प्रबंधन के अभिमत में, इस्टिटेयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' पर Ind AS 108 द्वारा परिकल्पित केवल एक रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खंड है। तदनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरण में खंड रिपोर्टिंग के लिए अलग से कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। भूगोल के आधार पर द्वितीयक, विभाजन प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी मुख्य रूप से भारत में काम करती है और कंपनी का मानना है कि भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से संचालन में इसके जोखिम और रिटर्न में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
36	कंपनी के निदेशक मंडल के अभिमत में, वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां यानी व्यापार प्राप्त, ऋण और अन्य का व्यवसाय के सामान्य संचालन में वसूली पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर है जो उन्हें बताई गई है और सभी के लिए प्रावधान ज्ञात देनदारियां पर्याप्त हैं और उचित रूप से आवश्यक राशि से अधिक नहीं है।

नोट	विवरण
37	<p>पूँजी प्रबंधन</p> <p>पूँजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • सुनिश्चित करना कि व्यवसाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चल निधि उपलब्ध है (या तो नकद और नकद समकक्ष, निवेश या प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से); • अपनी ऋण सुविधाओं और ऋणों से संबंधित अनुबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना। • वर्तमान और भविष्य के उद्योग, बाजार और आर्थिक जोखिमों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वित्त लागत को कम करना। • एक लाभदायी संस्थान के रूप में संचालन की अपनी क्षमता की रक्षा करना • ऋण और इक्विटी फंडिंग का एक कुशल मिश्रण बनाए रखने के लिए इस प्रकार एक अनुकूलतम पूँजी संरचना और पूँजी की लागत प्राप्त करना। <p>निदेशक मंडल की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह एक मजबूत पूँजी आधार बनाए रखे और निवेशित धन के विवेकपूर्ण प्रबंधन और अवसरों का लाभ उठाकर पूँजी की लागत को कम करे ताकि निवेशक, लेनदार और बाजार का विश्वास बनाए रखा जा सके और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके।</p> <p>कंपनी के पूँजी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए, पूँजी में जारी पूँजी और अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। कंपनी आर्थिक और नियामक वातावरण में परिवर्तन और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के संदर्भ में अपनी पूँजी संरचना का प्रबंधन करती है। कंपनी शुद्ध ऋण से इक्विटी अनुपात के आधार पर अपनी पूँजी का प्रबंधन करती है जो कुल इक्विटी से विभाजित शुद्ध ऋण (नकद और नकद समकक्षों का कुल ऋण) है।</p>

	2020-21	2019-20
कुल देनदारियां*	-	-
घटाएँ: नकद और नकद समतुल्य**	-	-
घटाएँ: अन्य बैंक बैलेंस	-	-
शुद्ध ऋण	-	-
कुल इक्विटी [^]	7,118,474,423	4,901,060,768
इक्विटी अनुपात के लिए शुद्ध ऋण	-	-

कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के अनुसार अनुबंधों का पालन किया है।

*देनदारियाँ: बैंकों से सुरक्षित ऋण और निदेशकों/रिश्तेदारों और अन्य संस्थाओं से असुरक्षित ऋण शामिल हैं

**नकद और नकद समतुल्य: लाभांश खातों के साथ नकद और नकद समतुल्य कम शेष राशि से मिलकर बनता है।

[^]इक्विटी: इक्विटी शेयर पूँजी + अन्य इक्विटी

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और नोट्स

नोट 38: वित्तीय साधन

A. लेखांकन वर्गीकरण और उचित मूल्य

(रुपये INR में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

	वहन राशि				उचित मूल्य			
	FVTPL	FVTOCI	परिशोधितलागत*	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
31-मार्च-21								
वित्तीय संपत्ति								
निवेश			-	-			-	-
नकद और बैंक शेष			4,503,298,854	4,503,298,854	-		4,503,298,854	4,503,298,854
व्यापार प्राप्तियाँ							-	-
ऋण			5,456,208	5,456,208			5,456,208	5,456,208
अन्य वित्तीय संपत्ति			-	-			-	-
			-	-			-	-
			4,508,755,062	4,508,755,062			4,508,755,062	4,508,755,062
वित्तीय देनदारियाँ								
ऋण			-	-			-	-
व्यापार देनदारियाँ			42,780,662	42,780,662			42,780,662	42,780,662
अन्य वित्तीय देनदारियाँ			42,122,409	42,122,409			42,122,409	42,122,409
			84,903,071	84,903,071			84,903,071	84,903,071
			-	-			-	-
			84,903,071	84,903,071			84,903,071	84,903,071
*परिशोधन लागत पर किए गए वित्तीय साधनों की वहन राशि उचित मूल्य का एक उचित अनुमान है।								
31-मार्च-20								
वित्तीय संपत्ति								
निवेश			-	-			-	-
नकद और बैंक शेष			3,707,863,307	3,707,863,307			3,707,863,307	3,707,863,307
व्यापार प्राप्तियाँ			-	-			-	-

B. उचित मूल्यों का मापन

नीचे दी गई तालिका मूल्यांकन पद्धति द्वारा उचित मूल्य वाले वित्तीय साधनों का विश्लेषण करती है। विभिन्न

स्तरों को नीचे परिभाषित किया गया है:

-स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्भूत मूल्य (असमायोजित)।

-स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्भूत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों से प्राप्त) देखने योग्य हैं।

-स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो कि अबलोकन योग्य बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

C. मूल्यांकन तकनीक

उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया जाता है:

1) नकद और अल्पकालिक जमा राशियों, चालू ऋणों और अछिनों और अन्य चालू वित्तीय देनदारियों और अन्य समान वस्तुओं का उचित मूल्य मोटे तौर पर इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण उनके वहन मूल्य का अनुमान लगाता है।

2) लंबी अवधि के ऋण का मूल्यांकन कंपनी आधारित मानकों जैसे ब्याज दरों, विशिष्ट देश जोखिम कारकों और वित्तपोषित परियोजना की जोखिम विशेषताओं द्वारा किया जाता है।

नोट	विवरण
-----	-------

39 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की गतिविधियां विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिम और चल निधि जोखिम भी उत्पन्न करती हैं। कंपनी का प्राथमिक जोखिम प्रबंधन केंद्र इसके वित्तीय प्रदर्शन पर बाजार जोखिम के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन मूल्यांकन और नीतियों और प्रक्रियाओं को कंपनी के सामने आने वाले जोखिमों की पहचान और विश्लेषण करने के लिए स्थापित किया गया है। उचित जोखिम सीमा और नियंत्रण निर्धारित करना और ऐसे जोखिमों की निगरानी करना और उनका अनुपालन करना। बाजार की स्थितियों और कंपनी की गतिविधियों में बदलाव को दर्शाने के लिए जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की समग्र जिम्मेदारी है। यह नोट इसके वित्तीय साधनों से जुड़े जोखिमों, कंपनी के उद्देश्यों, जोखिम को प्रमाणित और प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं और कंपनी के पूंजी प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है।

1. क्रेडिट जोखिम

प्रतिपक्षकारों द्वारा अपने दायित्वों में चूक करने के जोखिम के परिणामस्वरूप कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। क्रेडिट जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोजर मुख्य रूप से प्राप्य खातों और बैंकों के पास जमा सहित नकद और नकद समकक्ष से संबंधित है।

कंपनी के पास व्यवसाय के दौरान उत्पन्न होने वाले अपने क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन की एक विवेकपूर्ण और रूढ़िवादी प्रक्रिया है। सभी व्यापार प्राप्तियों की समीक्षा की जाती है और नियमित बेसिस पर डिफॉल्ट के लिए मूल्यांकन किया जाता है। प्राप्य राशि एकत्र करने के हमारे ऐतिहासिक अनुभव, डिफॉल्ट के स्तर द्वारा समर्थित यह दर्शाते हैं कि क्रेडिट जोखिम कम है।

कंपनी नकद और नकद समकक्षों और बैंकों के साथ सावधि जमा में एक्सपोजर रखती है। 31-मार्च-2021, 31-मार्च-2020 और 1-अप्रैल-2019 तक क्रेडिट जोखिम के लिए कंपनी का अधिकतम जोखिम वित्तीय के प्रत्येक वर्ग का वहन मूल्य है।

2. चलनिधि जोखिम

कंपनी अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता से संबंधित तरलता जोखिम के संपर्क में है, क्योंकि वे देय हो जाते हैं। कंपनी परिचालन और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपने तरलता जोखिम की निगरानी और प्रबंधन करती है। कंपनी के पास ऋण सुविधाओं और ऋण पूंजी बाजारों तक पहुंच है और वह प्रतिदिन नकद शेष की निगरानी करती है।

कंपनी के चलनिधि जोखिम के संबंध में, कंपनी की नीति यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक संभव हो, उसके पास देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त तरलता होगी, वित्तीय लागत को कम करते हुए देय गिरावट के रूप में सामान्य और तनावग्रस्त दोनों स्थितियों में, बिना अस्वीकार्य नुकसान उठाये या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के जोखिम के।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

वित्तीय देनदारियों के अनुबंधित बिना छूट वाले नकदी प्रवाह इस प्रकार हैं:

	31 मार्च 2021 तक	एक वर्ष से कम	1-5 वर्ष	>5 वर्ष	कुल योग
ऋण		-	-	-	-
व्यापार देनदारियां		42,780,662			42,780,662
अन्य वित्तीय देनदारियां		42,122,409			42,122,409
		84,903,071	-	-	84,903,071

31 मार्च 2021 तक	एक वर्ष से कम	1-5 वर्ष	>5 वर्ष	कुल योग
ऋण	-	-	-	-
व्यापार देनदारियां	56,208,556	-	-	56,208,556
अन्य वित्तीय देनदारियां	11,740,988	-	-	11,740,988
	67,949,544	-	-	67,949,544
ऋण	-	-	-	-
व्यापार देनदारियां	40,946,261	-	-	40,946,261
अन्य वित्तीय देनदारियां	528,265	-	-	528,265
	41,474,526	-	-	41,474,526

नोट 39: वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

3. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दर में ऊपर की ओर बढ़ने से कंपनी की उधार लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कंपनी की लंबी अवधि और अल्पकालिक ऋण है। कंपनी फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रुमेंट्स के अपने मिश्रण की निगरानी करके और उचित संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करके ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है।

समीक्षाधीन अवधि के अंत में ब्याज दर में परिवर्तन के लिए कंपनी के ऋणों का विवरण इस प्रकार है:

क) ब्याज दर जोखिम जोखिम

	31-मार्च-21	31-मार्च-20	01-अप्रैल-19
परिवर्तनीय दर ऋण	-	-	-
निश्चित दर ऋण	-	-	-

बी) संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी उक्त अवधि में किसी भी दीर्घकालिक या अल्पकालिक उधार के संपर्क में नहीं है।

	कर पश्चात लाभ पर प्रभाव	
	31-मार्च-21	31-मार्च-20
ब्याज दर - 50 आधार अंकों की वृद्धि	-	-
ब्याज दर - 50 आधार अंकों की कमी	-	-

4. विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्य में विदेशी मुद्रा और ब्याज दरों में प्रतिकूल मूल्य परिवर्तन के खिलाफ अपने विदेशी निवेश को सुरक्षित रखना शामिल है। उक्त अवधि के दौरान कोई अग्रिम मुद्रा जोखिम नहीं है।

a) विदेशी मुद्रा जोखिम

	विदेशी मुद्रा INR(लाख में)में परिवर्तित		
	31-मार्च-21	31-मार्च-20	01-अप्रैल-19
ऋण, व्यापार और अन्य देनदारियां	-	-	-
व्यापार और अन्य प्राप्य	-	-	-
व्युत्पन्न- आगामी और वायदा	-	-	-

b) संवेदनशीलता विश्लेषण

शुद्ध प्रतिरक्षा की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विनिमय दर में 1% परिवर्तन का संवेदनशीलता विश्लेषण

	कर पश्चात लाभ पर प्रभाव	
	31-मार्च-21	31-मार्च-20
ब्याज दर - 50 आधार अंकों की वृद्धि	-	-
ब्याज दर - 50 आधार अंकों की कमी	-	-

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पूर्व में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

CIN नंबर U75100MP2015SGC034434

31 मार्च, 2021 को बैलेंस शीट

नोट 40: 31 मार्च 20 और 1 अप्रैल 19 को बैलेंस शीट पर Ind AS को अपनाने का प्रभाव:

(रुपये INR में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2020 तक		1 अप्रैल 2019 तक	
	भारतीय GAAP	Ind AS समायोजन	भारतीय GAAP	Ind AS समायोजन
संपत्ति:				
(1) गैर-चालू परिसंपत्ति				
(a) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3,078,663	-	4,809,326	4,809,326
वित्तीय संपत्ति				
(b) (i) निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण और अग्रिम	5,456,208	-	5,456,208	5,456,208
(c) अन्य गैर-चालू संपत्ति	443,736,004	-	335,989,681	335,989,681
कुल गैर-चालू संपत्तियाँ	452,270,875	-	346,255,215	346,255,215
(2) वर्तमान संपत्ति				
(a) माल सूची	-	-	-	-
वित्तीय संपत्ति				
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	-	-
(ii) नकद और बैंक शेष	3,707,863,307	-	850,953,945	850,953,945
(iii) ऋण	-	-	-	-
(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	-	-	-	-
अन्य मौजूदा संपत्ति	50,000	-	723	723
कुल मौजूदा संपत्तियाँ	3,707,913,307	-	850,954,668	850,954,668
कुल संपत्ति	4,160,184,182	-	1,197,209,883	1,197,209,883

विवरण	31 मार्च 2020 तक		1 अप्रैल 2019 तक	
	भारतीय GAAP	Ind AS समायोजन	भारतीय GAAP	Ind AS समायोजन
(1) इक्विटी और देयता:				
(a) इक्विटी	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000
(b) अन्य इक्विटी	4,601,060,768	-	1,127,804,148	1,127,804,148
कुल इक्विटी	4,901,060,768	-	1,427,804,148	1,427,804,148
देयताएं				
(2) गैर-चालू देनदारियां:				
(a) वित्तीय देनदारियां	-	-	-	-
(b) ऋण	-	-	-	-
(c) प्रावधान	-	-	-	-
(c) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	(408,080)	-	(377,896)	(377,896)
कुल गैर-चालू देयताएं	(408,080)	-	(377,896)	(377,896)
(3) वर्तमान देनदारियां				
(a) वित्तीय देनदारियां				
(i) उधार	-	-	-	-
(ii) व्यापार देय	-	-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	56,208,556	-	40,946,261	40,946,261
वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	11,740,988	-	528,265	528,265
अन्य चालू देनदारियां	-	-	-	-
(b) प्रावधान	-	-	-	-
(c) प्रावधान	8,848,500	-	7,938,216	7,938,216
(d) प्रावधान	351,514,133	-	78,814,499	78,814,499
कुल वर्तमान दायित्व	428,312,177	-	128,227,241	128,227,241
कुल शेयर और देनदारियां	5,328,964,865	-	1,555,653,493	1,555,653,493

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में ज्ञात मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉ लिमिटेड)

CIN नंबर U75100MP201580C034434

31 मार्च, 2021 को बैलेंस शीट

(रुपये INR में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट 41: कुल इक्विटी का मिलान जैसा कि पहले आईजीएपी के तहत 31 मार्च 20 और 1 अप्रैल 19 को भारतीय लेखा मानक को रिपोर्ट किया गया था:

विवरण	नोट्स	शुद्ध लाभ	अन्य इक्विटी	
		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक
पिछले भारतीय GAAP के अनुसार शुद्ध लाभ / अन्य इक्विटी:		(35,033,380)	4,601,060,768	1,127,804,148
1. वित्तीय संपत्तियों का उचित मूल्यांकन ओसीआई को स्थानांतरित कर दिया गया	I	-	-	-
2. प्रस्तावित लाभांश कर सहित		-	-	-
Ind AS के अनुसार OCI / अन्य इक्विटी से पहले शुद्ध लाभ:	II	(35,033,380)	4,601,060,768	1,127,804,148
1 Ind AS के अनुसार वित्तीय संपत्तियों का उचित मूल्यांकन अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाना है, इसलिए इन मदों को इसके कर प्रभाव सहित OCI को स्थानांतरित कर दिया गया है।				

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में ज्ञात मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉ लिमिटेड)

CIN नंबर UT5100MP2015SGC034434

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रूपये INR में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट 42: "लाभ और हानि का समाधान विवरण जैसा कि पहले IGAAP के तहत इंडस्ट्रीज को रिपोर्ट किया गया था"

क्र.	विवरण	2019-20 को समाप्त वर्ष		
		भारतीय GAAP	Ind AS समायोजन	Ind AS के अनुसार
I	संचालन से राजस्व	-	-	-
II	अन्य आय	90,026,539	-	90,026,539
III	कुल आय (I+II)	90,026,539	-	90,026,539
IV	व्यय			
	प्रयुक्त सामग्री की लागत	-	-	-
	व्यापार में स्टॉक की खरीद	-	-	-
	तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर और व्यापार में स्टॉक	-	-	-
	कर्मचारी लाभ व्यय	16,825,291	-	16,825,291
	अन्य खर्च	105,603,866	-	105,603,866
	वित्तीय खर्च	-	-	-
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	2,660,946	-	2,660,946
	कुल खर्च (IV)	125,090,103	-	125,090,103
V	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ/(हानि) (III-IV)	(35,063,564)	-	(35,063,564)
VI	असाधारण वस्तुएं	-	-	-
VII	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)	(35,063,564)	-	(35,063,564)
VIII	कर व्यय:			
	(1) वर्तमान कर	-	-	-
	(2) आस्थगित कर	(30,184)	-	(30,184)
IX	अवधि के लिए लाभ (हानि)	(35,033,380)	-	(35,033,380)
X	अन्य व्यापक आय			

क्र.	विवरण	2019-20 को समाप्त वर्ष		
		भारतीय GAAP	Ind AS समायोजन	Ind AS के अनुसार
A(i)	आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
A(ii)	उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
B(i)	आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
B(ii)	उनसे संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
XI	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI+X) जिसमें लाभ (हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल हैं	(35,033,380)	-	(35,033,380)

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में ज्ञात मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉ लिमिटेड)
खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स
31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(रुपये INR में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नोट 43: भारतीय मानक में परिवर्तन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण नोट 2.1 में अधिसूचित लेखा नीतियों के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित Ind-AS के अनुसार तैयार किए गए हैं। Ind-AS को अपनाने Ind-AS-101 के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 को परिवर्तन तिथि के रूप में अपनाया गया है। Ind-AS-101 के अनुसार, परिवर्तन तिथि पर Ind-AS और IndianGAAP दोनों के तहत वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों के बीच परिणामी अंतर को, यदि कोई हो, परिवर्तन तिथि पर सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई है। पिछले GAAP से Ind-AS में परिवर्तन ने वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित किया है, इसका विवरण निम्नलिखित बिंदुओं में दिया गया है:

A. अपवाद:

वित्तीय विवरण तैयार करने में निम्नलिखित अनिवार्य अपवाद Ind AS101 के अनुसार लागू किए गए हैं।

(a) अनुमान

1 अप्रैल, 2019 और 31 मार्च, 2020 के अनुमान भारतीय GAAP (लेखांकन नीतियों में किसी भी अंतर को दर्शाने के लिए समायोजन के बाद) के अनुसार समान तिथियों के लिए किए गए अनुमानों के अनुरूप हैं। Ind AS के अनुसार इन राशियों को प्रस्तुत करने के लिए कंपनी द्वारा उपयोग किए गए अनुमान परिवर्तन तिथि और 31 मार्च, 2019 की स्थिति को दर्शाते हैं।

(b) वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की मान्यता समाप्त करना

कंपनी ने Ind-AS में परिवर्तन की तारीख को या उसके बाद होने वाले लेन-देन के लिए Ind AS 109 में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए गैर-मान्यता आवश्यकताओं को लागू करने के लिए चुना है।

(c) वित्तीय संपत्तियों का वर्गीकरण और प्रमाप

कंपनी ने Ind-AS में परिवर्तन की तिथि पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर Ind AS109 के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया है।

B. छूट:

पहली बार अपनाने वालों को Ind AS101के तहत कुछ आवश्यकताओं के पूर्वव्यापी आवेदन से कुछ छूट देता है। कंपनी ने निम्नलिखित छूट लागू की हैं:

1) पिछले GAAP के अनुसार मापे गए वहन मूल्य पर Ind AS में परिवर्तन की तारीख के अनुसार

कंपनी ने Ind AS 101 के पैरा D7AA के तहत उपलब्ध मानित लागत विकल्प को लागू किया है, अर्थात् पिछले GAAP के अनुसार मापे गए वहन मूल्य पर Ind AS में परिवर्तन की तारीख के अनुसार वित्तीय विवरणों में कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, वित्त पट्टों और अमूर्त संपत्ति की सभी वस्तुओं को मान्यता दी गई है।

31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियाँ

1. कॉर्पोरेट जानकारी

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) (पूर्व में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉ. लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 09 जुलाई, 2015 को निर्मित है और कंपनियों की धारा 2(45) के अर्थ में एक सरकारी कंपनी है। अधिनियम, 2013, कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार (GoMP) द्वारा 100% शेयरधारिता के साथ स्थापित किया गया था और बाद में भोपाल और इंदौर शहर में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को लागू करने के लिए 50:50 शेयरधारिता के साथ भारत सरकार और GoMP के संयुक्त उद्यम SPV में परिवर्तित कर दिया गया। मेट्रो रेल और इसका स्थायी संचालन सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो नेटवर्क के बाद के विस्तार, इसके संचालन, रखरखाव और संबद्ध गतिविधियों के कार्यों के साथ सौंपा गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

2.1 तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण प्रोड्रवन के आधार पर और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार प्रचलित लागत प्रथा और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एस") के साथ सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करते हुए; 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित, आधार पर तैयार किए गए हैं।

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (INR) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो इसकी कार्यात्मक मुद्रा भी है।

2.2 पहली बार भारतीय लेखा मानकों को अपनाना

यह वित्तीय विवरण, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, पहले वित्तीय विवरण हैं जिन्हें कंपनी ने Ind AS के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष तक की अवधि के लिए तैयार किया है, कंपनी ने लेखांकन के कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित मानक, कंपनी (लेखा मानक) नियम 2014 (ट्रेडियर्स GAAP या भारतीय GAAP) के नियम 7 के साथ पठित अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लागू Ind AS का अनुपालन करते हैं, साथ ही 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक अवधि डेटा के साथ तैयार किए गए हैं। कंपनी द्वारा अपने भारतीय GAAP वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत करने में प्रमुख समायोजक बनाया गया है, जिसमें 1 अप्रैल, 2018 को बैलेंस शीट और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण शामिल हैं और 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभिक आरक्षित और अधिशेष में, यदि कोई हो, परिवर्तन का प्रभाव प्रदान किया गया है।

2.3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्राप्त किए गए कर/शुल्क क्रेडिट की मूल लागत, कम संचित मूल्यद्वारा और संचित हानि क्षति, यदि कोई हो, के आधार पर बताए गए हैं। जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के महत्वपूर्ण हिस्सों को अंतराल पर बदलने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी बदले गए हिस्से को हटा देती है, और नए हिस्से को अपने स्वयं के संबद्ध उपयोगी जीवन से

पहचानती है और तदनुसार मूल्यह्रास किया जाता है। सभी मरम्मत और रखरखाव लागतों को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, या तो निपटान पर या सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त होने पर, वित्तीय विवरणों से हटा दिए जाते हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सेवानिवृत्ति के मामलों में होने वाली हानि और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से होने वाले लाभ या हानि को घटना के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन पर WDV के आधार पर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। परिवर्धन/कटौती पर मूल्यह्रास की गणना अतिरिक्त कटौती की अवधि से/के अनुपात में की जाती है।

संपत्ति अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और संभावित रूप से समायोजित की जाती है, यदि उपयुक्त हो, तो वर्तमान में अवशिष्ट जीवन संपत्ति संयंत्र और उपकरण के मूल्य का 5% माना जाता है।

2.4 गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति या संपत्ति का समूह खराब हो सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है कि हानि की सीमा, यदि कोई हो, तो क्या होगी। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो कंपनी उस CGU (नकद उत्पादन इकाई) की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है।

हानि क्षति को लाभ और हानि के विवरण में तब तक दर्शाया जाता है, जब तक परिसंपत्ति की कीमत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है जिसमें निपटान की लागत और उपयोग मूल्य कम होता है। उपयोग मूल्य अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर आधारित है, पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी गई है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और संपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है।

यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन हुआ है, तो पूर्व लेखा अवधि में स्वीकृति प्राप्त हानि क्षति को उलट दिया जाता है।

2.5 वित्त लागत

ऋण लेने की लागत में विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर शामिल हैं, जब तक उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है। ऋण लेने की लागतें जो सीधे तौर पर अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के कारण होती हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती हैं। अर्हक संपत्ति वह है जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है।

अर्हक संपत्तियों पर उनके व्यय को लंबित रखते हुए विशिष्ट उधारों के अस्थायी निवेश पर ब्याज आय को पूंजीकरण के लिए पात्र ऋण लागत से घटा दिया जाता है।

अन्य सभी उधारी लागतें उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रभावित की जाती हैं, जिसके लिए वे खर्च की गई हैं।

2.6 इन्वेंटरी

इन्वेंटरी का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :-

- i. कच्चे माल, स्टोर और स्पेयर का मूल्य कम लागत (FIFO आधार पर) या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- ii. संबंधित उपरिव्ययों सहित लागत पर प्रगतिशील कार्य।
- iii. तैयार माल और स्टॉक इन ट्रेड का मूल्यांकन लागत या अनुमानित वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत में सामग्री, श्रम और लागू उपरिव्यय शामिल हैं।

इन्वेंटरी की लागत में खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और अन्य लागतें शामिल हैं, जिसमें निर्माण उपरिव्ययों को उनके संबंधित वर्तमान स्थान और स्थिति में लाना शामिल है।

2.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन

कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं किया है।

2.8 राजस्व निर्धारण

राजस्व प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट, मूल्य वर्धित करों और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि के कुल राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशि।

कंपनी राजस्व को पहचानती है जब राजस्व की मात्रा को दृढ़ता से मापा जा सकता है, यह संभावना है कि भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे और कंपनी की प्रत्येक गतिविधियों के लिए विशिष्ट मानदंड पूरे किए गए हैं। कंपनी अपने अनुमानों को, ग्राहक के प्रकार, लेनदेन के प्रकार और प्रत्येक व्यवस्था की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए, ऐतिहासिक परिणामों पर आधारित करती है।

2.8.1 ब्याज से आय

ब्याज को समय के अनुपात में, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए पहचाना जाता है।

2.8.2 अन्य आय

अन्य आय तब मानी जाती है जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.9 कर्मचारी लाभ

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से देय होने वाले सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) रोजगार के बाद के लाभ

- a) **परिभाषित अंशदान योजनाएँ:** कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति दायित्व एक परिभाषित अंशदान योजना है। भुगतान/ देय योगदान को उस अवधि में माना जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है। कंपनी ने योगदान योजनाओं को परिभाषित किया है जहां कंपनी पूर्व निर्धारित राशि का भुगतान करती है और रोजगार के बाद के लाभों के लिए अतिरिक्त रकम का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है।

b) परिभाषित लाभ योजनाएँ: ग्रेव्यूटी के प्रति दायित्व एक परिभाषित लाभ योजना है।

इस तरह की परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमाकृत मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को, Ind AS 19, यानी "कर्मचारी लाभ" के अनुसार दायित्व के अनुसार, वृद्धि देने के रूप में पहचानता है और प्रत्येक इकाई को अंतिम रूप से तैयार करने के लिए अलग से प्रमापता है।

दायित्व को अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दायित्व के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरें, बैलेंस शीट की तारीख पर सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार की उपज पर आधारित होती हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि संबंधित दायित्वों की शर्तों के करीब होती है।

पुनर्माप, बीमाकृत लाभ और हानि, परिसंपत्ति बिक्री का प्रभाव, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर और योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर), हैं अन्य व्यापक आय के माध्यम से उस अवधि में, जिसमें वे घटित होती हैं, तुलन-पत्र में तदनुसारी डेबिट या क्रेडिट के साथ प्रतिधारित अर्जन के साथ तुरंत स्वीकार किया जाता है। बाद की अवधियों में लाभ और हानि के विवरण के लिए पुनर्माप को पुनर्बर्गीकृत नहीं किया जाता है।

2.10 आय पर करों के लिए लेखांकन

वर्तमान अवधि में हुए नुकसान के कारण आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आस्थगित कर रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी वहन राशियों के बीच रिपोर्टिंग तिथि पर अस्थायी अंतर पर बैलेंस शीट दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है, जो उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्ति या देयता का निर्धारण किया जाता है, कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर जो रिपोर्टिंग तिथि पर या वास्तविक रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

लाभ और हानि के विवरण के बाहर स्वीकृति प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ और हानि विवरण के बाहर दर्शाया जाता है। आस्थगित कर मदों को या तो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेनदेन के संबंध में दर्शाया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियां भिन्न हैं यदि कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार वर्तमान आयकर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान कर संपत्ति को सेट करने के लिए मौजूद है और आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई और एक ही कशायन प्राधिकरण से संबंधित है।

2.11 वित्तीय लिखत

2.11.1 वित्तीय संपत्तियां

A: प्रारंभिक स्वीकृति और प्रमाप

सभी वित्तीय आस्तियों और देनदारियों को शुरु में उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है। वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या निर्गम के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागते, जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं हैं, प्रारंभिक स्वीकृति पर उचित मूल्य में समायोजित की जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री को व्यापार तिथि लेखांकन का उपयोग करके स्वीकृति दी जाती है।

B: बाद की प्रमाप

(i) परिशोधित सीमा शुल्क (AC) पर ले जाने वाली वित्तीय संपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि इसे एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य सविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति को रखना है और वित्तीय परिसंपत्ति की सविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों में वृद्धि देती हैं जो मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का केवल भुगतान हैं।

(ii) अन्य व्यापक आय (FVTOCI) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति को FVTOCI में मापा जाता है यदि यह एक व्यवसाय मॉडल के भीतर आयोजित है जिसका उद्देश्य अनुबंधित नकदी प्रवाह एकत्र करना और वित्तीय संपत्ति की बिक्री दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्ति की सविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि देती हैं जो मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का केवल भुगतान हैं।

(iii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (FVTPL)

वित्तीय परिसंपत्ति जिसे उपरोक्त किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को FVTPL में मापा जाता है।

C: सहायक कंपनियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहायक एक इकाई है जिसे कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। Ind AS 27 - अलग वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी लागत पर सहायक कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए जिम्मेदार है।

D: अन्य इक्विटी निवेश

अन्य सभी इक्विटी निवेशों को - लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृति प्राप्त मूल्य परिवर्तन के साथ, उन इक्विटी निवेशों को छोड़कर जिनके लिए कंपनी ने अन्य व्यापक आय में मूल्य परिवर्तन प्रस्तुत करने के लिए चुना है - उचित मूल्य पर मापा जाता है।

E: वित्तीय संपत्तियों की हानि

Ind AS 109 के अनुसार, कंपनी लाभ और हानि (FVTPL) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) मॉडल का उपयोग करती है।

अपेक्षित क्रेडिट हानियों को निम्न के बराबर राशि पर हानि भत्ते के माध्यम से मापा जाता है:

- 12-महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियाँ (अनुमानित क्रेडिट हानियाँ जो वित्तीय साधन पर उन डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होती हैं जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभव हैं); या
- पूर्ण जीवनकाल अपेक्षित क्रेडिट हानि (वित्तीय साधन के जीवन पर सभी संभावित डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप अपेक्षित क्रेडिट हानि)

व्यापार प्राप्तियों के लिए कंपनी 'सरलीकृत दृष्टिकोण' लागू करती है जिसके लिए प्राप्तियों की प्रारंभिक स्वीकृति से अपेक्षित आजीवन नुकसान की पहचान की आवश्यकता होती है। कंपनी व्यापार प्राप्तियों के पोर्टफोलियो पर हानि क्षति का निर्धारण करने के लिए प्रचलित डिफॉल्ट दरों का उपयोग करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन प्रचलित डिफॉल्ट दरों की समीक्षा की जाती है और भविष्योन्मुखी अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है।

अन्य परिसंपत्तियों के लिए, कंपनी हानि क्षति के लिए 12 महीने की ECL का उपयोग करती है जहां क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है तो पूर्ण जीवनकाल ECL का उपयोग किया जाता है।

2.11.2 वित्तीय देनदारियां

A: प्रारंभिक स्वीकृति और प्रमाप

सभी वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है और ऋणों के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागत को घटाकर आवर्ती प्रकृति के शुल्क को सीधे लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

B: बाद की प्रमाप

बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देय राशि के लिए, इन लिखतों की कम परिपक्वता के कारण उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है।

2.11.3 वित्तीय लिखतों की स्वीकृति समाप्त करना

कंपनी वित्तीय आस्तियों की स्वीकृति समाप्त कर देती है जब वित्तीय आस्तियों से नकदी प्रवाह के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं और वित्तीय आस्तियों को स्थानांतरित कर दिया जाता है और हस्तांतरण IND-AS 109 के तहत गैर-स्वीकृति के लिए अर्हता प्राप्त कर लेता है। एक वित्तीय दायित्व को कंपनी की बैलेंस शीट से अमान्य कर दिया जाता है जब दायित्व अनुबंध में निर्दिष्ट छुट्टी दे दी गई है या रद्द कर दी गई है या समाप्त हो रही है।

2.12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

- a) प्रावधानों को देनदारियों के लिए स्वीकृति दी जाती है जिन्हें केवल अनुमान की पर्याप्त मात्रा का उपयोग करके मापा जा सकता है, यदि
 - (i) पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व हो
 - (ii) संसाधनों के संभावित बहिर्वाह से दायित्व का निपटान होने की उम्मीद हो, और
 - (iii) दायित्व की राशि का मजबूती से अनुमान लगाया जा सकता होयदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव मौलिक है, तो प्रावधानों को मौजूदा प्रो-टेक्स दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिम दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में स्वीकृति दी जाती है।
- b) किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के संबंध में अपेक्षित प्रतिपूर्ति को तभी स्वीकृति दी जाती है जब यह लगभग निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी।
- c) निम्नलिखित मामले में आकस्मिक देयता का खुलासा किया गया हो
 - (i) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब यह संभव न हो कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।
 - (ii) एक वर्तमान दायित्व जब कोई विश्वसनीय अनुमान संभव न हो, और
 - (iii) पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक संभावित दायित्व जहां संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो।

- d) आकस्मिक आरिक्तियों का खुलासा किया जाता है, जहां आर्थिक लाभ के अंतर्बाह की संभावना होती है।
- e) प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है।
- f) इक्विटी शेयरधारकों के लाभांश को देयता के रूप में स्वीकृति दी जाती है और शेयरधारकों की इक्विटी से कटौती की जाती है, जिस अवधि में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा आम बैठक में लाभांश को मंजूरी दी जाती है।
- g) बेसिक EPS की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। आंशिक EPS की गणना सामान्य इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ या हानि को समायोजित करके और सभी आंशिक संचालित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए सामान्य इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित करके की जाती है।

2.13 खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग - खंडों की पहचान

'प्रबंध निदेशक' मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता होता है जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति का आकलन करता है और रणनीतिक निर्णय लेता है। प्रबंधन की राय में, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी ऑपरेटिंग सेगमेंट पर Ind AS 108 द्वारा परिकल्पित रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय खंड है। तदनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों में खंड रिपोर्टिंग के लिए अलग से कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। भूगोल पर आधारित माध्यमिक, विभाजन प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि कंपनी मुख्य रूप से भारत में काम करती है और कंपनी का मानना है कि भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से संचालन में इसके जोखिम और रिटर्न में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

2.14 अनुमानों और निर्णयों का प्रयोग

Ind AS के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक है कि कंपनी का प्रबंधन पूर्वधारणा और अनुमान लगाता है जो अवधि की आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई शेष राशि और आकस्मिक देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करता है। वित्तीय विवरणों की तिथि भविष्य से संबंधित प्रमुख धारणाएं और रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोत, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणी राशियों में एक महत्वपूर्ण समायोजन करने का जोखिम है। कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार किए जाने पर उपलब्ध मापदंडों पर अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधारित किया है। मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, हालांकि, बाजार में परिवर्तन या प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं।

2.15 खातों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी:

1. कोई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नहीं हैं, जिन पर कंपनी का बकाया है, सिवाय नीचे दिए गए विवरण के:
 - a. 31 मार्च, 2021 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राशि 2,39,52,709.00 रुपये है। चूंकि भुगतान विवाद में है और 31.3.21 को देयता की मात्रा निश्चित नहीं है, इसलिए ब्याज की गणना और खुलासा नहीं किया जा सका। आगे इस तथ्य का खुलासा आकस्मिक दायित्व के तहत किया गया था।
इस जानकारी का खुलासा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत किया जाना आवश्यक है, जिसमें कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह के पक्षों की पहचान की गई है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, पुनर्वर्गीकृत और पुनर्व्यवस्थित किया जाता है।
3. एक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद होने वाली घटनाओं पर विचार करने के लिए लेकिन वित्तीय विवरणों को मंजूरी देने से पहले कट ऑफ तिथि 30 जून, 2021 ली गई है।

4. कैश फ्लो स्टेटमेंट AS 7 "कैश फ्लो स्टेटमेंट" की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है।
5. मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के समझौता ज्ञापन के संबंध में प्रकटीकरण:
भोपाल मेट्रो रेल परियोजना और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए भारत सरकार (GoI), मध्य प्रदेश सरकार (GoMP) और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) के बीच समझौता ज्ञापन 19 अगस्त 2019 को निष्पादित किया गया था जिसके अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 224.00 करोड़ रुपये की राशि मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई और शून्य राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई। चूंकि कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 30.00 करोड़ रुपये से रु. 5000.00 करोड़ बढ़ा दी गई है। इसलिए, उक्त वित्तीय वर्ष में भारत सरकार को 176090000 इक्विटी शेयर और मध्य प्रदेश सरकार को 146090000 इक्विटी शेयर जारी करने के बाद (50:50 अनुपात सुनिश्चित करने के लिए) और प्राप्त अतिरिक्त फंड योगदान शीर्ष अनुदान के तहत दिखाया गया है।
6. आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रकटीकरण:
एमएसएमई समाधान - विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली में मैसर्स रोहित एसोसिएट्स सिटाइट्स एंड रेल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंधित, भोपाल एवं इंदौर में एमआरटीएस हेतु डीपीआर तैयार करने हेतु परामर्शी सेवाओं के संबंध में निर्णय हेतु लंबित 22,88,35,757 रुपये के मामले के कारण रिपोर्टिंग तिथि पर देयता की मात्रा निश्चित नहीं है। विभिन्न प्रस्तावों/सविदाओं के तहत देयता यदि कोई हो, जहां रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार देयता की मात्रा निश्चित रूप से अनुमोदित नहीं है, को आकस्मिक देयता माना जा रहा है।
7. पूंजी प्रतिबद्धताओं के संबंध में प्रकटीकरण:
बैलेंस शीट की तिथि को पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाली शेष सविदाओं की अनुमानित राशि का विवरण इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

क्र.	उकेदार का नाम	कार्य की प्रकृति	अनुबंध की तिथि	अनुबंध का अनुमानित मूल्य	20-21 तक चलान की गई संचयी राशि	निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि
1	i) डीबी इंजीनियरिंग एंड कंशलटेन्ट जीएमबीएच, ii) जिथोडेटा इंजीनियरिंग एसपीए एंड iii) लुईस ब्रजर्स एसएसएस का संघ	सामान्य कंशलटेन्ट	22-12-2017	80,052.52	10,103.85	49,948.47
2	मैसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड	भोपाल में एलिवेटेड वायाडक्ट का डिजाइन और निर्माण	01-11-2018	24,706.00	7,522.49	17,183.51
3	मैसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड	इंदौर में एलिवेटेड वायाडक्ट का डिजाइन और निर्माण	01-11-2018	22,896.00	656.20	22,239.80
4	MPPTCL	तकनीकी सर्वेक्षण के साथ भोपाल और इंदौर में ईएचवी उपयोगिता स्थानांतरण	कई अनुबंध	12,398.23	4,558.45	7,839.78

क्र.	उत्केदार का नाम	कार्य की प्रकृति	अनुबंध की तिथि	अनुबंध का अनुमानित मूल्य	20-21 तक चलान की गई संघयी राशि	निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि
5	राइट्स लिमिटेड एण्ड Ardanuy Ingenieria S.A	दो चल स्टॉक डिपो के लिए विस्तृत डिजाइन और परामर्श सेवाएं, एक भोपाल में और एक इंदौर में	26-02-2021	998.00	-	998.00
6	Ardanuy Ingenieria S.A & RITES LTD	भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं में से प्रत्येक के बिजली आपूर्ति प्राप्ति/वितरण, 750 V DC थर्ड रेल ट्रैक्शन विद्युतीकरण और SCADA सिस्टम, के लिए विस्तृत डिजाइन परामर्श सेवाएं	26-02-2021	599.46	-	599.46
	कुल			1,07,654.32	18,282.54	89,371.78

8. प्रति शेयर आय के संबंध में प्रकटीकरण

विवरण	2020-21	2019-20
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (हानि) (रु. लाख में)		(350.33)
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
- मूलभूत	35,21,80,000	3,00,00,000
- डॉयल्यूटेड	35,21,80,000	3,00,00,000
प्रति शेयर मूलभूत आय (रु. 10/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य) (रु.)	(0.06)	(1.17)
प्रति शेयर डॉयल्यूटेड आय (रु. 10/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य) (रु.)	(0.06)	(1.17)

9. इंडस्ट्रीज एस 24 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण

संबंधित पार्टी प्रकटीकरण पर भारतीय लेखा मानक (Ind AS 24) के अनुसार, कंपनी के संबंधित पक्षों के नाम इस प्रकार हैं:

संबंधित पक्षों की सूची जहां नियंत्रण उपस्थित है और उनके संबंध:

a. प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति

- श्री मनीष सिंह (प्रबंध निदेशक)
- श्रीमती सुषमा दुबे (निदेशक वित्त)
- श्री संदीप जैन (कंपनी सचिव)

b. संबंधित पक्षों (प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों) के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को भुगतान किया गया सकल वेतन रु. 10,56,000.00 और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान रु. 10,56,000.00।

10. इंडस्ट्रीज एएस-12 (आयकर) के संबंध में प्रकटीकरण

31.03.2021 को कंपनी के पास 13,26,300.00 रुपये की शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति है।

11. ब्याज आय के संबंध में सूचना

वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज आय रु. 69,04,365.24।

12. लेखापरीक्षा शुल्क के संबंध में सूचना

वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा शुल्क के विरुद्ध 88,500.00 रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रमोद के शर्मा एंड कॉ. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

आज की तिथि में हनारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न
निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(हस्ताक्षर कृत/-)
(सीए प्रमोद शर्मा)
साझेदार
M. नं. 076883
FRN नं.007857C

(हस्ताक्षर कृत/-)
(संदीप जैन)
कंपनी सचिव

(हस्ताक्षर कृत/-)
(सुषमा दुबे)
निदेशक (वित्त)

दिनांक: 09.12.21
स्थान: भोपाल

(हस्ताक्षर कृत/-)
(मनीष सिंह)
निदेशक
DIN: 02947579

(हस्ताक्षर कृत/-)
(छवि भारद्वाज)
प्रबंध संचालक
DIN: 06499360



Sr. No.	Index	Page No.
1.	Corporate Information	86-87
2.	AGM Notice	88
3.	Board's Report and Extract of Annual Return (MGT-9)	89-119
4.	Report of the Comptroller and Auditor Gen. of India (C&AG)	111-113
5.	Independent Auditor's Report	121-128
6.	Balance Sheet for the Year ended 31 st March, 2021	129-130
7.	Statement of Profit and loss for the Year ended 31 st March, 2021	131-132
8.	Cash Flow Statement for the Year ended 31 st March, 2021	134-134
9.	Notes forming part of the Financial Statements for the year ended on 31 st March, 2021	135-177

Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited

CORPORATE INFORMATION

Board of Directors:

Sr. No.	Name	Designation
1.	Shri Kamran Rizvi Additional Secretary (D & UT), Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	Chairman & Director
2.	Ms. D. Thara Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	Director
3.	Shri B.K. Gupta Executive Director/Project Monitoring (SAG/IRSE), Railway Board, Ministry of Railways.	Director
4.	Shri Sanjay Mishra Director (Project), Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Ltd. (UPMRCL)	Director
5.	Shri O.H. Pande Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC).	Director
6.	Shri Manoj Govil Principal Secretary, Govt. of M.P Finance Department.	Director
7.	Shri Neeraj Mandloi Principal Secretary, Govt. of M.P. Public Works Department	Director

Sr. No.	Name	Designation
8.	Shri Manish Rastogi Principal Secretary, Govt. of M.P. Revenue Department.	Director
9.	Shri Nitesh Vyas Principal Secretary, Govt. of M.P. Urban Development & Housing Department.	Director
10.	Shri Manish Singh Principal Secretary, Govt. of M.P. Urban Development & Housing Department.	Managing Director

Statutory Auditors:

M/s P K Khandelwal & Associates,
Chartered Accountants, FRN 06491C
Betul-460 001

Secretarial Auditors:

M/s Neelesh Gupta & Co.,
Practicing Company Secretaris,
Indore-452001

Company Secretary:

Shri Sandeep Jain

- Banker:**
1. Union Bank of India
 2. Central Bank of India
 3. Axis Bank of India
 4. Bank of Baroda

Registered office:

2nd Floor, Smart City Development Corporation Office Building,
Kalibadi Road, BHEL, Sector-A, Berkheda, Bhopal-462022
CIN: U75100MP2015SGC034434

Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited

CIN: U75100MP2015SGC034434

2nd Floor, Smart City Development Corporation Office Building,
Kalbadi Road, BHEL, Sector-A, Berkheda, Bhopal- 462022

Tel. 0755-2475605
Email: metrorail@mpurban.gov.in
Website: www.mpmetrorail.com

No. 569/ MPMRCL/2022/AGM

Bhopal, Dated: 13/04/2022

Annual General Meetings

Ref: MPMRCL office letter No. 487/MPMRCL/2022/AGM dated 01.04.2022.

The Six adjourned Annual General Meetings (AGMs) of the members of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited is scheduled to be held on 22 April, 2022 from 03:30 P.M. will be conducted through video conferencing;

- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statement of the Company for the financial period ended on 31st March, 2021, the reports of the Board of Directors and auditors thereon.
You are requested to make it convenient to attend the said Meetings.
The agenda for the meeting is enclosed.

Sd/-

Chhavi Bhardwaj
Managing Director
DIN:06499360

Note-1: The Sixth Annual General Meeting of the Company was held on 29th November, 2021. However, it was adjourned Sine-Die till the Completion of CAG Audit for the Financial Year 2020-21. Comments of CAG (Comptroller and Auditor General of India) on the audit report for the financial year ended 31st March 2021 were received on 12th April, 2022. Hence, this meeting is being convened to receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the financial period ended 31st March, 2021, the reports of the Board of Directors and Auditors and the comments of the Comptroller & Auditor General of India thereon.

Note-2: A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and on behalf of him. The proxy need not be a member of the Company. Proxy form, in order to be effective, must be received at the registered office of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of the meeting.

To,

1. Shareholders
2. Directors
3. Statutory Auditors

DIRECTORS REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors are pleased to present the Sixth Annual Report on the affairs of the Company for the year ended 31st March, 2021.

The Company was incorporated under the Companies Act, 2013 with Registrar of Companies, Gwalior on 09th July, 2015 to undertake the development of Metro Rail Projects in the State of Madhya Pradesh.

1. Financial Statement Summary:

A summary of Company's financial performance for the financial year ended 31st March, 2021 is summarized below: -

(Amount in Rs.)

Particulars	FY 2020-21
Total Revenue	9,64,85,941.00
Total Expenses	10,01,69,669.00
Profit before exceptional and extraordinary items and tax	(36,83,728.00)
Exceptional items	1,98,20,837.00
Profit before tax	(2,35,04,565.00)
Tax Expense (Deferred tax)	(9,18,220.00)
Profit / (Loss) for the year after Tax	(2,25,86,345.00)

2. State of Company Affair:

Company has been incorporated with the main object of development of Metro Rail Projects in the State of Madhya Pradesh. Currently, the Company is executing Metro rail projects in the city of Bhopal and Indore. The objective of this project is to provide continuous availability of affordable, reliable, safe, secure and seamless transport system in the urban agglomeration of Bhopal and Indore so as to reduce accidents, pollution, travel time, energy consumption and anti-social incidents as well as to facilitate planned urbanisation and sustainable regional development. In the first phase, Bhopal corridor no. 2 and 5 admeasuring a total length of 27.87 km and Indore corridor no. 3 admeasuring a total length of 31.55 km are to be implemented.

The Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), Government of India has sanctioned the Bhopal Metro Rail Project and Indore Metro Rail Project on 30.11.2018.

Bhopal Metro Rail Project – 2 Corridors (As Sanctioned)

- Karond to AllMS – 14.99 Km
- Bhadbada to Ratnagiri Tiraha – 12.88 Km
- Sanctioned Completion Cost – ₹ 6941.40 Crores.

Indore Metro Rail Project – 1 Ring Corridor (As Sanctioned)

- Bengali Square – Vijay Nagar – Bhanwarsala – Airport – Palasia - Bengali Square – 31.55 Km
- Sanctioned Completion Cost – ₹ 7500.80 Crores.

Major events during the period under review:

A. NITs for the following packages were issued:-

- IN-02 for the work of "Design and Construction of Seven (7) Elevated Metro Rail Stations including Viaduct portion within the stations and Transition spans on either side of the stations, Entry-Exit Structures, Architectural Finishes, E&M Works etc. (ISBT/MR10 Flyover, Chandragupta Square, Hira Nagar, Bapat Square, Meghdoot Garden, Vijay Nagar Square & Radisson Square)" of Indore Metro Rail Project at estimated cost of INR 369 Crores published on 27.02.2021. Technical bid will be opened on 02.07.2021.
- IN-03 for the work of "Design and Construction of Elevated Viaduct between Ch.14+488 & Ch.25+415, viaduct connecting Depot leading up to interface location, Nine (9) Elevated Metro Rail Stations including all Civil, Structural, Roof structure, Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) works, Architectural finishes, Façade, Entry/Exits, FOB, Viaduct within the stations including Transition spans" for Indore Metro Rail Project at estimated cost of INR 1000 Crores published on 10.03.2021. Technical bids will be opened on 02.07.2021.
- BH-02 for the work of "Design and Construction of Eight (8) Elevated Metro Rail Stations including Viaduct portion within the stations and Transition spans on either side of the stations (AIIMS, Alkapuri, Habibganj Naka, Habibganj, M.P Nagar Zone-1, DB City Mall, Kendriya Vidyalaya and Subhash Nagar)" for Bhopal Metro Rail Project at estimated cost of INR 421 Crores published on 31.03.2021 after approval of tender document by EIB as package BH-02 will be funded by the EIB.

B. LOA for the following packages were issued:-

- LoA for work of Geotechnical Site Investigation for UG Section & Depot issued on 09.11.2020.
- LoA for work of Detailed Design Consultant (DDC) for Depot Civil and E&M Works issued on 26.09.2020.
- LoA for work of DDC for Power Supply & Traction issued on 09.11.2020.

3. GENERAL INFORMATION

Organizational Set-up

Your Company is a 50:50 Special Purpose Vehicle (SPV) jointly owned by the Government of India and the Government of Madhya Pradesh. The Board of the Company comprises of Five (5) Directors each appointed by the Government of India and the Government of Madhya Pradesh with Additional Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA), Government of India as Chairman of the Company. The Managing Director is the nominee of Government of Madhya Pradesh. The general powers of Management are vested in the Managing Director.

4. Major Changes during the review period

Name of Company has been duly changed from Madhya Pradesh Metro Rail Co. Limited to Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited. During the review period, new set of



Memorandum of Association and Article of Association were duly adopted.

Nominees of Gol and GoMP has been updated on the portal of Ministry of Corporate Affairs. Equity shares were issued to President of India and Governor of Madhya Pradesh along with nominees of Gol and GoMP in 50 :50 ratio.

5. Emergence of COVID 19 Pandemic:

The year 2020-21 was a turbulent year as COVID-19 restrictions affected Metro project implementation activities. The situation is expected to normalise in the times to come with receding waves of pandemic. As the COVID-19 pandemic continues to pose constraints and challenges, MPMRCL focus remains on ensuring safety for its people and assets, timely delivery of ongoing projects. All necessary COVID-19 protocols are followed across all departments of the organisation. Routine vaccination camps were organised by the contractors for the labourers working on site. Safety of the workforce of MPMRCL is of paramount importance to the organisation and necessary precautionary steps have been taken by MPMRCL in the form of regular sanitisations of offices, distribution of masks, hand gloves, sanitizers, etc.

6. Enterprise Resource Planning

MPMRCL has successfully implemented digital transformation at workplace during the lockdown situation of COVID-19 Pandemic. Due to social and physical distancing protocols, work from home was encouraged. Your company was adequately resourced in terms of innovative technologies used throughout the organization and the working of organization was smoothly carried on virtual mode.

Further video conferencing systems for online meetings with employees / vendors / suppliers / consultants / auditors etc. were established for smooth working of the organization remotely.

7. Dividend:

The Company is yet to start its commercial operations and therefore, no dividend is being recommended.

8. Reserves:

During the period under review no amount has been transferred to the Reserves.

9. Change in the Nature of Business, if any:

There was no change in the nature of business of the Company during the financial year ended on 31st March, 2021.

10. Details of Significant and Material orders passed by the regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future:

During the period, no order(s) has been passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

11. Material Changes and Commitments if any, affecting the financial position of the Company occurred between the end of the financial year ended 31st March, 2021 and the date of the Report:

There are no material changes occurred in between the financial year ended on 31st March, 2021 and date of this report which affects the financial position of the Company.

12. Names of the Companies which have become or ceased or ceased to be its subsidiaries/ Joint venture/ Associate Companies during the year:

The Company does not have any Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associate Companies.

13. Deposits:

The Company has not invited/ accepted any deposits from the public during the year ended on 31st March, 2021. There were no unclaimed or unpaid deposits as on March 31, 2021.

14. Statutory Auditors and Auditors Report:

The Comptroller and Auditor General of India, New Delhi vide their letter No./CA. V/COY/ MADHYA PRADESH, MPMRC(1)/969 dated 26/08/2020 has appointed M/s Pramod K. Sharma & Co., Chartered Accountants, (CR-1655), Bhopal-462 011 as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2020-21.

M/s Pramod K. Sharma & Co., Chartered Accountants, have, vide their letter dated 07/10/2020, conveyed the facts of their appointment and certified that the said appointment is in accordance with the conditions as prescribed under Rule 4(1) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 and as provided in section 141 of Companies Act, 2013.

The report of the Statutory Auditors is self- explanatory and does not contain any qualification, reservation, adverse remark or disclaimer. During the year, the Auditors of the Company have not reported any fraud under section 143(12) of the Companies Act, 2013.

15. Capital Structure:

The Authorised share capital of the Company has been duly increased by Board of Directors and shareholders from Rs. 30.00 Crores to 5,000.00 Crores to issue further equity shares against Equity contributions of Gol and GoMP.

The paid-up share capital of the Company increased from Rs. 30,00,00,000/- (Rupees Thirty Crores only) divided into 3,00,00,000 equity shares of Rs. 10/- each to Rs. 352,18,00,000 (Rupees Three Hundred Fifty-Two Crores and Eighteen Lacs only) divided into 35,21,80,000 equity shares of Rs. 10/- each on right issue basis ranking pari-passu with existing equity shares of the company. The Company has no other type of securities except equity shares forming part of paid-up capital.

16. Annual Return under Section 92(3):

In accordance with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013, the Annual Return referred to in Section 92(3) of the Companies Act, 2013 in Form No. MGT - 9 is attached at Annexure - "A".

17. Conservation of Energy, Technology absorption and Foreign Exchange Earning and outgo:

During the year information regarding conservation of Energy, Technology absorption and foreign Exchange Earning and outgo required under section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013.

(A) Conservation of energy	:	Nil
(B) Technology absorption	:	Nil
(C) Foreign exchange earnings and Outgo	:	Nil

18. Board of Directors:**(i) Particular of Change in Directors and Key Managerial Personnel during the year**

Sr. No.	Name	DIN	Date of Appointment/ Cessation	Nature of change
1	Shri Kamran Rizvi Additional Secretary (D & UT), Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	01653503	18/11/2020	Appointment
2.	Ms. D. Thara Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	01911714	18/11/2020	Appointment
3.	Shri B.K. Gupta, Executive Director/ Project Monitoring (SAG/IRSE), Railway Board, Ministry of Railways.	08121844	18/11/2020	Appointment
4.	Shri Sanjay Mishra Director (Project), Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Ltd. (UPMRCL)	08102041	18/11/2020	Appointment
5.	Shri O.H. Pande Director (Elect), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC).	08397090	18/11/2020	Appointment
6.	Shri Manoj Govil Principal Secretary, Govt. of M.P. Finance Department.	07651991	18/11/2020	Re-designated as Nominee Director
7.	Shri Neeraj Mandloi Principal Secretary, Govt. of M.P. Public Works Department	02037213	18/11/2020	Re-designated as Nominee Director
8.	Shri Manish Rastogi Principal Secretary, Govt. of M.P. Revenue Department.	02579544	18/11/2020	Re-designated as Nominee Director

Sr. No.	Name	DIN	Date of Appointment/ Cessation	Nature of change
9.	Shri Nitesh Vyas Principal Secretary, Govt. of M.P. Urban Development & Housing Department.	02320055	18/11/2020	Managing Director and Re-designated as Nominee Director
10.	Shri Nikunj Srivastava Commissioner, Urban Administration and Development, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal	02008508	18/11/2020	Appointment
11.	Shri Manish Singh Principal Secretary, Govt. of M.P. Urban Development & Housing Department.	02947579	25/01/2021	Appointment as Managing Director
12.	Shri Nitesh Vyas Principal Secretary, Govt. of M.P. Urban Development & Housing Department.	02320055	25/01/2021	Re-designated as Nominee Director
13.	Shri Nikunj Srivastava Commissioner, Urban Administration and Development, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal	02008508	25/01/2021	Cessation

(ii) Details of directors and Key managerial personnel as on the closure of financial year:

Sr. No.	Name	DIN	Designation
1.	Shri Kamran Rizvi Additional Secretary (D & UT), Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	01653503	Chairman & Director
2.	Ms. D. Thara Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	01911714	Director

Sr. No.	Name	DIN	Designation
3.	Shri B.K. Gupta Executive Director/Project Monitoring (SAG/IRSE), Railway Board, Ministry of Railways.	08121844	Director
4.	Shri Sanjay Mishra Director (Project), Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Ltd. (UPMRCL)	08102041	Director
5.	Shri O.H. Pande Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC).	08397090	Director
6.	Shri Manoj Govil Principal Secretary, Govt. of M.P. Finance Department.	07651991	Director
7.	Shri Neeraj Mandloi Principal Secretary, Govt. of M.P. Public Works Department	02037213	Director
8.	Shri Manish Rastogi Principal Secretary, Govt. of M.P. Revenue Department.	02579544	Director
9.	Shri Nitesh Vyas Principal Secretary, Govt. of M.P. Urban Development & Housing Department.	02320055	Director
10.	Shri Manish Singh Principal Secretary, Govt. of M.P. Urban Development & Housing Department.	02947579	Managing Director
11.	Smt. Sushma Dubey	AERPD8773J	Director (Finance) and CFO
12.	Sh. Sandeep Jain	M.No. F7847	Company Secretary

(iii) Declaration by Independent Director(s) and re- appointment, if any:

Ministry of Corporate Affairs vide the notification no. G.S.R. 839(E) dated 5th July, 2017 have notified the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2017, wherein Unlisted Public Companies in the nature of 'Joint Venture' are exempted from the requirements of compliances as provided in section 149(4) of the Companies Act, 2013. In view of the aforementioned notification, your company is exempted from the requirement of appointment of Independent Directors on the Board of Directors.

(iv) Number of meetings of the Board:

The Board of Directors met two (2) times during the financial year from 1st April, 2020 to 31st March, 2021. The dates on which the meetings were held are: – 26th August, 2020 and 29th December, 2020 during the period under review. Annual Financial Statement for F.Y. 2020-21 was approved in Board Meeting held on 29th November, 2021.

(v) Committee of the Board:

The following Committee were constituted by the Board of Directors:

Committee	Member as on 31/03/2021	Members as on date of Report	Designation
Audit Committee	Shri Manoj Govil Shri O.H. Pande Shri Nitesh Vyas	Shri Manoj Govil Principal Secretary, Govt. of M.P., Finance Department	Chairman
		Shri O.H. Pande Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC), Nominee of Gol	Member
		Ms. Chhavi Bhardwaj Managing Director, MPMRCL	Member Secretary
Nomination and Remuneration Committee	Shri Neeraj Mandloi Shri O.H. Pande Shri Nitesh Vyas Shri Jaideep OSD (UT), MoHUA	Shri Neeraj Mandloi Principal Secretary, Govt. of M.P., Public Works Department	Chairman
		Shri O.H. Pande Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC), Nominee of Gol	Member
		Ms. Chhavi Bhardwaj Managing Director, MPMRCL	Member Secretary
		Shri Jaideep OSD (UT), MoHUA	Permanent Invitee

(vi) Meeting of the Audit Committee

Pursuant to the requirement of the Companies Act, 2013, your Board of Directors have constituted an Audit Committee. The Audit Committee comprises three nominee Directors of Government of India and Government of Madhya Pradesh as Members.

During the year under review no meeting of the Audit Committee was held.

(vii) Meeting of the Nomination and Remuneration Committee

Pursuant to the requirement of the Companies Act, 2013, your Board of Directors have constituted a Nomination and Remuneration Committee. The Nomination and Remuneration Committee comprises three nominee Directors of Government of India and Government of Madhya Pradesh as Members.

During the year under review one (1) meeting of the Nomination and Remuneration Committee was duly held on 05th February, 2021.

19. Managerial and Employees Remuneration:

During the year, the Company has paid Managerial and Employees Remuneration within the limits as laid down in the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

20. Particulars of loans, guarantees or investments under Section 186:

No Loan(s) or Guarantee(s) has been given and no investment(s) has been made under Section 186 by the Company during the financial year under review.

21. Particulars of contracts or arrangements with related parties under section 188(1):

No contract or arrangements were entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act.

22. Corporate Social Responsibility (CSR)

The provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made there under, in respect of Corporate Social Responsibility, were not applicable to the Company for the Financial Year 2020-21.

As per newly inserted Sub-section (9) of Section 135 of the Companies Act, 2013 vide Companies (Amendment) Act, 2020 effective from 22nd January 2021, where the amount to be spent by a company under sub-section (5) does not exceed fifty lakh rupees, the requirement under sub-section (1) for constitution of the Corporate Social Responsibility Committee shall not be applicable and the functions of such Committee provided under this section shall, in such cases, be discharged by the Board of Directors of such company. However, the Company is not generating Net Profit for the F.Y. 2020-21 and hence the provisions of Section 135, in respect of spending of 2% of the last 3 year's Average Net Profit, is not yet applicable.

23. Risk Management and Internal Adequacy:

The Company has adequate risk management process to identify and notify the Board of Directors about the risks or opportunities that could have an adverse impact on the Company's operations or to that could be exploited to maximize the gains.

24. Directors' Responsibility Statement:

As per the Directors' Responsibility Statement referred to in clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013, it is stated that: -

- a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- e) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

25. Comments of the Comptroller and Auditor General of India and replies of Management thereof is attached at **Annexure - "B"**.

26. Cost Auditors:

As per the provisions of the Companies Act, 2013 the Company is neither required to maintain cost records nor to appoint Cost Auditors.

27. Secretarial Auditors:

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 read with The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Company has appointed M/s. Neelesh Gupta & Co., Practicing Company Secretaries, (CP No.6846) to undertake the secretarial audit of the Company the financial year 2020-21. The Secretarial Audit Report issued by the Secretarial Auditor is placed at Annexure – C of this report. The Secretarial Auditor has made the following observations in its report: -

1. The Board of Directors met two (2) times during the year. The dates on which the meetings were held are:- 26th August, 2020 and 29th December, 2020. However Company was require to hold at least Four Board meetings during the Calendar year and gap of between two Board meetings shall not exceed 120 days.
2. During the review period audited financial statement for the year ended 31st March, 2020 was not adopted in the Annual General Meeting held on 05th October, 2020 due to non-availability of comments of CAG, if any.

Management Explanation to the observations of the Secretarial Auditor are as under: -

1. Will ensure compliance in future
2. The observation of the Secretarial Auditor is self-explanatory and does not require any explanation.

28. Human Resources:

The Human Resources Department at MPMRCL aims to create a stable work environment. As on 31st March, 2021, the employee strength of MPMRCL was 33. Your company is in the process to appoint various human resources in the company.

29. Sexual Harassment at Workplace

During the year no case of Sexual Harassment of workman/ employee at work place was reported.

30. Acknowledgements:

The Board of Directors of the Company wish to place on record, their thanks and appreciation to all workers, staff members and executives for their contribution to the operations of the Company. The Directors also place on record their sincere thanks to the shareholder for their continued support, co-operation and confidence in the Management of the Company.

By the order of the Board

Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Ltd.

Place: Bhopal

Date: 22.04.2022

Sd/-

(Manish Singh)

Director

DIN : 02947579

Sd/-

(Chhavi Bhardwaj)

Managing Director

DIN : 06499360

Form No. MGT-9**EXTRACT OF ANNUAL RETURN****As on the financial year ended on 31.03.2021**

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

1	CIN	U75100MP2015SGC034434
2	Registration Date	09 th July, 2015
3	Name of the Company	Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited
4	Category/Sub-Category of Company	Metro Railway Transport Services
5	Address of the Registered office and contact details	2nd Floor, Smart City Development Corporation Office Building, Kalibadi Road, BHEL, Sector A, Berkheda, Bhopal - 462022
6	Whether listed company	No.
7	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	N.A.

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the Company shall be stated:-

S. No.	Name and Description of main products/ services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the Company
1	Urban & Sub-Urban Metro Railway Transport Services	99641112	100

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S.No.	Name of the Company	CIN	Holding/ subsidiary/ Associate	%of shares held	Applicable Section
1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil



IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

1) Category-wise Shareholding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year (As on 01-April 2020)			No. of Shares held at the end of the year (As on 31-March-2021)				% change in Share holding during the year	
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total		% of Total Shares
A. Promoter(s)									
(1) Indian									
a) Individual/ HUF									
b) Central Govt./ President of India	-	-	-	-	-	176090000	176090000	50%	100%
c) State Govt. (s)	-	300000000	300000000	100%	-	176090000	176090000	50%	487%
d) Bodies Corp.									
e) Banks/FI									
f) Any Other									
Sub-total (A)(1):-	-	300000000	300000000	100%	-	352180000	352180000	100%	1074%

1) Foreign a) NRIs -Individuals b) Other - Individuals c) Bodies Corp. d) Banks/Fi e) Any Other Sub-total(A) (2):- Total shareholding of Promoter (A)= (A) (1)+(A)(2)									
	-	30000000	30000000	100%	-	352180000	352180000	100%	1074%
B. Public Shareholding 1.Institutions a) Mutual Funds b) Banks/Fi c) Central Govt d) State Govt (s) e) Venture Capital Funds f) Insurance Companies g) FIs h) Foreign Venture Capital Funds i) Others Sub-total (B) (1):-									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.Non- Institutions									
a) Bodies Corporates									
i) Indian									
ii) Overseas									
b) Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs.1lakh									
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs.1 lakh									
c) Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total(B)(2):-									
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)									
C- Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (A+B+C)	-	30000000	30000000	100	-	352180000	352180000	100	1074

ii) Shareholding of Promoters

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share-holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	
1	Shares held by President of India, Governor of Madhya Pradesh and 10 nominees of Gol and GoMP.	3000000	100	-	352180000	100	-	-
	Total	3000000	100%	-	352180000	100%	-	-

(iii) Change in Promoters' Shareholding please specify, if there is no change): **No Change**

S. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1.	Government of Madhya Pradesh.				
	At the beginning of the year (Prior to issue of further shares on 29/12/2020)	30000000	100%	30000000	100%
	Post issue status of shares on 29/12/2020	*30000000	8.52%	30000000	30000000
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment, sweat equity etc.		Decrease in percentage of shareholding due to allotment of shares to H.E. the President of India (Gol) *14,60,90,000 on (29.12.2020)		41.48% 176090000 50%

S. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
A	At the end of the year	176090000	50%	176090000	50%
II	President of India				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment, sweat equity etc.	Increase in percentage of shareholding due to allotment of shares *17,60,90,000 on (29.12.2020)	50%	176090000	50%
B	At the end of the year	176090000	50%	176090000	50%
Grand Total (A+B)		352180000	100%	352180000	100%

*During the year the Company has increased the paid up share capital from Rs. 30 Crore (3,00,00,000 Equity shares of Rs 10/- each) to Rs. 352.18 Crore (35,21,80,000 Equity shares of Rs. 10/- each) by issue of Equity share and made the allotment of 32,21,80,000 Equity shares to (1) 176090000 to President of India and (2) 14,60,90,000 to Governor of MP.

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs): NIL

S. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
	For each of the Top 10 Shareholders				
1	At the beginning of the year	NOT APPLICABLE			
2	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc.)				
3	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:-

S. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
1	At the beginning of the year	Shares held by President of India, Governor of Madhya Pradesh and 10 Nominees of GoI and GoMP.			
2	Date wise Increase/Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc.)				
3	At the end of the year				

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment:

(Amount in Rs.)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	NIL	NIL	NIL	NIL
ii) Interest due but not paid	NIL	NIL	NIL	NIL
iii) Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL
Total(i+ii+iii)	NIL	NIL	NIL	NIL
Change in Indebtedness during the financial year				
i) Addition	NIL	NIL	NIL	NIL
ii) Reduction	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Change	NIL	NIL	NIL	NIL
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	NIL	NIL	NIL	NIL
ii) Interest due but not paid	NIL	NIL	NIL	NIL
iii) Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL
Total (i+ii+iii)	NIL	NIL	NIL	NIL

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager: NIL

SN	Particulars of Remuneration	Name of MD/ WTD/ Manager	Total Amount
1.	Gross salary (a)Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b)Value of perquisites u/s 17(2)Income-tax Act, 1961 (c)Profits in lieu of salary under section17(3) Income- tax Act, 1961		
2.	Stock Option		
3.	Sweat Equity		
4.	Commission - as % of profit - others specify		
5.	Others, please specify		
	Total(A)		
	Ceiling as per the Act		

B. Remuneration to other directors:

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors	Total Amount
	Independent Directors:- Fee for attending board committee meetings ·Commission · Others, please specify		
	Total(1)		
	Other Non-Executive Directors:- Fee for attending board committee meetings ·Commission · Others, please specify		
	Total(2)		
	Total(B)=(1+2)		
	Total Managerial Remuneration		

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD
(Amount in Rs.)

S.N.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1.	Gross salary				
	(a)Salary as per provisions contained in section17(1)of the Income-tax Act,1961	00	10,56,000	00	00
	(b)Value of perquisites u/s 17(2)Income-tax Act,1961	00	00	00	00
	(c)Profits in lieu of salary under section17(3)Income-tax Act,1961	00		00	00
2	Stock Option	0	0	0	0
3	Sweat Equity	0	0	0	0
4	Commission				
	- as % of profit	0	0	0	0
	-others, specify				
5	Others, please specify	0	0	0	0
	Total	0	10,56,000	0	0

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDINGOFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief De- scription	Details of Penaly/ Punishment/ Compounding Fees imposed	Authority[RD/ NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give details)
A.COMPANY					
Penalty					
Punishment					
Compounding			NONE		
B.DIRECTORS					
Penalty					
Punishment			NONE		
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty					
Punishment					
Compounding			NONE		

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER
SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS
OF MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED, BHOPAL FOR THE YEAR
ENDED ON 31st MARCH 2021**

The preparation of financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited, Bhopal for the year ended on 31st March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 9th December, 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31st March 2021 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matter under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which, in my view, are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report.

A. Comment on Profitability

Statement of Profit and Loss

Expenses

Other expenses (Note-29) Rs 733.29 lakh.

1. Company made provision for rent for the period from October 2020 to March 2021 at the rate of Rs. 6.64 lakh per month instead of Rs. 8.65 lakh per month payable to Bhopal Smart City Development Corporation Limited. Short provisioning resulted in understatement of Other Expenses, understatement of Provisions, understatement of loss and overstatement of Other Equity (Note- 14) by Rs. 12.06 lakh.

Reply of the Management.

It may be noted that upon frequent reminders to Bhopal Smart City Development Corporation Limited, the execution of leave and licence agreement was still in process. In absence of the formal agreement containing details of rental amount, the amount of provision (6,63,868 x 6= 39,83,208) has been prepared based on the approval accorded by the competent authority.

Further, guidelines relating with respect to the provision will be ensured in the Financial Statements of the future periods.

Expenses

Other expenses (Note- 29) Rs. 733.29 lakh

2. Company paid rent of Rs. 198.21 lakh for the period from November 2018 to September 2020 and the same was shown as Exceptional Items in Statement of profit and loss. However, the rent of Rs. 5189340 paid for the period from April 2020 to September 2020 should have been treated as expenditure and included in Other expenses. This has resulted in understatement of other expenses, overstatement of Exceptional Items by Rs. 51.89 lakh and understatement of loss to the same extent.

Reply of the Management.

It may be noted that above observation is related to presentation which will be ensured in the Financial Statements of the future periods.

B. Comments on Auditor's Report

The financial statement for the year 2019-20 were not adopted at the time of certification of accounts by the Auditor for the year 2020-21. This fact should have been disclosed in the Independent Auditor's Report. Thus, the Independent Auditor's Report is deficient to that extent.

Reply of the Management.

In reply to above observation, Statutory Auditor has commented that the fact of non-adoption of previous year's Accounts in the Independent Auditor's Report on Financial Statements for the F.Y. 2020-21 has not been captured inadvertently which will be assured in the future periods.

C. General

The company held only two meeting of the Board of Directors during the year 202-21 instead of the four meeting in non-compliance of Section 173 of the Company Act, 2013.

Reply of the Management.

Will ensure compliance in future.



पत्र क्र. रू.स्य.जे.ए.मि.डी.रेल/उत्तरविधि/आ-14

दिनांक: 12.04.2022

प्रति

प्रबंध निदेशक,

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड,

पालिका भवन शियाजी नगर

भोपाल,

मध्य प्रदेश, 452 003

विषय- मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों।

महोदय,

विषयगतगत, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है। जिसे आप संवालों के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप में वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशित करें। वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने के बाद उसकी 05 प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें एवं इस पत्र की फावती भिजवाएं।

संलग्नक: अथोपरि

भवदीय,


वरिष्ठ उपमहालेखाकार/रू.एम.जी. II

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE
FINANCIAL STATEMENTS OF MADHYA PRADESH METRO RAIL
CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021**

The preparation of financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited, Bhopal for the year ended 31 March 2021 in accordance with financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 09 December, 2021.

I, on behalf of Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2021 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditor and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditor and Company personnel and selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which, in my view, are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report:

A. Comment on Profitability

Statement of Profit and Loss

Expenses

Other expenses (Note-29) Rs 733.29 lakh.

I. Company made provision for rent for the period from October 2020 to March 2021 at the rate of Rs 6.64 lakh per month instead of Rs. 8.65 lakh per month payable to Bhopal Smart City Development Corporation Limited. Short provisioning resulted in

understatement of Other Expenses, understatement of Provisions, understatement of loss and overstatement of Other Equity (Note-14) by Rs.12.06 lakh.

Expenses

Other expenses (Note-29) Rs 733.29 lakh

2. Company paid rent of Rs 198.21 lakh for the period from November 2018 to September 2020 and the same was shown as Exceptional Items in Statement of profit and loss. However, the rent of Rs 5189340 paid for the period from April 2020 to September 2020 should have been treated as expenditure and included in Other expenses. This has resulted in understatement of Other expenses, overstatement of Exceptional Items by Rs 51.89 lakh and understatement of loss to the same extent.

B. Comments on Auditor's Report

The financial statements for the year 2019-20 were not adopted at the time of certification of accounts by the Auditor for the year 2020-21. This fact should have been disclosed in the Independent Auditor's Report. Thus, the Independent Auditor's Report is deficient to that extent.

C. General

The Company held only two meeting of the Board of Directors during the year 2020-21 instead of the four meetings in non-compliance of Section 173 of the Companies Act, 2013.

For and on the behalf of the
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA



(Bijit Kumar Mukherjee)
Accountant General,
Audit-II
Madhya Pradesh, Bhopal

Place: Bhopal

Date: 12.04.2022

To,

The Members,
MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Madhya Pradesh Metro Rail Co Limited)
2nd Floor, Smart City Development Cor. Ltd.office Building,
Kalibadi Road, BHEL, Sector A, Berkheda
Bhopal MP 462022 IN

Our secretarial Audit Report for the Financial year ended 31st March, 2021 of even date is to be read along with this letter.

Management's Responsibility

1. It is the responsibility of the management of the company to maintain Secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the company with respect to secretarial compliances.
3. We believe that audit evidence and information obtained from the company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
4. where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

Disclaimer

1. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
2. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.

Date: 24/12/2021

Place: Indore

For Neelesh Gupta & Co.,

Company Secretaries

(sd/-)

CS. Neelesh Gupta
Proprietor
C.P. No.6846

FORM NO. MR-3**SECRETARIAL AUDIT REPORT****FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021**

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and
Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,
MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Madhya Pradesh Metro Rail Co Limited)
2nd Floor, Smart City Development Cor. Ltd.office Building,
Kalibadi Road, BHEL, Sector A, Berkheda
Bhopal MP 462022 IN

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED (Formerly Madhya Pradesh Metro Rail Co Limited) (hereinafter called 'the company'). The Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

The Company's Board of Directors are responsible for the matters of Compliances of the various provisions of the Companies Act, 2013 and other applicable laws. Our responsibility to conduct the audit of the Compliances made during the year upon test check basis. We have adopted such methods and procedure and based on our verification of the MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2021 has complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2021 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- (ii) The Metro Railways (Construction of works) Act, 1978 and Rules thereof;
- (iii) The Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 and Rules thereof; and
- (iv) The Memorandum and Articles of Association of the Company
- (v) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;
- (vi) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
- (vii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under;

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India;

During the period under review and as per the explanations and representations made by the management and subject to clarifications given to us, the Company has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Standards, Guidelines, etc., mentioned above.

We further report that:

Based on our verification of books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st Day of March, 2021 complied with the statutory provisions listed hereunder:

- i. maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;
- ii. forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies;
- iii. service of documents by the Company on its Members, Auditors and the Registrar of Companies;
- iv. notice of Board and various Committee meetings of Directors;
- v. meetings of Directors and all the Committees of Directors;
- vi. notice and convening of 5th Annual General Meeting held on 05th October, 2020;
- vii. minutes of the proceedings of the Board Meetings, Committee and Members Meetings;
- viii. approvals of the Board of Directors, Committee of Directors, Members and Government authorities, wherever required;
- ix. constitution of the Board of Directors, Committees of Directors and appointment and reappointment of Directors;
- x. payment of remuneration to Directors and Managing Director and Key Managerial Personnel;
- xi. Appointment and remuneration of Statutory Auditors, Secretarial Auditors and Internal Auditors;
- xii. transfer of Company's shares, issue and allotment shares;
- xiii. contracts, registered office and publication of name of the Company;
- xiv. report of the Board of Directors;
- xv. investment of Company's funds;
- xvi. generally, all other applicable provisions of the Act and the Rules there under;
- xvii. The Company has, in our opinion, proper Board-processes and compliance mechanism and has complied with the applicable statutory provisions, Act(s), rules, regulations, guidelines, applicable secretarial standards, etc., mentioned above and as stipulated under the Memorandum and Articles of Association the Company.

We further report that:

The Board of Directors of the Company are duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors. Ministry of Corporate Affairs vide the notification no. G.S.R. 839(E) dated 5th July, 2017 have notified the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2017, wherein Unlisted Public Companies in the nature of 'Joint Venture' are exempted from the requirements of compliances as provided in section 149(4) of the Companies Act, 2013. In view of the aforementioned notification company is exempted from the requirement of appointment of Independent Directors on the Board of Directors.

During the year following Director has been appointed as Nominee Director of Company:

DIN	Full Name	Designation	Date of Appointment
01653503	Shri Kamran Rizvi	Chairman and Director Nominee of GoI	18/11/2020
01911714	Ms. D. Thara	Nominee	Direcotr (Nominee of GoI) 18/11/2020

DIN	Full Name	Designation	Date of Appointment
08102041	Shri Sanjay Mishra	Nominee Director(Nominee of GoI)	18/11/2020
08121844	Shri B.K. Gupta	Nominee Director(Nominee of GoI)	18/11/2020
08397090	Shri O.H. Pande	Nominee Director(Nominee of GoI)	18/11/2020
07651991	Shri Manoj Govil	Nominee Director (Nominee of GoMP)	18/11/2020 (Change in designation)
02320055	Shri Nitesh Vyas	Managing Director (Nominee of GoMP)	18/11/2020 (Change in designation)
02579544	Shri Manish Rastogi	Nominee Director (Nominee of GoMP)	18/11/2020 (Change in designation)
02037213	Shri Neeraj Mandloi	Nominee Director (Nominee of GoMP)	18/11/2020 (Change in designation)
02008508	Shri Nikunj Srivastava	Nominee Director (Nominee of GoMP)	18/11/2020 (Appointment) 25/01/2021 (Cessation)
02947579	Shri Manish Singh	Managing Director (Nominee of GoMP)	25/01/2021

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance the orders of ,Government of India, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) and Urban Development & Housing Department, Government of Madhya Pradesh in consonance of the Companies Act..

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions at Board Meetings and Committee Meetings were carried out by majority as recorded in the minutes of the meetings of the Board of Directors or Committees of the Board, as the case may be.

We further report that during the year:

The status of the Company remains as a Government Company with 50:50 Joint Venture of Government of Madhya Pradesh and Government of India. Further, we are of the view that the Company is regular in complying with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 and the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (Being specific acts governing the Company).

- i. The compliance to that effect have been made, this fact has been examined from the perusal of various records maintained by the Company.
- ii. During the period under review, the Board of Directors of the Company was duly constituted and the appointment and cessation of Directors has been made in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and respective Government Orders. The Company has complied with all the mandatory requirements.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India;
 - (ii) Auditing Standards (CSAS) issued by The Institute of Company Secretaries of India (ICSI)
- During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules,

Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:
Para wise Report on specific observations / audit qualification, reservation or adverse remarks in respect of the applicable laws are provided in the "Annexure A" attached with this report (forming integral part of report).

We further report that:

There are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines, standards etc.

We further report that:-

During the audit period of the company, there were no instances of:

- (i) Public issue of shares/debentures/sweet equity.
- (ii) Redemption/buy-back of securities.
- (iii) Merger/amalgamation/reconstruction etc.
- (iv) Foreign technical collaboration.

We further report that:

During the Audit period of the company, there were instances of:

1. Change in the Name of the Company and Alteration of MOA and AOA
During the year Company has duly change its name from Madhya Pradesh Metro Rail Co Limited to Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited in the Extra Ordinary General Meeting held on 05th October, 2020 and subsequently also alter the MOA and AOA during the year.
2. Increase in Authorize Capital of the Company and Alteration of MOA and AOA
During the year Company has increase the Authorized Share Capital of the Company from Rs.30 Crores (Rupees Thirty Crores to Rs. 5000 Crores (Five Thousand Crores) in the Extra Ordinary General Meeting held on 05th October, 2020 after approval from Board of Directors.
3. Adoption of new set of Article of Association and Memorandum of Association
During the year Company has adopted the new set of Articles of Association and Memorandum of Association in the Extra Ordinary General Meeting held on 05th October, 2020
4. Change in the constitution of the Board of Director of the Company.
Since Company has Converted into 50:50 jointly owned Special Purpose Vehicle (SPV) of Government of India and Government of Madhya Pradesh
hence Company has in order to give effect the 50:50 jointly owned Special Purpose Vehicle (SPV) has reconstituted the Board as follows
50% of the Board of Director is being represented by the Nominee of the Government of India and 50% of the Board of Director is being represented by the Nominee of the Government of Madhya Pradesh.
5. Allotment of Shares
During the year company has increased the paid up share capital from Rs. 30 Crore (3,00,00,000 Equity share of Rs. 10/ each) to Rs. 352.18 Crore (35,21,80,000 Equity share of Rs. 10/ each) by issue of Equity share on the basis of Right issue with pari-passu with existing equity shares of the company.
Company has made the allotment of 32,21,80,000 Equity share to the allottee, list of which is mentioned herewith:

S.No.	Name of Allottee	Number of Equity shares of Rs. 10/- each
1.	President of India	17,60,90,000
2.	Governor of Madhya Pradesh	14,60,90,000

and Existing 3 Crores shares currently held by various nominees of GoMP on behalf of the Governor of GoMP was transferred to the Governor of Madhya Pradesh.

Date: 24/12/2021

Place: Indore

For Neelesh Gupta & Co.,
Company Secretaries

(sd/-)

CS. Neelesh Gupta
Proprietor
C.P. No.6846

UDIN:F006381C001900075

Annexure A

1. The Board of Directors met two (2) times during the year. The dates on which the meetings were held are:- 26th August, 2020 and 29th December, 2020. However Company was required to hold at least Four Board meetings during the Calendar year and gap of between two Board meetings shall not exceed 120 days.
2. During the review period audited financial statement for the year ended 31st March, 2020 was not adopted in the Annual General Meeting held on 05th October, 2020 due to non availability of comments of CAG if any



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

THE MEMBERS OF MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED Report on the Audit of the financial statements Opinion

1. We have audited the accompanying financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (the 'Company'), which comprises of the Balance Sheet as at 31st March 2021, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Opinion

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the 'Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including Indian Accounting Standards ('Ind AS') specified under Section 133 of the Act, of the state of affairs (financial position) of the Company as at 31 March 2021, and its Loss (financial performance including other comprehensive income), its cash flow and the changes in equity for the year ended on that date.
3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI') together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Information other than the Financial Statement and Auditor's Report thereon

5. The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the financial statements

6. The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the state of affairs (financial position), profit or loss (financial performance including other comprehensive income), changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Ind AS specified under Section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
7. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
8. Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the financial statements

9. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
10. As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 - a. Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - b. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3) (i) of the Act, we are also responsible for explaining our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- c. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - d. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
 - e. Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the disclosures and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
11. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
 12. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
 13. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
 14. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

15. As required by Section 197(16) of the Act, we report that the Company has not paid any remuneration to its directors during the year in accordance with the provisions of and limits laid down under Section 197 read with Schedule V to the Act.
16. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 (the 'Order') issued by the Central Government of India in terms of Section 143(11) of the Act, we give in the Annexure A, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
17. Further to our comments in Annexure A, as required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

- b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
- c) the financial statements dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- d) in our opinion, the aforesaid financial statements comply with Ind AS specified under Section 133 of the Act;
- e) on the basis of the written representations received from the directors and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March 2021 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act;
- f) we have also audited the internal financial controls over financial reporting (IFCoFR) of the Company as on 31st March, 2021 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date and our report as per Annexure B expressed an unmodified opinion;
- g) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (as amended), in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. the Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in the financial statements;
 - ii. the Company has made provision, as required under the applicable law or Ind AS, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts;
 - iii. there were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company during the year ended 31 March 2021.

Date: 09-12-2021

Place: Bhopal

For PRAMOD K SHARMA & CO.

Chartered Accountants

(Sd/-)

CA PRAMOD SHARMA

Partner

M. No.: 076883;

FRN: 007857C

UDIN : 21076883AAABLA1098



**ANNEXURE A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE TO THE
MEMBERS OF MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED, ON THE
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021**

ANNEXURE A

Based on the audit procedures performed for the purpose of reporting a true and fair view on the financial statements of the Company and taking into consideration the information and explanations given to us and the books of account and other records examined by us in the normal course of audit, and to the best of our knowledge and belief, we report that:

- i. (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
(b) As per the information and explanation given to us, the Company has a regular program of physical verification of its property, plant and equipment under which property, plant and equipment are verified annually, which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. In accordance with this program, property, plant and equipment were verified during the year and no material discrepancies were noticed on such verification.
(c) As per the information and explanation given to us, there are no immovable properties held in the name of the Company.
- ii. The Company is in the business of developing Metro Rail Projects and does not have any physical inventories. Accordingly, reporting under clause 3 (ii) of the Order is not applicable to the Company
- iii. According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any secured or unsecured loan to party covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013. Accordingly, reporting under clause 3 (iii) of the Order is not applicable to the Company
- iv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has complied with the provisions of Sections 185 and 186 of the Act in respect of making investments, as applicable. The Company has not entered into grant of loans, and providing guarantees and securities, accordingly, reporting under clause 3 (iv) of the Order is not applicable to the Company.
- v. In our opinion, the Company has not accepted any deposits within the meaning of Sections 73 to 76 of the Act and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (as amended). Accordingly, the provisions of clause 3(v) of the Order are not applicable.
- vi. The maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the business activities carried out by the Company. Thus reporting under clause 3(vi) of the order is not applicable to the Company.
- vii. According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:
 - (a) The Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Income Tax, Sales Tax, Goods and Service Tax and other material statutory dues applicable to it with the appropriate authorities.

- (b) There were no undisputed amounts payable in respect of Income Tax, Sales Tax, Goods and Service Tax, and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2021 for a period of more than six months from the date they became payable.
- viii. The Company has not taken any loans or borrowings from financial institutions, banks and government or has not issued any debentures. Hence reporting under clause 3 (viii) of the Order is not applicable to the Company.
- ix. The Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or term loans and hence reporting under clause 3 (ix) of the Order is not applicable to the Company.
- x. As per information and explanation given to us by the management, we report that we have neither come across any instances of fraud by the company or on the Company by its officers or employees, noticed or reported during the year nor have we been informed of any such case by the management.
- xi. No Managerial remuneration has been paid and provided by the Company hence, the provisions of Section 197 of the Act read with Schedule V to the Act are not applicable.
- xii. In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Accordingly, provisions of clause 3(xii) of the Order are not applicable.
- xiii. In our opinion all transactions with the related parties are in compliance with Sections 177 and 188 of Act, where applicable, and the requisite details have been disclosed in the financial statements etc., as required by the applicable Ind AS.
- xiv. During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures. Accordingly, provisions of clause 3(xiv) of the Order are not applicable.
- xv. The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

**ANNEXURE B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE TO THE
MEMBERS OF MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED, ON THE
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021**

ANNEXURE B

Independent Auditor's report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (the "Act")

1. In conjunction with our audit of the financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (the "Company") as at and for the year ended 31 March 2021, we have audited the internal financial controls over financial reporting of the Company as of that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

2. The Company's Board of Directors is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of the Company's business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing, issued by the ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls over financial reporting and the Guidance Note issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.
4. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

6. A Company's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting.

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

8. In our opinion, the Company has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note issued by the ICAI.

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

CIN No. U75100MP2015SGC034434

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

	Particulars	"Note No."	Mar-21	Mar-20	Apr-19
	ASSETS :				
(1)	Non-current Assets				
(a)	Property, Plant & Equipment	3	2,985,369,146	1,171,859,346	363,252,936
(b)	Financial Assets				
	(i) Investments	4	-	-	-
	(ii) Deposits	5	5,456,208	5,456,208	5,456,208
(c)	Other Non current Assets	6	354,987,869	443,736,004	335,989,681
	Total Non-Current Assets		3,345,813,223	1,621,051,558	704,698,825
(2)	Current Assets				
(a)	Inventories	7	-	-	-
(b)	Financial Assets				
	(i) Trade Receivables	8	-	-	-
	(ii) Cash and cash equivalents	9	4,503,298,854	3,707,863,307	850,953,945
	(iii) Loans	10	-	-	-
	(iv) Other Financial Assets	11	-	-	-
(c)	Other Current Assets	12	218,458	50,000	723
	Total Current Assets		4,503,517,312	3,707,913,307	850,954,668
	TOTAL ASSETS		7,849,330,536	5,328,964,865	1,555,653,493
	EQUITY AND LIABILITIES:				
(1)	Equity				
(a)	Equity Share capital	13	3,521,800,000	300,000,000	300,000,000
(b)	Other Equity	14	3,596,674,423	4,601,060,768	1,127,804,148
	Total Equity		7,118,474,423	4,901,060,768	1,427,804,148

	Particulars	"Note No."	Mar-21	Mar-20	Apr-19
	Liabilities				
(2)	Non-current Liabilities :				
(a)	Financial Liabilities				
	(i) Borrowings	15	-	-	-
(b)	Provisions	16	-	-	-
(c)	Deferred Tax Liabilities (Net)	17	(1,326,300)	(408,080)	(377,896)
	Total Non-current Liabilities		(1,326,300)	(408,080)	(377,896)
(3)	Current Liabilities				
(a)	Financial Liabilities				
	(i) Borrowings	18	-	-	-
	(ii) Trade Payables	19	42,780,662	56,208,556	40,946,261
	(iii) Other financial liabilities	20	42,122,409	11,740,988	528,265
(b)	Current Tax Liabilities (net)	21	-	-	-
(c)	Other current liabilities	22	17,727,249	8,848,500	7,938,216
(d)	Provisions	23	629,552,093	351,514,133	78,814,499
	Total Current Liabilities		732,182,413	428,312,177	128,227,241
	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		7,849,330,536	5,328,964,865	1,555,653,493

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements

1 to 43

-

-

-

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

For Pramod K Sharma & Co.

Chartered Accountants

For and on behalf of the Board of Directors

(Sd/-)

(CA Pramod Sharma)

Partner

M. No. 076883

FRN No:007857C

(Sd/-)

(Sandeep Jain)

Company Secretary

(Sd/-)

(Sushma Dubey)

Director (Finance)

(Sd/-)

(Manish Singh)

Director

DIN: 02947579

(Sd/-)

(Chhavi Bhardwaj)

Managing Director

DIN: 06499360

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

CIN No. U75100MP2015SGC034434

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

S.No	Particulars	"Note No."	2020-21	2019-20
I	Revenue From Operations	24	-	-
II	Other Income	25	96,485,941	90,026,539
III	Total Income (I+II)		96,485,941	90,026,539
IV	Expenses			
	Cost of Material Consumed	26	-	-
	Purchase of Stock in Trade		-	-
	Change in Inventories of Finished Goods, Work in progress and stock in trade	27	-	-
	Employee benefits expense	28	20,112,406	16,825,291
	Other expenses	29	73,328,929	105,603,866
	Finance costs	30	-	-
	Depreciation and amortization expense	3	6,728,334	2,660,946
	Total expenses (IV)		100,169,669	125,090,103
V	Profit/(loss) before exceptional items & tax (III-IV)		(3,683,728)	(35,063,564)
VI	Exceptional Items		19,820,837	-
VII	Profit/(loss) before tax (V-VI)		(23,504,565)	(35,063,564)
VIII	Tax Expense:			
	(1) Current tax		-	-
	(2) Deferred tax		(918,220)	(30,184)
IX	Profit (Loss) for the period		(22,586,345)	(35,033,380)

S.No	Particulars	"Note No."	2020-21	2019-20
X	Other Comprehensive Income			
A(i)	Items that will be reclassified to profit or loss	25.1	-	-
A(ii)	Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		-	-
B(i)	Items that will not be reclassified to profit or loss			
B(ii)	Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss			
XI	Total Comprehensive Income for the period (IX+X) Comprising Profit(Loss) and Other Comprehensive Income for the period)		(22,586,345)	(35,033,380)
XII	Earnings per equity share	32		
	(1) Basic		(0.06)	(1.17)
	(2) Diluted		(0.06)	(1.17)

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements

1 to 43

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
As per our report of even date

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

For Pramod K Sharma & Co.

Chartered Accountants

For and on behalf of the Board of Directors

(Sd/-)
(CA Pramod Sharma)
Partner
M. No. 076883
FRN No:007857C

(Sd/-)
(Sandeep Jain)
Company Secretary

(Sd/-)
(Sushma Dubey)
Director (Finance)

Date : 09.12.2021
Place : Bhopal

(Sd/-)
(Manish Singh)
Director
DIN: 02947579

(Sd/-)
(Chhavi Bhardwaj)
Managing Director
DIN: 06499360

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

CIN No. U75100MP2015SGC034434

Cash Flow Statement for the Year Ending 31st March, 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Particulars	31 st March 2021		31 st March 2020	
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :				
Net Profit Before Tax and Extraordinary Items	(23,504,565)		(35,063,564)	
Adjustment : for Depreciation	6,728,334		2,660,946	
: for Other Comprehensive Income	-		-	
: for Interest on FDR	(96,457,374)		(90,014,344)	
: for Misc. Balance W/o	-		-	
: for Finance cost	-		-	
Operating Profit Before Working Capital Changes		(113,233,605)		(122,416,962)
Adjustments for changes in working capital				
(Increase) / Decrease in Other Non Current Assets	88,748,135		(107,746,323)	
(Increase) / Decrease in Inventories	-		-	
(Increase) / Decrease in Financial Assets	-		-	
(Increase) / Decrease in Other Current Assets	(168,458)		(49,277)	
Increase / (Decrease) in Financial Liabilities	16,953,527		26,475,018	
Increase / (Decrease) in Other Current Liabilities	286,916,709		273,609,918	
(Increase) / Decrease in Loans and Advances				
		392,449,913		192,289,336
Cash generated from Operations		279,216,308		69,872,374
Income Taxes refund / (paid) during the year			-	
Net Cash flow from / (used in) Operating Activities		279,216,308		69,872,374
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :				
Purchase of Fixed Assets\Capital WIP	(1,820,238,135)		(811,267,356)	
(Addition) / Release of Fixed Deposit	-		-	
Interest Received on FDR	96,457,374		90,014,344	
Net Cash flow from / (used in) Investing Activities		(1,723,780,761)		(721,253,012)
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :				
Share Application Money	-		-	
Increase in Share Capital	3,221,800,000			
Grant from MP Government	(981,800,000)		3,508,290,000	

Particulars	31 st March 2021		31 st March 2020	
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
Grant from Government of India				
Proceeds of Long Term Borrowings	-		-	
Repayment of Long Term Borrowings	-		-	
Proceeds / (Repayment) of Short Term Borrowings (Net)	-			
Dividend Paid	-		-	
Interest paid	-			
Net Cash flow from / (used in) Financing Activities		2,240,000,000		3,508,290,000
Net Increase/ (decrease) in Cash & Cash Equivalents		795,435,547		2,856,909,362
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the period		-		-
Cash and Cash Equivalents at the end of the period		-		-

Note : The Cash Flow is prepared using In-direct method

As per our report of even date

For Pramod K Sharma & Co.

Chartered Accountants

For and on behalf of the Board of Directors

(Sd/-)

(CA Pramod Sharma)

Partner

M. No. 076883

FRN No:007857C

(Sd/-)

(Sandeep Jain)

Company Secretary

(Sd/-)

(Sushma Dubey)

Director (Finance)

(Sd/-)

(Manish Singh)

Director

DIN: 02947579

(Sd/-)

(Chhavi Bhardwaj)

Managing Director

DIN: 06499360

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Statement of Changes in Equity as at March 31, 2021

a. Equity Share Capital

Particulars	"As at 1 April 2019"	Changes in equity share capital during the year 2019-20	"As at 31 March 2020"	Changes in equity share capital during the year 2020-21	"As at 31 March 2021"
Equity Share	300,000,000	-	300,000,000	3,221,800,000	3,521,800,000
	300,000,000	-	300,000,000	3,221,800,000	3,521,800,000

b. Other Equity

Particulars	Reserves and Surplus							Total	
	Share Application Money pending for allotments	Capital Reserve	General Reserve	Revaluation Reserve	Grant from Government	Grant from Government of India	Retained Earning		Other Comprehensive Income (OCI)
Balance at the beginning of the reporting period as at April 1, 2019	-	-	-	-	1,133,850,300	13,648,500	(19,694,652)	-	1,127,804,148
Amount Received / Share Allotted during the year	-	-	-	-	1,055,990,000	2,452,300,000	-	-	3,508,290,000
Total Comprehensive Income for the year	-	-	-	-	-	-	(35,033,380)	-	(35,033,380)
Ind AS Adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Changes in accounting policy/ prior period errors	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the reporting period as at April 1, 2020	-	-	-	-	2,189,840,300	2,465,948,500	(54,728,032)	-	4,601,060,768
Amount Received / Share Allotted during the year	-	-	-	-	779,100,000	-	-	-	779,100,000
Total Comprehensive Income for the year	-	-	-	-	-	-	(22,586,345)	-	(22,586,345)
Ind AS Adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer	-	-	-	-	-	(1,760,900,000)	-	-	(1,760,900,000)
Bonus Shares Issued In-1:1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance at the end of the reporting period as at March 31, 2021	-	-	-	-	2,968,940,300	705,048,500	(77,314,377)	-	3,596,674,423

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR, unless otherwise stated)

Note 3: Property, Plant and Equipment

Particulars	Gross Block		Depreciation/Amortisation				Net Block	
	" As at 1st April, 2020 "	" Additions during the period "	As at 31st March, 2021	" As at 1st April, 2020 "	For the period	depreciation on disposal	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
A. Land	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Buildings								
i. Site Development	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Factory Building	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. Admn. & Godown Building	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Plant & Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Furniture and Fixtures	222,342	20,139,775	20,362,117	100,522	5,102,193	-	15,159,401	121,620
E. Vehicles	-	-	-	-	-	-	-	-
F. Office Equipments								
i. Computers	3,188,125	286,043	3,474,168	1,933,253	857,594	-	683,321	1,254,872
ii. Other Office Equipments	3,716,094	6,349	3,722,443	2,014,123	768,547	-	939,773	1,701,971
Total	7,126,561	20,432,167	27,558,728	4,047,898	6,728,334	-	16,782,495	3,078,663
Capital Work-in-progress	1,168,780,683	1,799,805,968	2,968,586,651	-	-	-	2,968,586,651	1,168,780,683
Total	1,175,907,244	1,820,238,135	2,996,145,379	4,047,898	6,728,334	-	2,985,369,146	1,171,859,346

Particulars	Gross Block		Depreciation/Amortisation				Net Block	
	" As at 1st April, 2019 "	" Additions during the period "	As at 31st March, 2020	" As at 1st April, 2019 "	For the period	As at 31st March, 2020	As at 31st March, 2020	As at 31st March, 2019
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
A. Land	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Buildings								
i. Site Development	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Factory Building	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. Admn. & Godown Building	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Plant & Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Furniture and Fixtures	207,887	14,455	222,342	59,874	40,648	100,522	121,820	149,013
E. Vehicles	-	-	-	-	-	-	-	-
F. Office Equipments								
i. Computers	2,325,765	862,360	3,188,125	708,307	1,224,945	1,933,253	1,254,872	1,617,458
ii. Other Office Equipments	3,662,626	53,468	3,716,094	616,771	1,395,353	2,014,123	1,701,971	3,043,855
Total	6,196,278	930,283	7,126,561	1,386,952	2,660,946	4,047,898	3,078,663	4,809,326
Capital Work-in-progress	358,443,610	810,337,073	1,168,780,683				1,168,780,683	358,443,610
Total	364,639,888	811,267,356	1,175,907,244	1,386,952	2,660,946	4,047,898	1,171,859,346	363,252,936

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	31-Mar-21	31-Mar-20	1-Apr-19
4	Non- Current Investments			
(a)	Investment measured at cost			
	Equity Shares of Subsidiary Companies			
	Unquoted Fully Paid-up	-	-	-
		-	-	-
	Equity Shares of Associates Companies			
	Unquoted Fully Paid-up	-	-	-
	Total Unquoted Non-Current Investment	-	-	-
	Preference Shares of Associates Companies			
	Unquoted Fully Paid-up	-	-	-
	Total Unquoted Non-Current Investment	-	-	-
(b)	Investment measured at fair value through Profit and Loss Account			
	Quoted Fully Paid-up	-	-	-
	Total Quoted Non-Current Investment	-	-	-
	Total Non-Current Investment	-	-	-
	Category-Wise Non-Current Investment	31-Mar-21	31-Mar-20	1-Apr-19
	Financial Assets Carried at Cost	-	-	-
	Financial Assets measured at Fair Value through Profit & Loss	-	-	-
	Total Non-Current Investment	-	-	-

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	31-Mar-21	31-Mar-20	01-Apr-19
5	NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS :			
	Deposits			
(a)	Deposits	5,456,208	5,456,208	5,456,208
	Total Loans	5,456,208	5,456,208	5,456,208
	Deposits are of perpetual nature.			
6	Other non-current asset (Un-Secured and Considered Good)			
(a)	Balances with Government Authorities	9,551,415	8,571,871	2,315,289
(b)	Capital Advances	345,436,454	435,164,133	
(c)	Others	-	-	-
	Total Other Non-Current Assets	354,987,869	443,736,004	2,315,289

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	31-Mar-21	31-Mar-20	01-Apr-19
7	Inventories			
	Raw Materials	-	-	-
	Work In Process	-	-	-
	Finished Goods	-	-	-
	Total Inventories	-	-	-
8	CURRENT FINANCIAL ASSETS -			
	Trade Receivables (Unsecured Considered Good)	-	-	-
	Total Trade Receivable	-	-	-
	Trade Receivables	-	-	-

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	31-Mar-21	31-Mar-20	01-Apr-19
9	Cash and cash equivalents			
	a. Cash on hand	-	-	4,944
	b. Balances with banks in current accounts	5,139,722	302,881,995	2,600,133
	c. Deposits with maturity of less than three months including interest accrued thereon "	4,498,159,132	3,404,981,312	848,348,868
	Other bank balances			
	a. Balances with banks held as margin money deposits			
	Total Cash and Bank Balance	4,503,298,854	3,707,863,307	850,953,945
10	Loans - (Unsecured and Considered Good)			
	Loans and Advances - Related Parties	-	-	-
	Loans and Advances - Others	-	-	-
	Total Loans	-	-	-

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	31-Mar-21	31-Mar-20	01-Apr-19
11	Other Financial Assets			
	Other	-	-	-
	Total Loans	-	-	-
12	Other current assets			
	a. Balances with Government Authorities	-	-	-
	b. Others #	218,458	50,000	723
	Total Other Current Assets	218,458	50,000	723
	# Includes Pre-paid Expenses, advance for exp. and rent Deposits.			

Note	Particulars	31-Mar-21		31-Mar-20		1-Apr-19	
		No. of shares	Rs. In INR	No of shares	Rs. In INR	No of shares	Rs. In INR
C	<p>"Terms/rights attached to equity shares</p> <p>i) The company has only one class of equity shares having par value of Rs. 10/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.</p> <p>ii) In the event of liquidation of the company, the holders of Equity Shares will be entitled to receive remaining assets of the Company. The distribution will be in proportion to the number of Equity Shares held by the shareholders.</p> <p>iii) Each Shareholder has the right to receive the dividend as proposed by the Board of Directors is subject to the approval of the Shareholders in the ensuing Annual General Meeting."</p>						
D	<p>Details of shareholders holding more than 5% shares in the Company</p>						
		31-Mar-21		31-Mar-20		1-Apr-19	
	Name of the shareholder	No of shares	%	No of shares	%	No of shares	%
	Governor of GoMP	176,089,995	49.9999999%	29,999,880	99.999600%	29,999,880	99.999600%
	President of India	176,089,995	49.9999999%				

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	31-Mar-21	31-Mar-20	1-Apr-19
14	Other Equity			
(a)	Retained Earnings			
	Surplus at the beginning of the year	(54,728,032)	(19,694,652)	(5,761,007)
	Add : Profit/loss during the year	(22,586,345)	(35,033,380)	(13,933,645)
	Add : Transition date adjustment	-	-	-
	Add / Less : Transfer to Revaluation Reserve	-	-	-
	Add / Less : Transfer to General Revaluation Reserve	-	-	-
	Less: Dividend on Equity Shares	-	-	-
	Less: Tax on Dividend	-	-	-
	Total	(77,314,377)	(54,728,032)	(19,694,652)
(b)	Capital Reserve	-	-	-
	Add / Less : Transferred from retained earning / Appropriation during the year	-	-	-
	Capital Reserve - Closing Balance	-	-	-
(c)	General Reserve	-	-	-
	Add / Less : Transferred from retained earning / Appropriation during the year	-	-	-
	General Reserve - Closing Balance	-	-	-
(d)	Grant from MP Government	2,189,840,300	1,133,850,300	43,850,300
	Add / Less : Transferred from retained earning / Appropriation during the year	779,100,000	1,055,990,000	1,090,000,000
	Grant from MP Government - Closing Balance	2,968,940,300	2,189,840,300	1,133,850,300
(e)	Grant from Government of India	2,465,948,500	13,648,500	-
	Add / Less : Transferred from retained earning / Appropriation during the year	(1,760,900,000)	2,452,300,000	13,648,500
	Grant from Government of India - Closing Balance	705,048,500	2,465,948,500	13,648,500

Note	Particulars	31-Mar-21	31-Mar-20	1-Apr-19
(e)	Securities Premium	-	-	-
	Add : Issuance of share at premium	-	-	-
	Less : Bonus Share issued during the year	-	-	-
	Securities Premium - Closing Balance	-	-	-
(f)	Other Comprehensive Income (OCI) - Opening Balance	-	-	-
	Add / Less : Movement in OCI during the year	-	-	-
	Other Comprehensive Income - Closing Balance	-	-	-
(g)	Share Application Money	-	-	-
	Add / Less : Money received during the year	-	-	-
	Share Application Money - Closing Balance	-	-	-
	Total Other Equity	3,596,674,423	4,601,060,768	1,127,804,148

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	31-Mar-21	31-Mar-20	1-Apr-19
15	Non- Current Financial Liabilities : Borrowing (Unsecured)			
	- Loans - Directors & Shareholders	-	-	-
	- Inter Corporate Deposit - Related Parties	-	-	-
	Total Borrowings	-	-	-
16	Non Current Provisions :			
	Provision for Employee Benefits (Gratuity)	-	-	-
	Total Provision	-	-	-
17	Deferred Tax Liabilities (Net)			
	At the beginning of the year	(408,080)	(377,896)	(304,621)
	Charged / (Credit) to Statement of Profit and Loss	(918,220)	(30,184)	(73,275)
	Total Deferred Tax Liabilities (Net)	(1,326,300)	(408,080)	(377,896)
	Component of Deferred Tax Liabilities /(Assets) in relation to :	As at 31-Mar-2020	Charge/ (Credit) to Profit and Loss Account	As at 31-Mar-2021
	Deferred Tax Liabilities / (Assets) in relation to :			
	- Property Plant & Equipment's	(408,080)	(918,220)	(1,326,300)
	- Provision		-	
	- Other Non-Current Assets		-	
	Total	(408,080)	(918,220)	(1,326,300)

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	31-Mar-21	31-Mar-20	1-Apr-19
18	Borrowings			
(a)	Secured Loan from Bank			
	- Loans repayable on demand -Working Capital Loan	-	-	-
	- Short Term Loan	-	-	-
(b)	Secured Loan from Others			
	Total Borrowing	-	-	-
19	Trade payables			
	Micro, Small and Medium Enterprises	23,952,709	23,952,709	23,952,709
	Others	18,827,953	32,255,847	16,993,552
	Total Trade Payables	42,780,662	56,208,556	40,946,261
	Dues to Micro, Small and Medium Enterprises			
	The amount payable to the Rohit Association Cities and Rail pvt. Ltd. (MSME) is under litigation as on 31.03.2021 and the matter is pending in the court of law. As the amount payable is not confirmed, hence the interest payable by the company to such vendor is not ascertainable and has been considered Nil (Previous year: Nil).			

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	31-Mar-21	31-Mar-20	1-Apr-19
20	Other Financial Liabilities			
	Advances and Sundry Deposits	42,122,409	11,740,988	528,265
	Others Payable	-	-	-
	Total Other Financial Liabilities	42,122,409	11,740,988	528,265
21	Current Tax Liabilities (Net)			
	Provision for Income Tax	-	-	-
	Less : Advance Tax / TDS			
	Current Tax Liabilities (Net)	-	-	-
	Reconciliation of Income Tax Expenses			31-Mar-21
	Profit Before Tax			(23,504,565)
	Applicable Tax Slab			26.00%
	Computed Tax Expenses			(6,111,187)
	Tax Effect of :			
	Depreciation			-
	Provision			-
	Others			6,111,187
	Current Tax Provision - A			-
	Decrement in Deferred Tax Liability for Property Plant & Equipment's			(918,220)
	Increment in Deferred Tax Assets for Provision			-
	Increment in Deferred Tax Liability for Other Non-Current Assets			-
	Deferred Tax Provision - B			(918,220)
	Tax Expenses Recognised in Statement of Profit and Loss Account			(918,220)
	Effective Tax Rate			0.00%

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	31-Mar-21	31-Mar-20	1-Apr-19
22	Other Current Liabilities			
	Unclaimed Dividend	-	-	-
	Other Statutory Dues	17,727,249	8,848,500	7,938,216
	Total Other Current Liabilities	17,727,249	8,848,500	7,938,216
23	Provisions			
(a)	Provision for Employee Benefits	-	-	-
(b)	Provision for Others	629,552,093	351,514,133	78,814,499
	Total Provision	629,552,093	351,514,133	78,814,499

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	2020-21	2019-20
24	Revenue from operations	-	-
	Total	-	-
25	Other income		
	Interest Income	96,457,374	90,014,344
	Others	28,567	12,195
	Total	96,485,941	90,026,539
25.1	Other Comprehensive income		
	Gain on Financial Assets		
	Unrealised Gain	-	-
	Total	-	-

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	2020-21	2019-20
26	Cost of Material Consumed & Other Trading Stock Purchases		
	Raw Material Consumed	-	-
	Store & Spares Items Consumed	-	-
		-	-
27	(Increase)/ Decrease in Inventories of Finished Goods, Work In Progress and Stock In Trade		
	Opening Stock at the beginning of years		
	-- Finished Goods	-	-
	-- Work In Progress	-	-
	-- Stock In Trade	-	-
		-	-
	Closing Stock at the closing of years		
	-- Finished Goods	-	-
	-- Work In Progress	-	-
	-- Stock In Trade	-	-
	-- Transferred to Other Expenses	-	-
		-	-
		-	-
28	Employee benefit expenses		
	Salaries and wages	19,058,750	16,437,175
	Directors Remunerations	-	-
	Gratuity & Bonus	-	-
	Contributions to Provident Fund & Others	1,053,656	388,116
	Staff welfare expenses	-	-
	Total	20,112,406	16,825,291

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	2020-21	2019-20
29	Other expenses		
	Advertisement Expenses	19,160,647	3,839,016
	Bank Charges	486	831
	Computer Consumable Exp.	12,760	99,532
	Consultant Exp.	-	66,635,181
	Hotel & Guest House Expenses	2,200	717,782
	Interest Exp.	194,445	-
	Manpower Hiring Agency	4,773,804	6,312,752
	Membership Fee	2,360,000	-
	Metro Conclave Expenses	-	98,900
	Miscellaneous Exp.	683,275	1,111,495
	Legal fee	295,000	-
	Printing Expenses	161,074	267,988
	Pre-feasibility	13,128,509	-
	Professional Fee	69,371	-
	Professional Tax	2,500	2,500
	Reimbursement Exp to UAD	773,247	-
	Rent Expenses	22,912,750	17,004,109
	Software Renewal Charges	4,248	-
	Stamp Duty Exp.	32,21,800	-
	Stationary Expenses	25,960	43,216
	Technical Fee	192,000	-
	Telephone Expenses	129,153	136,312
	Tour and Travel Expenses	175,364	4,310,802
	Training & Seminar Exp.	53,615	-
	Vehicle Hiring Expenses	3,461,359	4,885,234
	Web hosting and renewal Exp.	1,446,862	95,816
	Auditor's Remuneration	-	-
	- Statutory Audit Fee	88,500	42,400
	- Tax Audit Fee	-	-
	-	-	-
	Total	7,33,28,929	10,56,03,866
30	Finance Costs		
	Interest Expenses	-	-
	Foreign Currency Transaction and Translation Loss	-	-
	Other Borrowing costs	-	-
	Total	-	-

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note	Particulars	Amount	Years	31-Mar-21
31	Contingent Liabilities:			
	a. Bank Guarantee	INR In Lakhs		
	b. Pending Litigation	INR In Lakhs	2019-20	2,288.36
32	Earning Per Share (EPS)		2020-21	2019-20
	Profit after tax attributable to Equity Shareholders		(22,586,345)	(35,033,380)
	Weighted average number of Equity Shares (In nos.) - Basic		352,180,000	30,000,000
	Weighted average number of Equity Shares (In nos.) - Diluted		352,180,000	30,000,000
	Nominal Value of Equity per share (In Rs.)			
	Basic Earnings per share (In Rs.)		(0.06)	(1.17)
	Diluted Earnings per share (In Rs.)		(0.06)	(1.17)
33	Corporate Social Responsibility (CSR)			
	A. CSR amount required to be spent as per section 135 of the Companies Act read with Schedule VII thereof by the company during the year is Rs. NIL (Previous Year Rs. NIL)			
	B. Expenditure related to Corporate Social Responsibility is Rs. Nil (Previous Year Rs. Nil)			

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

34	Related Party Disclosures			
A	Names of Related Parties			
	Associates and Group Companies:	Subsidiary Company		
	NIL	NIL		
B	Key Management Personnel:			
	Shri Manish Singh (Managing Director)	Company Secretary:		
	Smt. Sushma Dubey (Director Finance)	Shri Sandeep Jain		
C	Relatives:			
	NIL			
(Amount in INR Lakhs)				
Sr. No.	Details of Related Party transactions and year end outstanding	Associates & Subsidiary	Key Management Personnel	Relatives
		" 2020-21 / 2019-20"	" 2020-21 / 2019-20"	" 2020-21 / 2019-20"
1	Salary		10.56	
			10.56	
2	Advance		0.30	
			-	

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

35	<p>Segment Information</p> <p>The 'Managing Director' is the chief operating decision maker who assesses the financial performance and position of the company and makes strategic decisions.</p> <p>In the opinion of the management, there is only one reportable business segment as envisaged by Ind AS 108 on 'Operating Segment' issued by Institute of Chartered accountant of India. Accordingly, no separate disclosure for segment reporting is required to be made in the financial statements of the Company. Secondary, segmentation based on geography has not been presented as the Company operates primarily in India and the Company perceives that there is no significant difference in its risk and returns in operating from different geographic areas within India.</p>
36	<p>In the opinion of the board of directors of the company, the current financial assets i.e. Trade Receivable, Loans and Others have the value on realisation in the ordinary course of the business at least equal to the amount at which they are stated and that the provisions for all the known liabilities are adequate and not in excess of the amount reasonably necessary.</p>

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note 37: CAPITAL MANAGEMENT

The Company's main objectives when managing capital are to:

- ensure sufficient liquidity is available (either through cash and cash equivalents, investments or committed credit facilities) to meet the needs of the business;
- ensure compliance with covenants related to its credit facilities and loans and
- minimize finance costs while taking into consideration current and future industry, market and economic risks and conditions.
- safeguard its ability to continue as a going concern
- to maintain an efficient mix of debt and equity funding thus achieving an optimal capital structure and cost of capital."

The Board of Directors have the primary responsibility to maintain a strong capital base and reduce the cost of capital through prudent management of deployed funds and leveraging opportunities so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of the business.

For the purpose of Company's capital management, capital includes issued capital and all other equity reserves. The Company manages its capital structure in light of changes in the economic and regulatory environment and the requirements of the financial covenants.

The Company manages its capital on the basis of net debt to equity ratio which is net debt (total borrowings net of cash and cash equivalents) divided by total equity.

	2020-21	2019-20
Total liabilities*	-	-
Less : Cash and cash equivalent**	-	-
Less : Other Bank Balance	-	-
Net debt	-	-
Total equity^	7,118,474,423	4,901,060,768
Net debt to equity ratio	-	-

The Company has complied with the covenants as per the terms of the major borrowing facilities throughout the reporting period.

* **Liabilities** : Consists of Secured Loans from Banks and Unsecured loans from directors/ relative and other entities.

** **Cash and Cash Equivalent** : Consists of Cash and Cash Equivalent less balance with dividends accounts.

^ **Equity** : Equity Share Capital + Other Equity

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR, unless otherwise stated)

Note 38: Financial instruments

A. Accounting classification and fair values

31-Mar-21	Carrying amount			Fair value				
	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost*	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial assets								
Investments	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash and Bank Balance			4,503,298,854	4,503,298,854			4,503,298,854	4,503,298,854
Trade Receivables:			-	-			-	-
Loans:			5,456,208	5,456,208			5,456,208	5,456,208
Other financial assets			-	-			-	-
	-	-	4,508,755,062	4,508,755,062	-	-	4,508,755,062	4,508,755,062
Financial liabilities								
Borrowings			-	-			-	-
Trade payables			42,780,662	42,780,662			42,780,662	42,780,662
Other financial liabilities			42,122,409	42,122,409			42,122,409	42,122,409
	-	-	84,903,071	84,903,071	-	-	84,903,071	84,903,071
* The carrying amount of financial instruments carried at amortized cost are a reasonable approximation of fair value.								
31-Mar-20	Carrying amount			Fair value				
	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost*	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial assets								
Investments	-	-	-	-	-	-	-	-

31-Mar-21	Carrying amount				Fair value			
	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost*	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Cash and Bank Balance	-	-	3,707,863,307	3,707,863,307	-	-	3,707,863,307	3,707,863,307
Trade Receivables	-	-	-	-	-	-	-	-
Loans & Advance	-	-	5,456,208	5,456,208	-	-	5,456,208	5,456,208
Other financial assets	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	3,713,319,515	3,713,319,515	-	-	3,713,319,515	3,713,319,515
Financial liabilities								
Borrowings	-	-	-	-	-	-	-	-
Trade payables	-	-	56,208,556	56,208,556	-	-	56,208,556	56,208,556
Other financial liabilities	-	-	11,740,988	11,740,988	-	-	11,740,988	11,740,988
	-	-	67,949,544	67,949,544	-	-	67,949,544	67,949,544
* The carrying amount of financial instruments carried at amortized cost are a reasonable approximation of fair value.								
1-Apr-19	Carrying amount				Fair value			
	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost*	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial assets								
Investments	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash and Bank Balance	-	-	850,953,945	850,953,945	-	-	850,953,945	850,953,945
Trade Receivables	-	-	-	-	-	-	-	-
Loans & Advance	-	-	5,456,208	5,456,208	-	-	5,456,208	5,456,208
Other financial assets	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	856,410,153	856,410,153	-	-	856,410,153	856,410,153

31-Mar-21	Carrying amount			Fair value				
	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost*	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial liabilities								
Borrowings	-	-	-	-	-	-	-	-
Trade payables			40,946,261	40,946,261			40,946,261	40,946,261
Other financial liabilities			528,265	528,265			528,265	528,265
	-	-	41,474,526	41,474,526	-	-	41,474,526	41,474,526

* The carrying amount of financial instruments carried at amortized cost are a reasonable approximation of fair value.

B. Measurement of fair values

The table shown below analyses financial instruments carried at fair value, by valuation method. The different levels have been defined below:

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e., as prices) or indirectly (i.e., derived from prices)
- Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs)

C. Valuation techniques

The following methods and assumptions were used to estimate the fair values

- 1) Fair value of the cash and short term deposits, current loans and advances and other current financial liabilities and other similar items approximate their carrying value largely due to short term maturities of these instruments.
- 2) Long-term borrowings are evaluated by the Company based on parameters such as interest rates, specific country risk factors and the risk characteristics of the financed project.

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
For financial year ended 31 March 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note 39: FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES

"The Company's activities expose it to a variety of financial risks and liquidity risk. The Company's primary risk management focus is to minimize potential adverse effects of market risk on its financial performance. The Company's risk management assessment and policies and processes are established to identify and analyse the risks faced by the Company, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor such risks and compliance with the same. Risk assessment and management policies and processes are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Company's activities.

The Company's board of directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the Company's risk management framework. This note presents information about the risks associated with its financial instruments, the Company's objectives, policies and processes for measuring and managing risk, and the Company's management of capital."

1. Credit Risk

The Company is exposed to credit risk as a result of the risk of counterparties defaulting on their obligations. The Company's exposure to credit risk primarily relates to accounts receivable and cash and cash equivalents including deposit with banks.

The Company has a prudent and conservative process of managing its credit risk arising in the course of its business. All the trade receivables are reviewed and assessed for default on routine basis. Our historical experience of collecting receivables, supported by the level of default indicate that credit risk is low.

The Company maintains exposure in cash and cash equivalents and term deposit with banks . The Company's maximum exposure to credit risk as at 31-March-2021, 31-March-2020 and 1-April-2019 is the carrying value of each class of financial assets.

2. Liquidity risk

The Company is exposed to liquidity risk related to its ability to fund its obligations as they become due. The Company monitors and manages its liquidity risk to ensure access to sufficient funds to meet operational and financial requirements. The Company has access to credit facilities and debt capital markets and monitors cash balances daily. In relation to the Company's liquidity risk, the Company's policy is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stressed conditions as they fall due while minimizing finance costs, without incurring unacceptable losses or risk of damage to the Company's reputation.

Maturities of financial liabilities

The contractual undiscounted cash flows of financial liabilities are as follows:

As at 31 March 2021	Less than 1 year	1-5 years	> 5 years	Total
Borrowings	-		-	-
Trade payables	42,780,662			42,780,662
Other financial liabilities	42,122,409			42,122,409
	84,903,071	-	-	84,903,071

As at 31 March 2020	Less than 1 year	1-5 years	> 5 years	Total
Borrowings	-		-	-
Trade payables	56,208,556			56,208,556
Other financial liabilities	11,740,988			11,740,988
	67,949,544	-	-	67,949,544

As at 1st April 2019	Less than 1 year	1-5 years	> 5 years	Total
Borrowings	-		-	-
Trade payables	40,946,261			40,946,261
Other financial liabilities	528,265			528,265
	41,474,526	-	-	41,474,526

3. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that an upward movement in the interest rate would adversely effect the borrowing cost of the company. The Company is exposed to long term and short-term borrowings. The Company manages interest rate risk by monitoring its mix of fixed and floating rate instruments, and taking action as necessary to maintain an appropriate balance.

The exposure of the Company's borrowings to interest rate changes at the end of the reporting period are as follows:

a) Interest rate risk exposure

	31-Mar-21	31-Mar-20	1-Apr-19
Variable rate borrowings	-	-	-
Fixed rate borrowings	-	-	-

b) Sensitivity analysis

The Company is not exposed to any long term or short-term borrowings in the said period.

	Impact on profit after tax	
	31-Mar-21	31-Mar-20
Interest rates - increase by 50 basis points	-	-
Interest rates - decrease by 50 basis points	-	-

4. Foreign Currency Risk

The company's business objective includes safe-guarding its export earnings against adverse price movements of in foreign exchange and interest rates. There is no Foreign currency risk exposure during the said period.

a) Foreign Currency risk exposure

	Foreing Currency conevered in INR (in Lakhs)		
	31-Mar-21	31-Mar-20	1-Apr-19
Loans, Trade & Other Payables	-	-	-
Trade and Other Receivable	-	-	-
Derivatives - Forwards and Futures	-	-	-

b) Sensitivity analysis

Sensitivity Analysis of 1% change in exchange rate at the end of Reporting period net of Hedges

	Impact on profit after tax In Lakhs	
	31-Mar-21	31-Mar-20
Interest rates - increase by 50 basis points	-	-
Interest rates - decrease by 50 basis points	-	-

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

CIN No. U75100MP2015SGC034434

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021

(Rupees in INR, unless otherwise stated)

Note 40 :Effect of Ind AS adoption on the Balance Sheet as at 31st March 20 and 1st April 19 :

Particulars	As at 31st March 2020			As at 1st April 2019		
	Indian GAAP	Ind AS adjustments	As per Balance Sheet	Ind AS adjustments	Ind AS adjustments	As per Balance Sheet
ASSETS :						
(1) Non-current Assets						
(a) Property, Plant & Equipment	3,078,663		3,078,663	4,809,326		4,809,326
(b) Financial Assets						
(i) Investments	-	-	-	-	-	-
(ii) Loans & Advances	5,456,208	-	5,456,208	5,456,208	-	5,456,208
(c) Other Non current Assets	443,736,004	-	443,736,004	335,989,681	-	335,989,681
Total Non-Current Assets	452,270,875	-	452,270,875	346,255,215	-	346,255,215
(2) Current Assets						
(a) Inventories	-	-	-	-	-	-
(b) Financial Assets						
(i) Trade Receivables	-	-	-	-	-	-

Particulars	As at 31st March 2020			As at 1st April 2019		
	Indian GAAP	Ind AS adjustments	As per Balance Sheet	Ind AS adjustments	Ind AS adjustments	As per Balance Sheet
(ii) Cash & Bank Balance	3,707,863,307	-	3,707,863,307	850,953,945	-	850,953,945
(iii) Loans	-	-	-	-	-	-
(iii) Other Financial Assets	-	-	-	-	-	-
(c) Other current Assets	50,000	-	50,000	723	-	723
Total Current Assets	3,707,913,307	-	3,707,913,307	850,954,668	-	850,954,668
TOTAL ASSETS	4,160,184,182	-	4,160,184,182	1,197,209,883	-	1,197,209,883
EQUITY AND LIABILITIES:						
(1) Equity						
(a) Equity Share capital	300,000,000		300,000,000	300,000,000		300,000,000
(b) Other Equity	4,601,060,768	-	4,601,060,768	1,127,804,148	-	1,127,804,148
Total Equity	4,901,060,768	-	4,901,060,768	1,427,804,148	-	1,427,804,148
Liabilities						
(2) Non-current Liabilities :						
(a) Financial Liabilities						
(i) Borrowings	-	-	-	-	-	-
(b) Provisions	-	-	-	-	-	-
(c) Deferred Tax Liabilities (Net)	(408,080)	-	(408,080)	(377,896)	-	(377,896)
Total Non-current Liabilities	(408,080)	-	(408,080)	(377,896)	-	(377,896)

Particulars	As at 31st March 2020			As at 1st April 2019		
	Indian GAAP	Ind AS adjustments	As per Balance Sheet	Ind AS adjustments	Ind AS adjustments	As per Balance Sheet
(3) Current Liabilities						
(a) Financial Liabilities						
(i) Borrowings	-	-	-	-	-	-
(ii) Trade Payables	56,208,556	-	56,208,556	40,946,261	-	40,946,261
(iii) Other financial liabilities	11,740,988	-	11,740,988	528,265	-	528,265
(b) Current Tax Liabilities (net)	-	-	-	-	-	-
(c) Other current liabilities	8,848,500	-	8,848,500	7,938,216	-	7,938,216
(d) Provisions	351,514,133	-	351,514,133	78,814,499	-	78,814,499
Total Current Liabilities	428,312,177	-	428,312,177	128,227,241	-	128,227,241
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	5,328,964,865	-	5,328,964,865	1,555,653,493	-	1,555,653,493

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

CIN No. U75100MP2015SGC034434

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note 41 : Reconciliation of Total Equity as previously reported under IGAAP to Ind AS at 31st March 20 and 1st April 19 :

	Particulars	Notes	Net Profits	Other Equity	
			Year ended 31 st March 2020	As at 31 st March 2020	As at 1 st April 2019
	Net Profit / Other Equity as per Previous Indian GAAP :		(35,033,380)	4,601,060,768	1,127,804,148
	1. Fair Valuation of Financial Assets shifted to OCI	I	-	-	-
	2. Proposed Dividend Including Tax	II	-	-	-
	Net Profit Before OCI / Other Equity as per Ind AS :		(35,033,380)	4,601,060,768	1,127,804,148
I	As per Ind AS fair valuation of Financial Assets to be incorporated in Other Comprehensive Income, therefore these item including its tax effect transferred to OCI.				

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

CIN No. U75100MP2015SGC034434

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note 42 : 'Reconciliation Statement of Profit and Loss as previously reported under IGAAP to Ind AS

Sl No	Particulars	Year Ended 2019-20		
		Indian GAAP	Ind AS adjustments	As per Ind AS
I	Revenue From Operations	-	-	-
II	Other Income	90,026,539	-	90,026,539
III	Total Income (I+II)	90,026,539	-	90,026,539
IV	Expenses			
	Cost of Material Consumed	-	-	-
	Purchase of Stock in Trade	-	-	-
	Change in Inventories of Finished Goods, Work in progress and stock in trade	-	-	-
	Employee benefits expense	16,825,291	-	16,825,291
	Other expenses	105,603,866	-	105,603,866
	Finance costs	-	-	-
	Depreciation and amortization expense	2,660,946	-	2,660,946
	Total expenses (IV)	125,090,103	-	125,090,103
V	Profit/(loss) before exceptional items and tax (III-IV)	(35,063,564)	-	(35,063,564)
VI	Exceptional Items	-	-	-
VII	Profit/(loss) before tax (V-VI)	(35,063,564)	-	(35,063,564)
VIII	Tax Expense:			
	(1) Current tax	-	-	-
	(2) Deferred tax	(30,184)	-	(30,184)
IX	Profit (Loss) for the period	(35,033,380)	-	(35,033,380)
X	Other Comprehensive Income			
A(i)	Items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-
A(ii)	Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-

Sl No	Particulars	Year Ended 2019-20		
		Indian GAAP	Ind AS adjustments	As per Ind AS
B(i)	Items that will not be reclassified to profit or loss			
B(ii)	Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss			
XI	Total Comprehensive Income for the period (XI+X) Comprising Profit(Loss) and Other Comprehensive Income for the period)	(35,033,380)	-	(35,033,380)
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.				

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly Known as MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LIMITED)

Significant accounting policies and notes to the accounts
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(Rupees in INR , unless otherwise stated)

Note 43: Transition to Ind AS

The Company's financial statements for the year ended 31 March 2021 are prepared in accordance with Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 in accordance with the accounting policies notified in Note 2.1. The adoption of Ind AS has been carried out in accordance with Ind AS 101, with April 1, 2019 as the transition date. In accordance with Ind AS 101, the resulting difference between the carrying amounts of the assets and liabilities in the financial statements under both Ind AS and Indian GAAP as at the transition date have been recognized directly in equity at the transition date, if any. An explanation of how the transition from previous GAAP to Ind AS has affected the financial position, financial performance and cash flows is set out in the following notes:

A. Exceptions:

"The following mandatory exceptions have been applied in accordance with Ind AS 101 in preparing the financial statements.

(a) Estimates

The estimates at 1st April, 2019 and at 31st March, 2020 are consistent with those made for the same dates in accordance with Indian GAAP (after adjustments to reflect any differences if any, in accounting policies). The estimates used by the Company to present these amounts in accordance with Ind AS reflect conditions as at the transition date and as of 31st March, 2019.

(b) Derecognition of financial assets and financial liabilities

The Company has elected to apply the derecognition requirements for financial assets and financial liabilities in Ind AS 109 prospectively for transactions occurring on or after the date of transition to Ind AS.

(c) Classification and measurement of financial assets

The Company has classified the financial assets in accordance with Ind AS 109 on the basis of facts and circumstances that exist at the date of transition to Ind AS."

B. Exemptions:

Ind AS 101 allows first time adopters certain exemptions from the retrospective application of certain requirements under Ind AS. The Company has applied the following exemptions:

- 1) The Company has elected to apply the deemed cost option available under Para D7AA of Ind AS 101 i.e. all items of property, plant and equipment, finance leases and intangible assets have been recognised in the financial statements as at the date of transition to Ind AS at the carrying value measured as per previous GAAP.

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH 2021

1 Corporate Information

Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL) (formerly known as Madhya Pradesh Metro Rail Co Limited) is incorporated under the Companies Act, 2013 on 09th July, 2015 and is a Government company within the meaning of Section 2(45) of The Companies Act, 2013. The Company was set up by the Government of Madhya Pradesh (GoMP) with 100% shareholding and subsequently converted to a Joint Venture SPV of GoI and GoMP with 50:50 shareholding to implement Mass Rapid Transit System in Bhopal and Indore city by providing the Metro Rail and is entrusted with the tasks of subsequent expansion of the Metro network, its operation, maintenance and allied activities to ensure sustainable operations.

2 Significant Accounting Policies

2.1 Basis of Preparation

The financial statements have been prepared on the historical cost convention on accrual basis and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) and to comply in all material aspects with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and other relevant provisions of the Act.

Company's financial statements are presented in Indian Rupees (INR), which is also its functional currency.

2.2 First Time Adoption of Indian Accounting Standards

These financial statements, for the year ended March 31, 2021, are the first financial statements the Company has prepared in accordance with Ind AS for periods up to and including the year ended 31 March 2019, the Company prepared its financial statements in accordance with accounting standards notified under section 133 of the Companies Act 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounting Standard) Rule 2014 ('Previous GAAP' or 'Indian GAAP').

Accordingly, the Company has prepared financial statements which comply with Ind AS applicable for periods ending on March 31, 2021 together with the comparative period data as at and for the year ended March 31, 2020 and for the year ended March 31, 2019. The principal adjustments have been made by the Company in restating its Indian GAAP financial statements, including the balance sheet as at April 1, 2018 and the financial statements as at and for the year ended March 31, 2019 and the impact of transition has been provided in the opening reserve & surplus as at April 1, 2018, if any.

2.3 Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at original cost net of tax/duty credit availed, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. When significant parts of property, plant and equipment are required to be replaced at intervals,

the Company de-recognizes the replaced part, and recognises the new part with its own associated useful life and it is depreciated accordingly. All repair and maintenance costs are recognised in the statement of profit and loss as incurred.

Property, plant and equipment are eliminated from financial statements, either on disposal or when retired from active use. Losses arising in the case of retirement of property, plant and equipment and gains or losses arising from disposal of property, plant and equipment are recognised in the statement of profit and loss in the year of occurrence.

Depreciation on assets has been provided on WDV basis at the useful lives specified in the Schedule II of the Companies Act, 2013. Depreciation on additions/ deductions is calculated pro-rata from/ to the period of additions/ deductions.

The assets residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate. Currently the residual life is considered as 5% of the value of property plant and equipment.

2.4 Impairment of Non-Financial Assets - Property, Plant and Equipment

The Company assesses at each reporting date as to whether there is any indication that any property, plant and equipment and intangible assets or group of assets, may be impaired. If any such indication exists the recoverable amount of an asset is estimated to determine the extent of impairment, if any. When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the CGU (cash generating unit) to which the asset belongs.

An impairment loss is recognised in the Statement of Profit and Loss to the extent, asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is higher of an asset's fair value less cost of disposal and value in use. Value in use is based on the estimated future cash flows, discounted to their present value using pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risk specific to the assets.

The impairment loss recognised in prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

2.5 Finance Cost

Borrowing costs include exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as an adjustment to the interest cost. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalised as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use.

Interest income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation.

All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss for the period for which they are incurred.

2.6 Inventories

Inventories are valued as under :-

- i. Raw material, Stores & Spares are valued at lower of cost (on FIFO basis) or net realisable value whichever is lower.
- ii. Work in Process at cost including related overheads.
- iii. Finished Goods & Stock In Trade are valued at cost or estimated realisable value whichever is lower. Cost comprises material, labour and applicable overhead expenses.

Cost of inventories comprises of cost of purchase, cost of conversion and other costs including manufacturing overheads in bringing them to their respective present location and condition.

2.7 Foreign Exchange Transactions

The Company's has not made any Foreign Exchange transactions during the year ending on March 31, 2021.

2.8 Revenue Recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Amounts disclosed as revenue net of returns, trade allowances, rebates, value added taxes and amounts collected on behalf of third parties.

The company recognises revenue when the amount of revenue can be reliably measured, it is probable that future economic benefits will flow to the entity and specific criteria have been met for each of the company's activities. The company bases its estimates on historical results, taking into consideration the type of customer, the type of transaction and the specifics of each arrangement.

2.8.1 Interest Income

Interest is recognized on a time proportion, taking into account the amount outstanding and rate applicable.

2.8.2 Other Income

Other Income is recognised when right to receive is established.

2.9 Employee Benefits

(i) Short Term Employee Benefits

All employee benefits falling due wholly within twelve months of rendering the service are classified as short term employee benefits.

(ii) Post-Employment Benefits

- a) **Defined Contribution Plans:** The obligation to employee's provident fund is a defined contribution plan. The contribution paid/payable is recognized in the period in which the employee renders the related service. The company has defined contribution plans where the company pays pre-defined amounts and does not have any legal or constructive obligation to pay additional sums for post-employment benefits.

b) Defined Benefit Plans: The obligation towards gratuity is a defined benefit plan

The present value of the obligation under such Defined Benefit Plans is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method, which recognizes each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation as per IND- AS 19, i.e., "Employee Benefits".

The obligation is measured at the present value of the estimated future cash flows. The discount rates used for determining the present value of the obligation under defined benefit plans, is based on the market yields on Government securities as at the Balance sheet date, having maturity periods approximating to the terms of related obligations.

Remeasurements, comprising of actuarial gains and losses, the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets (excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability), are recognised immediately in the balance sheet with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to the statement of profit and loss in subsequent periods.

2.10 Accounting for Taxes on Income

Due to loss incurred in current period, no provision of Income Tax has been provided. Deferred tax is provided using the balance sheet approach on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognised outside the statement of profit and loss is recognised outside the statement of profit and loss. Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in other comprehensive income or directly in equity.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

2.11 Financial instruments

2.11.1 Financial Assets

A: Initial recognition and measurement

All financial assets and liabilities are initially recognized at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities, which are not at fair value through profit or loss, are adjusted to the fair value on initial recognition. Purchase and sale of financial assets are recognised using trade date accounting.

B: Subsequent measurement

(i) Financial assets carried at amortised cost (AC)

A financial asset is measured at amortised cost if it is held within a business model whose objective is to hold the asset in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

(ii) Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A financial asset is measured at FVTOCI if it is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

(iii) Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)

A financial asset which is not classified in any of the above categories are measured at FVTPL.

C: Investment in subsidiaries, Associates and Joint Ventures

A subsidiary is an entity that is controlled by the Company. The Company accounts for the investments in equity shares of subsidiaries at cost in accordance with Ind AS 27- Separate Financial Statements

D: Other Equity Investments

All other equity investments are measured at fair value, with value changes recognised in Statement of Profit and Loss, except for those equity investments for which the Company has elected to present the value changes in 'Other Comprehensive Income'.

E: Impairment of financial assets

In accordance with Ind AS 109, the Company uses 'Expected Credit Loss' (ECL) model, for evaluating impairment of financial assets other than those measured at fair value through profit and loss (FVTPL).

Expected credit losses are measured through a loss allowance at an amount equal to:

- The 12-months expected credit losses (expected credit losses that result from those default events on the financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date); or
- Full lifetime expected credit losses (expected credit losses that result from all possible default events over the life of the financial instrument)

For trade receivables Company applies 'simplified approach' which requires expected lifetime losses to be recognised from initial recognition of the receivables. The Company uses historical default rates to determine impairment loss on the portfolio of trade receivables. At every reporting

date these historical default rates are reviewed and changes in the forward looking estimates are analysed.

For other assets, the Company uses 12 month ECL to provide for impairment loss where there is no significant increase in credit risk. If there is significant increase in credit risk full lifetime ECL is used

2.11.2 Financial liabilities

A: Initial recognition and measurement

All financial liabilities are recognized at fair value and in case of loans, net of directly attributable cost. Fees of recurring nature are directly recognised in the Statement of Profit and Loss as finance cost.

B: Subsequent measurement

For trade and other payables maturing within one year from the balance sheet date, the carrying amounts approximate fair value due to the short maturity of these instruments.

2.11.3 Derecognition of financial instruments

The Company derecognizes a financial assets when the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire to it transfers the financial assets and the transfer qualifies for derecognition under IND-AS 109. A financial liability is derecognized from the Company's Balance Sheet when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

2.12 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- a) Provisions are recognized for liabilities that can be measured only by using a substantial degree of estimation, if
 - (i) the Company has a present obligation as a result of a past event.
 - (ii) a probable outflow of resources is expected to settle the obligation, and
 - (iii) the amount of the obligation can be reliably estimated.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.
- b) Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.
- c) Contingent Liability is disclosed in the case of
 - (i) a present obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation.
 - (ii) a present obligation when no reliable estimate is possible, and
 - (iii) a possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is not remote.
- d) Contingent Assets are disclosed, where an inflow of economic benefits is probable.

- e) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets are reviewed at each Balance Sheet date.
- f) Dividend to equity shareholders is recognised as a liability and deducted from shareholders' Equity, in the period in which the dividends are approved by the equity shareholders in the general meeting.
- g) Basic EPS is computed by dividing the Profit or loss attributable to the equity shareholders of the Company by the weighted average number of Ordinary shares outstanding during the year. Diluted EPS is computed by adjusting the profit or loss attributable to the ordinary equity shareholders and the weighted average number of ordinary equity shares, for the effects of all dilutive potential Ordinary shares.

2.13 Segment Reporting -Identification of Segments

The 'Managing Director' is the chief operating decision maker who assesses the financial performance and position of the company and makes strategic decisions.

In the opinion of the management, there is only one reportable business segment as envisaged by Ind AS 108 on 'Operating Segment' issued by Institute of Chartered accountant of India. Accordingly, no separate disclosure for segment reporting is required to be made in the financial statements of the Company. Secondary, segmentation based on geography has not been presented as the Company operates primarily in India and the Company perceives that there is no significant difference in its risk and returns in operating from different geographic areas within India.

2.14 Use of estimates and judgement

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS requires that management of the Company makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of income and expenses of the period, the reported balances of assets and liabilities and the disclosures relating to contingent liabilities as of the date of the financial statements. The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year. The company has based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market changes or circumstances arising beyond control of the management.

2.15 ADDITIONAL NOTES TO ACCOUNTS:

1. There are no micro, small and medium enterprises, to which company owes dues except as given below:
 - a. Amount due to micro, small and medium enterprises as at 31st March, 2021 is Rs.2,39,52,709.00. As the payment is under dispute and the quantum of liability is not certain as on 31.3.21 hence, interest could not be calculated and disclosed. Further this fact was disclosed under contingent liability.

This information is required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 that has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Company.

2. Previous year figures are re-grouped, re-classified and re-arranged, wherever considered necessary to confirm to current year's presentation.
3. For considering the events occurring after the end of a reporting period but before the financial statements are approved the cut off date has been taken as June 30, 2021.
4. The Cash Flow Statement has been prepared and presented as per the requirements of Ind AS 7 "Statement of Cash flows".
5. Disclosure in respect of GoMP&Gol MoU:

Memorandum of understanding between Government of India (Gol), Government of Madhya Pradesh (GoMP) and Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Ltd. (MPMRCL) for Bhopal Metro Rail project and Indore Metro Rail project were executed on 19 Aug 2019. Pursuant to which, during F.Y 2020-21 funds amounting to Rs.224.00 crores were received from GoMP and NIL funds were received from Gol. As the authorized share capital of the company has been increased from Rs. 30.00 crores to Rs. 5000.00 crores hence, after issuing 176090000 equity shares to Gol and 146090000 to GoMP (to ensure 50:50 ratio) in the said F.Y and the additional fund contribution received has been shown under the head Grants.

6. Disclosure in respect of Contingent liabilities:

The quantum of liability is not certain as on reporting date on account of case amounting to Rs.22,88,35,757.00 pending for decision in relation to consultancy services for preparation of DPR for MRTS in Bhopal & Indore contracted with M/s.Rohit Associates Cities and Rails Pvt. Ltd at MSMESamadhan – Delayed Payment Monitoring System. Hence, the same has being considered as Contingent liability.

Liability if any, under various proposals/contracts where the quantum of liability is not certain/approved as on reporting date is being considered as Contingent liability.

7. Disclosure in respect of Capital Commitments:

Details of the estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account as on the date of balance sheet is as follows:

(Rs. In lakh)

Sl. No.	Name of Contractor	Nature of Work	Date of Contract	Estimated Value of Contract	Cumulative Amount Invoiced till 20-21	Estimated amount of contracts remaining to be executed
1	Consortium of i) DB Engineering and Consulting GmbH, ii) Geodata Engineering S.p.A. and iii) Louis Berger SAS	General Consultancy	22-12-2017	60,052.32	10,103.85	49,948.47
2	M/s. DilipBuildcon Limited	Design and Construction of Elevated Viaduct in Bhopal	01-11-2018	24,706.00	7,522.49	17,183.51

Sl. No.	Name of Contractor	Nature of Work	Date of Contract	Estimated Value of Contract	Cumulative Amount Invoiced till 20-21	Estimated amount of contracts remaining to be executed
3	M/s. Dilip Buildcon Limited	Design and Construction of Elevated Viaduct in Indore	01-11-2018	22,896.00	656.20	22,239.80
4	MPPTCL	EHV utility shifting in Bhopal & Indore with technical survey	multiple contracts	12,398.23	4,558.45	7,839.78
5	RITES LTD & Ardanuy Ingenieria S.A	Detailed Design Consultancy Services for two Rolling Stock Depots, one in Bhopal and one in Indore	26-02-2021	998.00	-	998.00
6	Ardanuy Ingenieria S.A & RITES LTD	Detailed Design Consultancy Services for Power Supply Receiving/ Distribution, 750 V DC Third Rail Traction Electrification and SCADA systems, each of Bhopal and Indore Metro Rail Projects	26-02-2021	599.46	-	599.46
Total				1,07,654.32	18,282.54	89,371.78

8. Disclosure in respect of Earnings per share

Particulars	2020-21	2019-20
Net Profit /(Loss) for the year (Rs. In Lakh)		(350.33)
Weighted average number of equity shares outstanding during the year		
- Basic	35,21,80,000	3,00,00,000

Particulars	2020-21	2019-20
- Diluted	35,21,80,000	3,00,00,000
Basic Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/-per share) (Rs.)	(0.06)	(1.17)
Diluted Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/-per share) (Rs.)	(0.06)	(1.17)

9. Disclosure pursuant to Ind AS 24 "Related party disclosures"

As per Indian Accounting Standard on related party disclosures (Ind AS 24), the names of the related parties of the Company are as follows:

List of related parties where control exists and their relationships:

a. Key Management persons:

- i. Shri Manish Singh (Managing Director)
- ii. Smt. Sushma Dubey (Director Finance)
- iii. Shri Sandeep Jain (Company Secretary)

b. Disclosure of transactions with related Parties (Key managerial persons): Gross Salary paid to related parties during the year ending March 31, 2021 is Rs.10,56,000.00 and during the year ending March 31, 2020 was Rs. 10,56,000.00.

10. Disclosure in respect of Ind AS-12 (Income Taxes)

The Company has net deferred tax asset of Rs. 13,26,300.00 as on 31.03.2021.

11. Information in respect of Interest income

Accrued Interest income during the year is Rs. 69,04,365.24.

12. Information in respect of Audit fees.

Provision of Rs. 88,500.00 against the audit fees is made during the year.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

For Pramod K Sharma & Co.

Chartered Accountants

For and on behalf of the Board of Directors

(Sd/-)
(CA Pramod Sharma)
Partner
M. No. 076883
FRN No:007857C


(Sd/-)
(Sandeep Jain)
Company Secretary

(Sd/-)
(Sushma Dubey)
Director (Finance)

Date : 09.12.2021
Place : Bhopal

(Sd/-)
(Manish Singh)
Director
DIN: 02947579

(Sd/-)
(Chhavi Bhardwaj)
Managing Director
DIN: 06499360





सेकंड फ्लोर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफिस बिल्डिंग,
काली वाड़ी रोड, बी.एच.ई.एल., सेक्टर-ए, वरखेड़ा, भोपाल - 462022